VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

दिसंबर - 2015

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और प्रशासन **5**

1.1. राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 5

1.2. शैक्षणिक नेटवर्क की वैश्विक पहल (GIAN) 6

1.3. आईसीटी विकास सूचकांक (आई.डी.आई.) 7

1.4. सी.वी.सी. और सी.बी.आई. का लोकपाल के अंतर्गत एकीकरण 7

1.5. दक्षिण एशिया में राजनीतिक वित्त विनियमन पर नई दिल्ली घोषणा पत्र, 2015 8

1.6. मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2015 संसद द्वारा पारित 8

1.7. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति 9

1.8. अरूणाचल प्रदेश विवाद 10

1.9. संचित निधि पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट 10

1.10. रक्षा क्षेत्र में सुधार 11

1.11. रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' 11

1.12. दंड अथवा सजा का परिहार (Remission) 12

1.13. उपकर (सेस) धन का अनुपयोग 13

1.14. खाद्य क्षेत्रक विनियमन 13

1.15. गुजरात श्रम क़ानून (संशोधन) विधेयक 2015 14

1.16. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2015 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 15

1.17. कटोच समिति की रिपोर्ट 15

1.18. दिल्ली का जन लोकपाल विधेयक 16

1.19. भूमिगत कोयला गैसीकरण (यू.सी.जी.) 17

2. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध: भारत एवं विश्व **18**

2.1. भारत-जापान सम्बन्ध 18

2.2. भारत-रूस सम्बन्ध 19

2.3. अफगानिस्तान ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) की सदस्यता ग्रहण की 21

2.4. भारत और अफगानिस्तान 21

2.5. भारत पाकिस्तान सम्बन्ध 21

VISION IAS

2.6. इस्लामिक सैन्य गठबंधन 22
2.7. भारत और सेशेल्स 22
2.8. भारत-इजराइल सम्बन्ध 22
2.9. चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (एफ.ओ.सी.ए.सी.) 22
3. अर्थव्यवस्था 24
3.1. ऋणशोधन क्षमता और दिवालियापन संहिता, 2015 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2015) 24
3.2. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट) 25
3.3. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित अवसंरचना विकास की समीक्षा पर विजय केलकर समिति की रिपोर्ट 25
3.4. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर अरविंद सुब्रमण्यन समिति की रिपोर्ट 27
3.5 इरडा व्यापार ऋण बीमा के लिए मानदंडों को उदारीकृत करेगा 27
3.6. विश्व बैंक की रिपोर्ट-अत्यधिक गरीबी का खात्मा, समृद्धि को साझा करना: प्रगति और नीतियां' 28
3.7. भारतीय रिजर्व बैंक का एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ETCD बाजार में हस्तक्षेप 29
3.8. वित्तीय समावेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 30
3.9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण 30
3.10. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment And Infrastructure Fund-NIIF) 31
3.11. भारत में भूसम्पति और पशुधन धारिता पर एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट 32
3.12. विश्व व्यापार संगठन की नैरोबी वार्ता 33
3.13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी (पीएसएल) के मानदंडों में संशोधन 34
3.14. विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनरुद्धार योजना 35
3.15. केयर्न इंडिया कंपनी कर विवाद 35
3.16. बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS-आधार ह्रास और लाभ स्थानांतरण) योजना को अपनाने के लिए भारत तैयार 37
3.17. प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा सीमेंट कंपनियों पर लगाये गए जुर्माने को रद्द किया 37
3.18. भारतीय सामरिक कच्चा तेल भंडार कार्यक्रम 38
4. सामाजिक मुद्दे 39
4.1. महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध 39
4.2. दहेज हत्यायें 39

VISION IAS

4.3. घरेलू हिंसा 40
4.4. तमिलनाडु में अर्चकों की नियुक्ति से सम्बंधित सर्वोच्च न्यायालय का विनिर्णय 40
4.5. लिंग समानता-महिलाओं का रात्रि (कार्यसमय) में कार्य करना 41
4.6. भारत में कुपोषण 41
4.7. स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली: लान्सेट रिपोर्ट 41
4.8. एच.आइ.वी. एड्स : 44
4.9. घातक शिथिलता युक्त पक्षाघात (Acute Flaccid Paralysis-ए.एफ.पी.) 45
4.10. सुगम्य भारत अभियान 46
4.11. उम्र दराज लोगों पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव 47
4.12. औषधियों की आलनाइन बिक्री 47
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 49
5.1 जर्मलाइन एडिटिंग/संपादन (Germline Editing) 49
5.2 3-D प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा कृत्रिम लीवर ऊतक का विकास 50
5.3 विश्व की प्रथम जैव-चालित (BIOLOGICALLY POWERED) चिप 50
5.4 फेसबुक का "नि:शुल्क इन्टरनेट उपयोग" 51
5.5 सर्वाइकल (ग्रीवा) कैंसर के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 51
6. पर्यावरण 52
6.1. कॉप 21 मसौदा: पेरिस समझौता 52
6.2 भारतीय दीर्घावधिक पारिस्थितिकी वेधशालायें (आई-एलटीइओ) 53
6.3 हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि तथा इसके परिणाम 53
6.4. भारत में पर्यावरणीय अपराध 53
7. सुरक्षा 54
7.1. आतंकवाद का वित्तपोषण (Terror Financing) 54
7.2. आई.एस.आई.एस. और अल-कायदा की वित्तीय मदद को समाप्त करने का यू.एन.एस. सी. का प्रस्ताव 54
7.3. आतंकी वित्तपोषण तथा मनी लॉन्डरिंग की समस्या से निपटने की भारत की रणनीति : 55

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और प्रशासन

1.1. राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015

सुर्ख़ियों में क्यों?

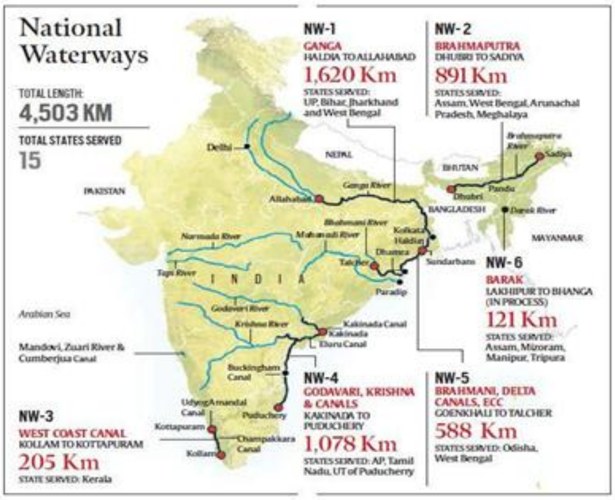

- सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया है।
- यह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति की अनुशंसाओं और राज्य सरकारों की समीक्षा पर आधारित है।
- इस संशोधन के अंतर्गत **106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों** को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में इनकी संख्या 5 है, इस संशोधन के बाद इनकी कुल संख्या बढ़कर 111 हो जाएगी।
- वर्तमान 5 राष्ट्रीय जलमार्ग भी इस विधेयक के दायरे में आएंगे।

इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर चिंताएं:

- **फंड (निधि):** फंड और लागत के प्रति बिना किसी प्रतिबद्धता के 106 अतिरिक्त जलमार्गों की घोषणा को, जल्दीबाजी में उठाया गया कदम माना जा रहा है। साथ ही यह वर्तमान (आई.डब्ल्यू.ए.आई.) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की भावना के भी विरुद्ध होगा।
- **विचलन:** यह (आई.डब्ल्यू.ए.आई.) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों से एक तरह का विचलन है, क्योंकि इसके तहत पानी, नदी तल और संबंधित भूमि के उपयोग से प्राप्त अधिकर को राज्य सरकार को सौंपने का प्रावधान है। (आई.डब्ल्यू.ए.आई) अधिनियम, 1985 की धारा 14 (1) नौवहन और नौचालन हेतु जलमार्ग के विकास में संबंधित भूमि और नदी तल के संबंध में केंद्रीय सरकार की शक्तियों से संबंधित है।
- **विकास:** ऐसे समय में जब कम उत्पादकता, निजी नौवहन क्षेत्रक की बहुत कम भूमिका और अवसंरचना जैसे कारकों के कारण राष्ट्रीय जलमार्गों में जल परिवहन का विकास अवरुद्ध रहा है, राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि तथा राज्यों को वित्तीय दायित्व और कार्यों का अनुचित प्रत्यायोजन वास्तव में इस क्षेत्र के लिए हानिकर होगा।

नियामकीय प्रावधान:

- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985** नौवहन और नौचालन के विकास की संभावनाओं वाले जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने और कुशल नौवहन तथा नौचालन के लिए इस प्रकार के जलमार्गों का विकास करने हेतु सरकार को समर्थ बनाता है।
- देश में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और नियमन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना अक्टूबर, 1986 में की गई थी।

अंतर्देशीय जल परिवहन के लाभ:

- अंतर्देशीय जल परिवहन को ईंधन दक्षता तथा आर्थिक लागत की दृष्टि से परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त रूप माना जाता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जहाँ 1 लीटर ईंधन अंतर्देशीय जल परिवहन से 105 टन/किमी स्थानांतरित कर सकता है वहीं ईंधन की उतनी ही मात्रा रेल से केवल 85 टन/किमी और सड़क मार्ग से 24 टन/किमी स्थानांतरित कर सकती है।
- अध्ययनों से पता चला है कि जलमार्गों द्वारा माल ढोये जाने के दौरान कंटेनर जहाजों से होने वाला <u>उत्सर्जन</u> 32 से लेकर 36 ग्राम CO2 प्रति टन/किमी है जबकि सड़क परिवहन वाले वाहनों (भारी वाहनों) से होने वाला उत्सर्जन 51 से लेकर 91 ग्राम CO2 प्रति टन/किमी है।
- भारत में <u>14,500 किलोमीटर नदी चैनल नौगम्य</u> (नौवहन योग्य) हैं जिसमें से 3,700 किमी मशीनीकृत नावों द्वारा प्रयोग करने योग्य है। लेकिन वास्तव में, केवल 2000 किमी का उपयोग हो रहा है। भारत में 4300 किमी की कुल नहरी लंबाई में से 900 किमी नौगम्य है, लेकिन केवल 330 किलोमीटर का उपयोग किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय जलमार्गों की शीघ्र घोषणा और उसका अनुवर्ती विकास जलमार्ग के साथ लगे हुए दूरदराज के इलाकों के **औद्योगिक विकास और पर्यटन** संभावनाओं को बढ़ावा देंगे।
  इसके अतिरिक्त, सड़कों पर **<u>कम दुर्घटनाएं और कम भीड़भाड़</u>** अन्य लाभों में सम्मिलित हैं।

अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याएं:

- नदियों के जल स्तर में मौसमी गिरावट होती है, विशेष रूप से प्रायद्वीप की वर्षा पोषित नदियों में जोकि गर्मियों के दौरान लगभग सूख जाती है।

VISION IAS

- सिंचाई के लिए नदी जल की दिशा परिवर्तित करने से प्रवाह में कमी आई है। उदाहरण के लिए, गंगा में, जहां स्टीमरों को चलाना भी कठिन हो जाता है।

Constitutional provisions

Below are some provisions of the Constitution related to national waterways and entries related to shipping and navigation:

LIST I — UNION LIST

ENTRY-24 Shipping and navigation on inland waterways, declared by Parliament by law to be national waterways, as regards mechanically propelled vessels; the rule of the road on such waterways.

ENTRY-30 Carriage of passengers and goods by railway, sea or air, or by national waterways in mechanically propelled vessels.

ENTRY-56 Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

LIST II - STATE LIST

ENTRY-56 Communications, that is roads, bridges, ferries, and other means not specified in List I; municipal tramways; ropeways; inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List I and List III which regard to such waterways; vehicles other than mechanically propelled.

ENTRY-17 Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I.

LIST III — CONCURRENT LIST

ENTRY-32 Shipping & navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the rule of the road on such waterways, and the carriage of passengers and goods on inland waterways subject to the provisions of List I.

ENTRY-30 Carriage of passengers and goods by rail, sea or air, or by national waterways in mechanically propelled vessels.

- गाद के जमाव के कारण नौगम्यता कम हो जाती है जैसा कि भागीरथी-हुगली में और बकिंघम नहर के मामले में है।
- झरनों और जलप्रपातों के कारण निर्बाध नौवहन में समस्याएं आती हैं, जैसा कि नर्मदा और ताप्ती के मामले में है।
- विशेष रूप से तटीय भागों में लवणता के कारण नौवहन प्रभावित होता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग के विषय में लिखें। (30 से अनधिक शब्दों में) (प्रश्न 4 (b), 2009)

1.2. शैक्षणिक नेटवर्क की वैश्विक पहल (GIAN)

सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक नेटवर्क की वैश्विक पहल (जी.आई.ए.एन.) शीर्षक से एक नए कार्यक्रम का अनुमोदन किया है जिसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा की

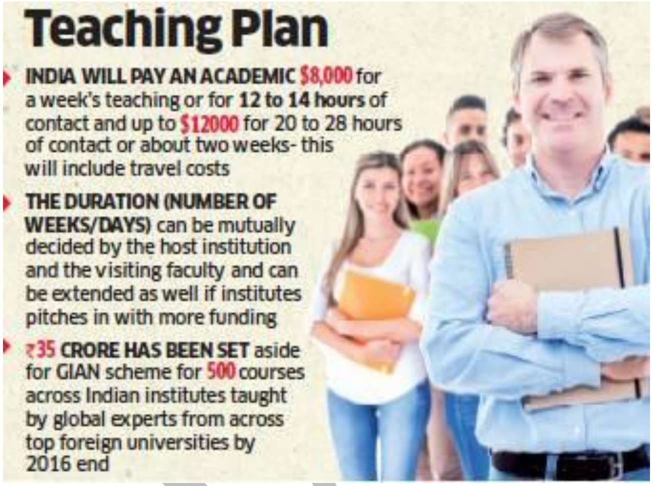

<u>गुणवत्ता को बढ़ावा</u> देना है।

- देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्प्रेरित करने के लिए ज्ञान (जी.आई.ए.एन.) की परिकल्पना की गई है, और आरंभ में इसमें सभी आई.आई. टी., आई.आई.एम., केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आई.आई.एस.सी. बंगलुरु, आई.आई.एस.ई.आर., एन.आई.टी. और आई.आई.आई.टी. सम्मिलित होंगे और आगे चलकर उत्कृष्ट राज्य विश्वविद्यालयों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
- रूस, जापान, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे 38 देशों के विभिन्न संकायों (फैकल्टी) द्वारा पाठ्यक्रम संचालन किया जायेगा और भारतीय संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जायेगा।
- मेजबान संस्थान के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निशुल्क हैं, दूसरी संस्थाओं के छात्रों के लिए नाममात्र का शुल्क होगा और साथ ही सीधा वेब प्रसारण भी होगा।
- बाद में इन व्याख्यानों को स्टडी वेब्स ऑफ़ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से देश भर के छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण और ऑनलाइन आंकलन के लिए आई.आई.टी. खड़गपुर ने वेब पोर्टल (gian.iitkgp.ac.in) भी डिजाइन किया है।
- आई.आई.टी. खड़गपुर इस प्रमुख कार्यक्रम का नोडल संस्थान और राष्ट्रीय समन्वयक है।

जी.आई.ए.एन. से लाभ:

- हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का समावेश होगा।

- संपूर्ण विश्व के सबसे अच्छे शैक्षणिक और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से छात्रों और फैकल्टी की अंतक्रिया संभव बनाने में सहायता मिलेगी।
- भारतीय समस्याओं पर काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए उनके अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हित के उभरते विषयों में नए शैक्षणिक तरीकों को विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे अग्रणी भारतीय संस्थानों में शिक्षकों की कमी की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। चूंकि भारत में परिसर स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने वाला विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक अभी पारित किया जाना है, अत: (जी.आई.ए.एन.) भारतीय संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायता करके इस अंतराल को पाटने में सहायता कर सकता है।
- संबंधित क्षेत्रों में समझ में सुधार लाने और अपने ज्ञान को अद्यतन बनाने में भारतीय उद्योग के तकनीकी व्यक्तियों के लिए अवसर उपलब्धं कराने में सहायता मिलेगी।

चिंताएं:

- विजटिंग फैकल्टी (संकायों) के लिए अधिक पारिश्रमिक।
- अपने फैकल्टी को बाहर पाठ्यक्रम संचालन से वर्जित करने वाले कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों द्वारा <u>कॉपीराइट और व्याख्यान की रिकॉर्डिंग</u> को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गयी हैं।

1.3. आईसीटी विकास सूचकांक (आई.डी.आई.)

<u>सुर्ख़ियों में क्यों?</u>

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच के स्तर की गणना करने वाले वैश्विक सूचकांक में **<u>167 राष्ट्रों में भारत को 131वां स्थान</u>** प्राप्त हुआ है।
- 2010 के आई.डी.आई. रैंकिंग की तुलना में भारत के रैंक में छह स्थानों की गिरावट आई है।
- भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उन्नत पैठ के बावजूद भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है:
- आई.सी.टी. पहुंच उप-सूचकांक का उपयोग आई.सी.टी. तत्परता का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसमें **<u>पांच संकेतक</u>** सम्मिलित हैं-
    - फिक्स्ड टेलीफोन सब्सक्रिप्शन
    - मोबाइल सेलुलर टेलीफोन सब्सक्रिप्शन
    - प्रति इंटरनेट उपयोगकर्ता अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ
    - कंप्यूटर वाले परिवारों का प्रतिशत
    - इंटरनेट तक पहुंच वाले परिवारों का प्रतिशत।

भारत के निम्न रैंकिंग का कारण

- **फिक्स्ड टेलीफोन सब्सक्रिप्शन:** 'फिक्स्ड टेलीफोन सब्सक्रिप्शन' प्रति 100 निवासियों पर फिक्ड टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या की माप करता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत जैसे देश के लिए यह मान काफी कम है।
- **इंटरनेट तक पहुंच वाले परिवारों का प्रतिशत:** इंटरनेट कैफे के प्रसार और ई-चौपाल जैसे कॉर्पोरेट पहलों पर विचार नहीं किया गया है।
- **एस.एम.एस. का प्रयोग:** इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पँहुच सूचकांक आई.डी.आई. में शामिल नहीं किया गया है। एस.एम.एस. आधारित फसल तथा मौसम के बारे में सूचना और आर्थिक सहायता की एस.एम.एस. आधारित (डी.बी.टी.) जैसी पहलें आम जनता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के उदाहरण हैं, इन प्रयासों का लाभ विशेष रूप से उन लोगों तक भी पंहुचेगा। जिनकी कंप्यूटर या इंटरनेट तक पहुँच नहीं हो पाई है।
- **इंटरनेट बैंडविड्थ.** देशों का मूल्यांकन 787 केबीपीएस के संदर्भ मान वाले प्रति इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट बैंडविड्थ के मापदंड पर किया गया है। आधारभूत इंटरनेट बैंडविड्थ के साथ काम करने वाली ई-गवर्नेंस पहलों के सफल कार्यान्वयन पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसने अनावश्यक रूप से, कई विकासशील देशों की रैंकिंग गिरा दी है।

<u>आई.डी.आई. से संबंधित तथ्य:</u>

- इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह एक मानक साधन है, जिसके द्वारा विभिन्न सरकारें, संचालक, विकास अभिकरण, शोधकर्ता और अन्य लोग देशों के भीतर और देशों के बीच डिजिटल डिवाइड की माप करने और आई.सी.टी. प्रदर्शन की तुलना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास सूचकांक तीन समूहों : पहुँच, उपयोग और कौशल में बंटे 11 आईसीटी संकेतकों पर आधारित है।

1.4. सी.वी.सी. और सी.बी.आई. का लोकपाल के अंतर्गत एकीकरण

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) की भ्रष्टाचार निरोधक इकाईयों को लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है।

<u>टिप्पणियां और अनुशंसाएँ:</u>

- वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में (सी.वी.सी.) लोकपाल और यहां तक कि सी.बी.आई. के अधिकार क्षेत्र और कार्यों में परस्पर व्यापन हो रहा है जिससे गंभीर कार्यात्मक समस्या उत्पन्न हो सकती हैं।
- वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत किसी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत का लोकपाल, सी.वी.सी., सी.बी.आई. और उसके संगठन की सतर्कता इकाई जैसी कई एजेंसियों द्वारा

VISION IAS

अक्सर एक साथ जांच किया जाता है जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है अथवा हो सकती है।

- इस रिपोर्ट में कहा गया कि लोकपाल को जांच, अन्वेषण और अभियोजन के संचालन के लिए दोनों संगठनों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार की एकीकृत संरचना भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने और सरकारी खजाने पर कम से कम वित्तीय बोझ डालने के लिए अधिक शक्तिशाली निकाय होगी।
- इस प्रकार के एकीकरण के साथ-साथ लोकपाल और सीवीसी के कार्यों को स्पष्ट तौर पर उल्लिखित करने के लिए भी केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है ताकि इनके सुचारू कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके और इस संबंध में प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके।
- प्रतिपक्ष का कोई भी मान्यता प्राप्त नेता न होने की स्थिति में लोकसभा में अकेले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने वाले पैनल के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- "संदेह और अविश्वास पूर्ण औपनिवेशिक सोच" को प्रतिबिंबित करने वाले वर्तमान नियमों, जिसके अंतर्गत सरकारी सेवकों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा की जाती है, की समीक्षा की जाए क्योंकि "वर्तमान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध रक्षोपाय की तुलना में सरकारी सेवकों को तंग करने के लिए अधिक किया जा रहा है।"
- समिति का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों से निपटने के लिए सी.बी.आई. को बार-बार निर्देश देने से आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत लोगों के लिए उपलब्ध अधिकार और उपचार व्यर्थ हो जाते हैं।

1.5. दक्षिण एशिया में राजनीतिक वित्त विनियमन पर नई दिल्ली घोषणा पत्र, 2015

हाल ही में 'राजनीति में धन का प्रयोग एवं जन प्रतिनिधित्व पर उसका प्रभाव' नामक शीर्षक पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का अंततः दक्षिण एशिया में राजनीतिक वित्त विनियमन पर नई दिल्ली घोषणापत्र, 2015 के अंगीकरण के साथ समापन हुआ।

- यह सम्मेलन भारतीय निर्वाचन आयोग, इंटरनेशनल आइडिया (एक अंतर्सरकारी निकाय जिसमें भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है) और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आई.आई.आई.डी.ई.एम.) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- दक्षिण एशिया में राजनीतिक वित्त विनियमन पर नई दिल्ली घोषणापत्र, 2015, संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र और विश्व में अन्यत्र कहीं भी राजनीतिक वित्त (धन की असमान उपलब्धता या उसके प्रयोग) के विनियमन को सशक्त करने की आवश्यकताओं की अनुक्रिया के परिणामस्वरूप है। यह सभी राजनीतिक दलों को एक समान कार्य क्षेत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंततः विशेष हितों के स्थान पर लोकहित के प्रयोजन को पूरा करने पर केंद्रित है।
- इसमें **नौ व्यापक (अति-महत्त्वपूर्ण) सिद्धांत समाहित** हैं जैसे विनियमन के प्रति समग्र दृष्टिकोण, सर्व-समावेशी उपचार, निगरानी के अंतरालों का समापन, चुनावी लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुसाध्य करने के साथ-साथ हितधारकों और एजेंसियों के साथ प्रयासों को समन्वित कराना इत्यादि।
- ये व्यापक सिद्धांत वर्तमान प्रक्रियाओं और विनियमनों के कार्यान्वयन में अंतरालों और बचाव के रास्तों को बन्द कर राजनीतिक वित्त विनियमन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण समाहित रखते हैं।
- यह व्ययों और योगदानों की निगरानी के लिए एक उन्नत संरचना बनाकर सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एकरूपता निर्मित करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है।
- इस घोषणा पत्र में व्यय के उचित स्तरों को प्रबंधित करने, निजी योगदानों के विनियमन और राजनीतिक दलों के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण के प्रावधान निहित है। घोषणापत्र में राज्य संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम, राजनैतिक वित्त के सार्वजनिक प्रकटीकरण, विनियामक प्राधिकरण, अनुपालन और प्रवर्तन इत्यादि के लिए नौ विनियमन और कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश भी हैं।
- ये व्यापक सिद्धांत और दिशा-निर्देश जो कि घोषणा पत्रों की अनुशंसाए हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ई.एम.बी.) में स्थानीय संदर्भों के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्रों में उचित उपयोग हेतु प्रचारित किए जायेंगे।

राजनीति में धन को विनियमित करने की आवश्यकता:

- कार्यालय संचालन की निरंतर बढ़ती लागतें इस क्षेत्र में लोगों को चुनाव लड़ने से निवारित कर रही हैं। व्ययों की निर्धारित सीमाएं अर्थहीन हैं और सामान्यतः इनका कभी भी पालन नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, अच्छे और ईमानदार लोगों का विधानमंडलों में प्रवेश कठिन हो जाता है।
- यह राजनैतिक कार्यक्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार कार्य निष्पादन को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है तथा देश में गैर-कार्य निष्पादन और संकटपूर्ण प्रशासन का एक प्रमुख कारण बन जाता है।
- महिलायें जो सम्पूर्ण जनसंख्या का आधा भाग हैं, उनका प्रतिनिधित्व अभी भी न्यून है क्योंकि उनमें चुनाव लड़ने के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता की कमी है।

1.6. मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2015 संसद द्वारा पारित

पृष्ठभूमि:

- मध्यस्थता संबंधी नियमों की भारत में अक्सर लचर, महंगा और अप्रभावी होने के कारण आलोचना की जाती है। यही कारण है

VISION IAS

कि अनेक विदेशी कम्पनियां लम्बी चलने वाली मुकदमेबाजियों के कारण भारत में व्यापार करने में संकोच करती हैं।

- विश्व बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2016 के अंतर्गत अनुबंध को लागू करने की दृष्टि से भारत को 189 देशों में 178वां स्थान प्रदान किया गया था।
- इससे पहले घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और विदेशी मध्यस्थता संबंधी निर्णयों को लागू करने और सुलह या उससे संबंधित या आकस्मिक मामलों संबंधी कानून को परिभाषित करने के लिए **सुलह संशोधन विधेयक, 1996** को अधिनियमित किया गया था।
- **भारत के विधि आयोग ने अपनी 246वीं रिपोर्ट में** मध्यस्थता की प्रक्रिया को अधिक तीव्र, मूल्य प्रभावी, न्यायालयों के हस्तक्षेपों को कम करने वाला बनाने और मध्यस्थता संबंधी निर्णयों के प्रवर्तन को सरल बनाने हेतु अनुशंसाएं की थी।

मध्यस्थता क्या है?

यह विभिन्न एक कार्यप्रणाली है जिसमें पक्षों की सहमति से एक या अधिक मध्यस्थों के सम्मुख विवाद प्रस्तुत किया जाता है, जो विवाद के विषय में बाध्यकारी निर्णय प्रदान करता है/करते है/हैं। मध्यस्थता का चयन कर, विभिन्न पक्ष न्यायालय जाने के स्थान पर निजी विवाद समाधान प्रक्रिया का विकल्प चुनते हैं।

इस संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएँ:

- यह पक्षों को भारत से बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्राप्त करने में सक्षम करता है और यदि विभिन्न पक्ष असहमत न हों तो वे भारतीय अदालतों में भी अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए पहुँच सकते हैं।
- मध्यस्थ न्यायाधिकरण को 12 महीने में अपना निर्णय दे देना होगा। विभिन्न पक्ष इस अवधि को छ: महीने तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद, इसकी अवधि को पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाने पर केवल न्यायालय द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है।
- अवधि को बढ़ाने के दौरान न्यायालय मध्यस्थों के शुल्क में कमी करने का आदेश भी दे सकता है, यह कमी विलम्ब के प्रत्येक महीने के लिए पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती और यदि मध्यस्थता की प्रक्रिया छ: महीने के अंदर पूरी हो जाती है तो दोनों पक्षों की सहमति से अतिरिक्त शुल्क प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।
- मध्यस्थता के संचालन के लिए एक फास्ट ट्रैक कार्यप्रणाली का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के प्रकरण में छ: महीने की अवधि में निर्णय देने होंगे।
- मध्यस्थ न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अर्जी (आवेदन) दायर करने मात्र से हीं ऐसे निर्णयों के कार्यान्वियन पर स्वत: रोक नहीं लग पायेगी, अपितु इसके लिए सक्षम प्राधिकरण से आदेश प्राप्त करना होगा।
- मध्यस्थता-निर्णय को जिन आधारों पर चुनौती दी जाएगी, उसके सबंध में इस संशोधन द्वारा 'भारत की सार्वजनिक नीति' पद के प्रभाव क्षेत्र को– धोखाधड़ी द्वारा प्रेरित या प्रभावित; भारत की मूलभूत नीति के उल्लंघन में; नैतिकता या न्याय की सर्वाधिक आधारभूत धारणाओं के विरोध में, इत्यादि तक सीमित कर दिया है।
- निर्णय को चुनौती देने वाले अर्जी का न्यायालय द्वारा एक वर्ष के भीतर निपटारा किये जाने के संबंध में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है।
- मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन का निपटारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा और 60 दिनों के अन्दर उक्त मामले का निपटारा करने का प्रयास किये जाने संबंधी प्रावधान शामिल किये गए हैं।
- यह संशोधन मध्यस्थ के शुल्क पर एक उच्चतम सीमा निर्धारित करता है।
- यह लागतों को अधिरोपित करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को व्यापक अधिकार देता है, पुनः इसके माध्यम से असफल पक्ष द्वारा सफल पक्ष को लागतों का भुगतान करने के सामान्य नियम का पुर:स्थापन किया गया है।
- मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को ऐसे किसी भी संबंध या किसी भी प्रकार के लाभ का खुलासा करना होगा, जिसके कारण उस पर संदेह उत्पन्न होने की संभावना हो।

सी.एस.ई. मुख्य परीक्षा 2015:

Q. राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रख्यापित अध्यादेश द्वारा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में कौन से बड़े परिवर्तन किए गए है? इससे भारत के विवाद समाधान तंत्र में कितना सुधार होगा ? चर्चा कीजिए।

1.7. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति

- 16 दिसंबर को, लोकायुक्त की नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकार को दी गई समय सीमा समाप्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वीरेन्द्र सिंह की उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति करने का असाधारण कदम उठाया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अप्रैल 2014 से इसके द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन करने में राज्य सरकार की असफलता के कारण **यह अनुच्छेद 142** के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विवश हो गया था।

- न्यायालय ने कहा कि "आश्चर्यजनक" परिस्थितियों के कारण अनुच्छेद 142 के अंतर्गत यह अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विवश हो गया था क्योंकि इस न्यायालय की सभी आशाएँ और अपेक्षाएँ व्यर्थ हो गई थीं और राज्य सरकार द्वारा इन पर ध्यान भी नहीं दिया गया था।

पृष्ठभूमि

- एन.के. मेहरोत्रा को 16 मार्च 2006 को लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। उनका छः वर्ष का कार्यकाल 15 मार्च, 2012 को समाप्त हो गया, किन्तु राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर उनके कार्यकाल को दो वर्ष बढ़ा दिया था।
- उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल भी 2014 में समाप्त हो गया, किन्तु मेहरोत्रा अपने पद पर बने रहे क्योंकि सदन में 2012 में पारित उत्तर प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम में यह प्रावधान है कि "अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, जब तक उस पद पर उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक लोकायुक्त पदभार वहन करेगा।" कुल मिलाकर, एन.के. मेहरोत्रा ने 9 वर्ष और 9 महीने तक सेवा प्रदान की।
- इस संशोधन अधिनियम को न्यायालय में चुनौती दी गई, किन्तु 24 अप्रैल, 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों के पदों के लिए यथासंभव छः महीने की अवधि में नए पदाधिकारी का चयन करने हेतु हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया।
- न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में उत्तर प्रदेश सरकार की बारम्बार असफलता के बाद 16 दिसम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने चयन समिति के समक्ष विचाराधीन पाँच नामों में से लोकायुक्त पद के लिए वीरेन्द्र सिंह का चयन कर दिया।

अनुच्छेद 142

- सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के दौरान अपने समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु आवश्यकता होने पर तदर्थ डिक्री पारित कर सकता है या आदेश जारी कर सकता है।

1.8. अरूणाचल प्रदेश विवाद

<u>सुर्ख़ियों में क्यों?</u>

- राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र को एक महीने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और सदन की पहली बैठक में विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य विधानसभा में मतदान किए जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए। इस कार्यवाही ने अरूणाचल प्रदेश में संवैधानिक संकट उत्पन्न कर दिया।
- **संविधान के अनुसार** राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानसभा का आह्वान करने, सत्रावसान करने और भंग करने की शक्ति है, परन्तु राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।

सी.एस.ई. मुख्य परीक्षा 2008:

Q. राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

1.9. संचित निधि पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय कर वापसी पर ब्याज भुगतान करने के दौरान, संवैधानिक प्रावधानों का "उल्लंघन" करते हुए वर्ष 2014-15 के दौरान 5000 करोड़ रुपए से अधिक और पिछले छः वर्षों में 42,903 करोड़ की राशि प्राप्त करता रहा है।
- चुकि करों की वापसी पर ब्याज का भुगतान भारत की संचित निधि (सी.एफ.आई.) के माध्यम से या उससे किया जाता है, इसलिए संचित निधि से ब्याज के भुगतान के लिए धन की निकासी हेतु अनुच्छेद 114(3) के अंतर्गत संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- राजस्व विभाग /केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अतिरिक्त करों की वापसी पर ब्याज भुगतान को राजस्व में कमी के रूप में वर्गीकृत करता रहा है, जो एक गलत प्रथा है।
- लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.)(जिसने इस मामले का परीक्षण किया) ने वर्ष 2013-14 में वित्त मंत्रालय को एक ऐसी युक्तियुक्त कार्यविधि हेतु प्रयत्न करने की सलाह दी थी जिससे कि करों की वापसी पर ब्याज भुगतानों को वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया जाए और तत्पश्चात अनुदान की मांग कर संसद की सहमति प्राप्त की जाए।

सी.एस. ई. प्रारम्भिक 2011

भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होना चाहिए-

(a) भारत का राष्ट्रपति

(b) भारत की संसद

(c) भारत का प्रधानमंत्री

(d) केंद्रीय वित्त मंत्री

<u>भारत की संचित निधि क्या है?</u>

यह एक ऐसी निधि है जिसमें सभी प्राप्तियों को क्रेडिट (जमा) किया जाता और सभी भुगतानों को डेबिट (नाम) किया जाता है। संसदीय विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता।

VISION IAS

1.10. रक्षा क्षेत्र में सुधार

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान सामरिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए 226 सैन्य हेलीकॉप्टरों के संयुक्त निर्माण के एक मसौदे की घोषणा की गई।
- इतने बड़े स्तर की रक्षा खरीद, भारत के लिए अब बहुत सामान्य बात हो गई है और भारत, विश्व में हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक बन गया है।

भारतीय रक्षा विनिर्माण के समक्ष चुनौतियाँ

- रक्षा बजट, केंद्र सरकार के कुल व्यय का 13 प्रतिशत और जीडीपी का प्रायः 2 प्रतिशत है।
- स्वदेशी अधिग्रहण बहुत कम (35%) है, अतः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक करना होगा।
- भारत अपनी उपकरण आवश्यकताओं का प्रायः 70% विदेश से खरीदता है।
- पूंजीगत व्यय के लिए जारी किया जाने वाला बजट का प्रायः 40%, वर्तमान में इन तीनों रक्षा सेवाओं में से प्रत्येक में उपकरण आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में लगा दिया जाता है।
- रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में डिफेंस पी.एस.यू. और आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) का प्रभुत्व है। रक्षा विनिर्माण में कुल मिलाकर इन दोनों की 90% की हिस्सेदारी है।
- रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक इकाईयां (पी.एस.यू.), मुख्य रूप से विदेशी प्रणालियों के समेकन का माध्यम बन गयी हैं लिए स्थानीय समाकलक बन गए हैं।
- **भारत का आयात, चीन से तीन गुना है।**

आगे की राह

- 'मेक इन इंडिया' के बैनर तले घरेलू रक्षा क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण और विकास करना।
- निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक समान अवसर की उपलब्धता सुनश्चित करना।
- निजी क्षेत्र में नवजात क्षमताओं का पोषण करना।
- सुप्रशिक्षित जनशक्ति का निर्माण करने और एक सुदृढ़ सैन्य-औद्योगिक परिसर का निर्माण करने के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करना।
- एक स्वदेशी सैन्य परिसर, रक्षा सौदों में अधिक पारदर्शिता ला सकता है और भ्रष्टाचार को कम कर सकता है।
- निजी क्षेत्र को उस भूमिका को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो ये रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण में निभा सकते हैं।
- अनुसंधान प्रतिष्ठानों, आयुध कारखानों, डिफेंस इकाईयां (पी.एस.यू.) और निजी क्षेत्र के बीच रक्षा खरीद के संबंध में एक सामान्य रूपरेखा।
- निर्णय प्रक्रिया को अधिक सरल, अधिक तीव्र और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को भी संबोधित करने और उसमें सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है।
- रक्षा लाइसेंसिंग और एफडीआई अनुमोदन के लिए एकल खिड़की का निर्माण करना।
- खरीद प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने की आवश्यकता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में उदारीकरण की पहले ही घोषणा की जा चुकी है तथा एफ.डी.आई. सीमा को बढ़ा कर 49% कर दिया गया है।
- योजना, प्रशिक्षण, खरीद और संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के बीच अधिक से अधिक समन्वय।

1.11. रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया'

- 'मेक इन इंडिया' की सहायता से सरकार का उद्देश्य भारत में 70% या उससे भी अधिक रक्षा उपकरणों का विनिर्माण करना है।
- यह रक्षा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी दोनों तरह के आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक विशाल अवसर प्रदान करता है।
- रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को सुगम बनाने के लिए एक नीतिगत रूपरेखा विकसित करने के लिए **रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति** ने कई अनुशंसाएं की हैं।

धीरेन्द्र सिंह समिति की रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं:

सामरिक भागीदारी मॉडल

- समिति ने भारतीय परिदृश्य के संदर्भ में तीन मॉडलों की सलाह दी है-सामरिक भागीदारी, विकासात्मक भागीदारी और प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी।
- समिति के अनुसार, ऐसे मॉडल का चयन "सामरिक आवश्यकताओं, गुणवत्ता की गंभीरता और लागत प्रतिस्पर्धा" के आधार पर किया जाना चाहिए।

उद्योग अनुकूल खरीद प्रणाली

- अधिग्रहण प्रक्रिया और संरचना को सरल एवं कारगर बनाना ताकि स्थानीय उद्योग के लिए अधिक से अधिक अवसरों का निर्माण हो सके।
- खरीद प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो रक्षा उपकरणों की अद्वितीय और सामरिक प्रकृति को मान्यता दे सके।
- स्थानीय उद्योग के पास सशस्त्र बलों की दीर्घकालिक उपकरण आवश्यकता के विषय में साथ ही उनकी प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

VISION IAS

अधिक से अधिक स्वदेशीकरण पर जोर

- 'मेक इन इंडिया' को बगैर बोद्धिक संपदा (आई.पी.आर.) और डिजाइन नियंत्रण प्रावधानों के केवल भारत में उत्पादों के असेम्बल करने पर ही केंद्रित नहीं रहना चाहिए।
- रक्षा खरीद प्रक्रिया को एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना चाहिए जहाँ डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, निर्माण, रखरखाव, उन्नयन और निर्यात क्षमताएं फल-फूल सके।
- "बनाएं, खरीदें (भारतीय) और खरीदें एवं बनाएं (भारतीय)" [मेक, बाइ (इंडियन), बाइ एंड मेक (इंडियन)] श्रेणी के पक्ष में एक सूझ-बूझ भरा बदलाव सुनिश्चित करना, साथ ही स्वदेशी सामग्रियों में महत्वपूर्ण वृद्धि भी सुनिश्चित करना।

मानव संसाधन विकास

- ऑफसेट मार्ग के तहत कौशल विकास को सक्षम बनाने के लिए एक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र कौशल परिषद् की स्थापना करना, रक्षा उद्योग क्लस्टरों के आस पास उपकरण कक्षों की स्थापना करना और सैन्य इंजीनियरिंग के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम अथवा कोर्स की शुरुआत करना।

अनुकूल वित्तीय रूपरेखा

- स्थानीय उद्योग, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में व्यापार करने के लिए निजी क्षेत्र के लिए अनुकूल वित्तीय रूपरेखा के निर्माण पर जोर।
- करों, शुल्कों, भुगतान शर्तों, विनिमय दर भिन्नता और पूँजी की लागत के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के उत्पादों की तुलना में निजी क्षेत्र के उत्पादों को अप्रतिस्पर्धी बना देते हैं।

1.12. दंड अथवा सजा का परिहार (REMISSION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सातों हत्यारों को मुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के निर्णय को अस्वीकार कर दिया।
- संवैधानिक पीठ ने तमिलनाडु सरकार के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि इन सातों कैदियों के 'परिहार' के आधार पर मुक्त होने की आशा का हनन नहीं किया जाना चाहिए।

दंड का परिहार

- इसका अर्थ होता है- सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना सजा की अवधि को कम करना।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 72 के अंतर्गत** राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा प्रदान कर सकते हैं जिन्हें आजीवन कैद की सजा या मौत की सजा सुनाई गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, राज्यपाल के पास भी क्षमा करने का अधिकार होता है।

न्यायिक निर्णय का आधार

- राजीव गांधी के हत्यारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, चूकि यह मामला सी.बी.आई. अथवा अन्य केंद्रीय एजेंसी से जुड़ा हुआ है, अतः आजीवन कैद की सजा भुगतने वाले दोषियों को क्षमा दी जानी चाहिए अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार" केंद्र सरकार में निहित होगा, न कि राज्य सरकार के पास।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के हत्यारों ने सम्पूर्ण देश की आस्था को चकनाचूर कर दिया इसलिए वे इस योग्य भी नहीं हैं कि वे इस बात की आशा कर सकें कि उन्हें एक दिन मुक्त कर दिया जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि ऐसे कठोर, निर्दयी अपराधियों के लिए आशा की किरण की अवधारणा को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है और इस तरह का विचार समाज के हित में नहीं होगा।
- इस संदर्भ में शीर्ष न्यायालय एक **"विशेष श्रेणी की सजा"** की वैधता पर सुनवाई कर रहा था जिसके आधार पर संवैधानिक न्यायालय किसी जघन्य अपराध जैसे-बलात्कार, डकैती, सामूहिक बलात्कार और आतंकी कृत्यों में दोषी पाए गए व्यक्ति को अनिवार्य रूप से बिना किसी परिहार के 20 से 40 वर्ष के लिए जेल भेज सकें।

न्यायिक निर्णय का महत्व

- न्यायालय ने राज्य सरकारों को परिहार संबंधी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किये बिना 14 वर्ष से अधिक की एक निर्दिष्ट अवधि तक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दण्डित किए गए व्यक्ति को समय से पहले मुक्त करने के उनके वैधानिक परिहार अधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया है।
- इस निर्णय के द्वारा उस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया है कि प्रत्येक दोषी को परिहार के आधार पर मुक्त किए जाने की आशा रखनी चाहिए।
- राज्य सरकार को अब अपराधियों को मुक्त करने के लिए अपने क्षमा करने के (वैधानिक) अधिकार का प्रयोग करने से पहले केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा जांच के मामलों में **केंद्र सरकार की सहमति** प्राप्त करनी होगी।
- कैदियों को राजनेताओं की मर्जी और पसंद के आधार पर मुक्त नहीं किया जा सकता है।
- कठोर और निर्दयी अपराधियों को 14 वर्ष के कारवास के बाद भी मुक्त नहीं किया जा सकता है।
- यह न्यायिक निर्णय, सजा को माफ करने की राज्य सरकारों की शक्ति से संबंधित कानून को भी निष्प्रभावी कर देगा, विशेष रूप से उन कैदियों की सजा को जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है और जिनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।

कानून क्या कहता है?

- न्यायमूर्ति एफ. एम. आई. कलिफुल्ला द्वारा दिए गए न्यायिक

निर्णय के अनुसार सी.आर.पी.सी. की **धारा 435 (2)** में उल्लिखित शब्द **'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' है।** इसका अर्थ यह है कि तमिलनाडु सरकार को उक्त दंड के परिहार के मामले में अपने 19 फरवरी के आदेश को जारी करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

- दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, आजीवन कैद की सजा काटने वाला दोषी, अपनी 14 वर्षों की सजा काटने के बाद परिहार के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रावधान, स्वभाव से सुधारात्मक है।
- 2008 के स्वामी श्रद्धानंद हत्या मामले में सुनाए गए फैसले में मौत की सजा के एक विकल्प के रूप में कैदियों को परिहार के लिए आवेदन करने के उनके वैधानिक अधिकार से वंचित रखते हुए 20 से 40 वर्ष की इस "विशेष सजा" का आरम्भ किया गया था।

1.13. उपकर (सेस) धन का अनुपयोग

हाल ही में जारी किए गए सरकारी वित्त से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि विभिन्न प्रयोजनों जैसे उच्चतर शिक्षा, सड़क विकास, भवन निर्माण और श्रमिकों के कल्याण, के लिए विभिन्न उपकरों के अंतर्गत सरकार द्वारा एकत्रित किया गया 1.4 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक धन अनुप्रयुक्त पड़ा हुआ है।

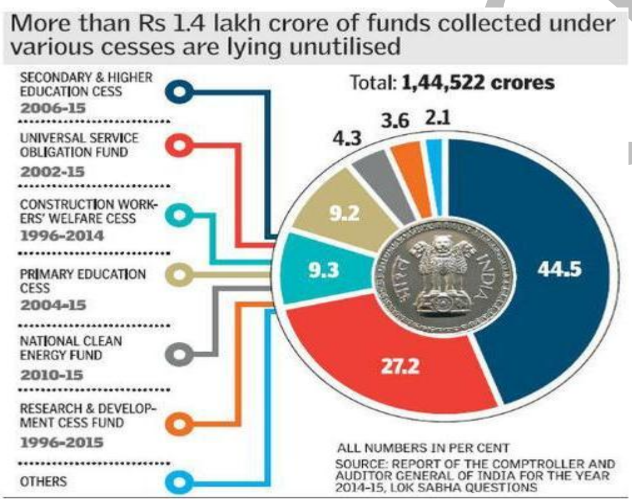

उपकर

- यह किसी विशेष प्रयोजन से सरकार द्वारा लिया उद्गृहित किया जाने वाला कर के ऊपर कर है। सामान्य रुप से उपकर को तब उद्गृहित किये जाने की आशा की जाती है जब तक सरकार को उस प्रयोजन के लिए प्रर्याप्त धन नही मिल जाता है।
- बीते वर्षो में, सरकार ने शिक्षा के प्रसार, श्रमिको के कल्याण, सड़क के विकास और अनुसंधान एवं विकास कार्यो के लिए अनगिनत उपकर लगाए है।
- उपकर की प्रकृति ऐसी होती है कि निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए धन का उपयोग न होने पर वह निष्क्रिय बनी रहती है।

चिंताएं:

- केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ इसके आगम का साझा करना नहीं पड़ता है।
- इन अनुप्रयुक्त निधियों के बावजूद, सरकार ने यह प्रदर्शित किया है कि वह अभी भी उपकरों के उद्ग्रहण हेतु उत्सुक है। इसने पहले से ही **0.5 प्रतिशत का स्वच्छ भारत उपकर** लगा रखी है। पुनः सरकार विमानन क्षेत्र में 2 प्रतिशत का क्षेत्रीय संपर्क उपकर लगाने और चीनी उत्पादन पर उपकर को बढ़ाने की योजना बना रही है।
- यद्यपि करदाताओं को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा है, फिर भी विशिष्ट सामाजिक हितों के लिए एकत्रित, इन निधियों को अन्य उपयोगों में लगा दिया गया है अथवा वे बस अप्रयुक्त रह गए हैं।
- उपकर से उद्गृहित धन के उपयोग में पारदर्शिता का अभाव।
- उपकर के कारण अर्थव्यवस्था सामान्यतः अवरुद्ध एवं विकृत हो जाती है। पुनः ये अप्रयुक्त अतिरिक्त कर जहाँ एक तरफ करदाताओं के वास्तविक आय को कम कर देते हैं, वहीं दूसरी ओर, लक्षित सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में कोई महत्वपूर्ण योगदान भी नहीं दे पाते हैं।
- प्राथमिक शिक्षा उपकर, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष, अनुसंधान एवं विकास उपकर कोष, केन्द्रीय सड़क कोष, आयकर कल्याण कोष, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण कोष और कई निष्क्रिय कोषों में 14,500 करोड़ रु अप्रयुक्त पड़े हुए हैं।

1.14. खाद्य क्षेत्रक विनियमन

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)** ने संकेत दिया है कि वह **नए विनियम जारी करके आरम्भ-पूर्व उत्पाद (प्री-लॉन्च प्रोडक्ट) अनुमोदन** की प्रणाली को पुनः प्रारंभ करेगा।

पृष्ठभूमि:

- कुछ महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्पाद अनुमोदन की प्रक्रिया** पर एफएसएसएआई द्वारा जारी किए गए आधिकारिक घोषणा को अमान्य घोषित करके **बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय** का समर्थन किया है।
- बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उत्पाद के अनुमोदन पर एफएसएसएआई की आधिकारिक घोषणा में "क़ानून का प्रवर्तन सम्मिलित नहीं था" और यह घोषणा **खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम, 2006** द्वारा इसे प्रदत्त अधिकारों से परे था।

- एफएसएसएआई ने शीर्ष अदालत के निर्णय का पालन करते हुए उत्पाद अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया।

- वैश्विक स्तर पर कंपनियों को उनके उत्पाद को बाजार में लाने के लिए नियामकों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। एफएसएसएआई ने इसका आरम्भ इसलिए किया क्योंकि यह अंतिम उत्पादों को नियंत्रित करना चाहता था।

- **उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया:** इससे पहले उत्पादों के अनुमोदन की आवश्यकता सिर्फ तभी पड़ती थी जब किसी नए अवयव या घटक को शामिल किया जाता था। लेकिन मई 2013 में एफएसएसएआई द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, स्वीकार्य सीमा के भीतर अनुमोदित अवयवों या घटकों का उपयोग किए जाने के बावजूद इसमें सभी उत्पादों को सम्मिलित कर दिया गया था।

चिंताएं:

एफएसएसएआई की हाल के इस घोषणा के बाद इस मुद्दे पर पुनः अनिश्चितता और भ्रम का वातावरण बन गया है। इसका कारण यह है कि इसकी आधिकारिक घोषणा पर न्यायालय के आदेश का सम्मान करने के बावजूद, अनुमोदन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए यह नए विनियमों के साथ आएगा।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर प्रभाव
- यह एक ऐसे क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है जिसने, प्रारंभिक अवस्था की एक लम्बी अवधि के बाद, प्रति वर्ष आठ प्रतिशत से भी अधिक अधिक दर से विकास करना आरम्भ कर दिया है।

- खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उपज के महत्व को बढ़ा देता है और शीघ्र ख़राब होने वाले उत्पादों की बर्बादी को कम करने में सहायता करता है, इसलिए ऐसे विनियम, कृषि क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं।
- उद्योग जगत इस बात को लेकर आश्वस्त रहता है कि नियामक, उत्पाद अनुमोदन प्रणाली को तब तक वापस नहीं ला सकता है जब तक क़ानून में संशोधन नहीं हो जाता है।

- नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स के विरुद्ध उठाए गए कदमों सहित, एफएसएसआई के हाल के कुछ कदमों ने उद्योग जगत में "भय का माहौल" तैयार कर दिया है, जिससे नवाचार पर नकारात्मक असर पड़ा है।
- तुच्छ आधार पर एफएसएसएआई के अधिकारियों द्वारा कंपनियों के उत्पीड़न के आरोप।
- इन घटनाक्रमों ने खाद्य संरक्षा की एक पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रणाली को स्थापित करने से संबंधित एफएसएसएआई अधिनियम के मूल उद्देश्य को मिथ्या सिद्ध कर दिया गया है।

आगे की राह

भारत का खाद्य विनियमन क़ानून अर्थात 2006 के एफएसएसएआई कानून के नियमों के तहत वास्तव में किसी नए उत्पाद को औपचारिक रूप से नियामक द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि उसकी सामग्रियां क़ानून के अनुरूप हैं। इस प्रकार खाद्य संरक्षा नियामक को वैश्विक कार्य प्रथाओं का अनुसरण करना चाहिए और उद्योग को मानकों के साथ अनुपालन को स्वयं प्रमाणित करने की अनुमति देनी चाहिए।

खाद्य नियामक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एफएसएसएआई द्वारा उठाए गए कदम

- एफएसएसएआई ने देश में खाद्य नियामक तंत्र को सुदृढ़ बनाने से संबंधित कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए नौ नए पैनलों की स्थापना की है।
- एफएसएसएआई ने परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं से मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं के लिए 12 रेफरल (सन्दर्भ) प्रयोगशालाओं और 82 राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड को अधिसूचित भी किया है।

1.15. गुजरात श्रम क़ानून (संशोधन) विधेयक 2015

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति ने गुजरात श्रम क़ानून (संशोधन) विधेयक 2015 को मंजूरी दे दी है।

विधेयक से संबंधित विवाद

- इस विधेयक का लक्ष्य गुजरात में लागू होने वाले श्रम कानूनों में कुछ प्रावधानों में संशोधन करना है जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम, ठेकेदारी श्रम अधिनियम और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम इत्यादि शामिल है।

VISION IAS

- सरकारी एजेंसी में कुछ पैसे जमा कर **"न्यायालय के बाहर"** श्रमिकों और प्रबंधन के बीच के विवादों के **निपटान का प्रावधान**।
- इस प्रावधान के पक्ष में दिया गया तर्क - इससे अनावश्यक और अनगिनत तथा लंबी चलने वाली मुकदमेबाजी में कमी आएगी, और सरकार द्वारा नियोक्ता पर लगाए जाने वाले अर्थदंड (21000 रु तक) का 75% कर्मचारी को दिया जाएगा।
- इस विधेयक में 1 वर्ष तक **सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं में हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगाने का** प्रावधान है।
- श्रमिकों द्वारा उद्योगों के निर्णय पर आपत्ति व्यक्त करने की समय सीमा तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है।
- "आउटसोर्सिंग एजेंसियों" को सम्मिलित करने के लिए विधेयक के एक प्रावधान में **"ठेकेदार" की परिभाषा में संशोधन** किया **गया** है, जोकि कुछ मामलों में, स्वयं सरकार ही होती है। इससे सरकार को और अधिक शक्ति मिलेगी।
- इस विधेयक के अंतर्गत श्रमिकों को नौकरी से निकालने और विशेष निवेश क्षेत्रों, एनआईएमजेड और कुछ अन्य आर्थिक क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति के भुगतान पर से प्रतिबन्ध हटाने का प्रस्ताव रखकर **"नौकरी पर रखने अथवा नौकरी से निकालने" की प्रक्रिया को आसान** बना दिया है।
- इस विधेयक को श्रमिक-विरोधी और उद्योग-समर्थक बताते हुए इसकी आलोचना की गई है।

1.16. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2015 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करके, पंचायत चुनावों पर हरियाणा सरकार द्वारा पारित क़ानून को वैध ठहराया है।

पंचायत चुनाव पर हरियाणा सरकार का क़ानून

- अगस्त 2015 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पांच संशोधनों को मंजूरी दी थी।
- इन संशोधनों में **स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में चुनाव लड़ने के लिए पात्रता के मानदंडों** को निर्धारित किया गया है।
- इसमें **न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, घर पर एक उपयुक्त शौचालय के होने,** सहकारी ऋणों का बकायादार न होने, या ग्रामीण घरेलू बिजली कनेक्शनों पर बकाया राशि न होने तथा किसी गंभीर आपराधिक कृत्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा अभियोग न चलाया गया होना जैसे प्रावधान शामिल किये गए हैं।
- ये सभी मानदंड संविधान में उल्लिखित दिवालियापन और विकृत्तिचित वाले निर्हरता संबंधी प्रावधानों के अतिरिक्त हैं।
- इस क़ानून के तहत चुनाव लड़ने हेतु आवश्यक योग्यता के रूप में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए **दसवीं कक्षा** और सामान्य वर्ग के महिलाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए **आठवीं कक्षा** (में उत्तीर्ण होना) निर्धारित किया गया है।

कुछ तथ्य

- इन संशोधित योग्यताओं के लागू होने के बावजूद 96 लाख लोग राज्य में विभिन्न पंचायत चुनावों को लड़ने के योग्य होंगे।
- 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर 76.6% थी, जबकि महिला साक्षरता 66.8% थी।
- जनगणना के अनुसार, 53.1% के राष्ट्रीय औसत के विपरीत, राज्य में सिर्फ 31.4% घरों में ही शौचालय की सुविधा नहीं है।
- 20 वर्ष से अधिक आयु के, 57% ग्रामीण जनसंख्या इन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के लागू होने के बावजूद भी चुनाव लड़ने के योग्य होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन:

- यदि लोगों के पास अभी भी शौचालय नहीं है तो यह उनकी गरीबी के कारण नहीं बल्कि राज्य में शौचालय व्यवस्था में सुधार करने के लिए हरियाणा सरकार की विभिन्न नीतियों को लागू करने की इच्छाशक्ति के अभाव के कारण है।
- सिर्फ शिक्षा ही वह माध्यम है जो एक मनुष्य को सही और गलत, अच्छे और बुरे में भेद करने की शक्ति प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं के अधिरोपण का समर्थन करने के पीछे यह मुख्य आधार रहा है।
- **अनुच्छेद 40 और 246(3) के अंतर्गत,** संविधान, राज्यों को स्वशासन इकाइयों की क्रियाशीलता को सक्षम बनाने के लिए क़ानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

आलोचना:

- इस तरह के क़ानून को लागू करने से पहले अधिक से अधिक मूल सुधार करने की आवश्यकता है।
- स्थानीय शासन स्तर पर, विशेष रूप से गाँवों में, शिक्षा की तुलना में व्यक्ति के विवेक की अधिक बड़ी भूमिका होती है। शौचालय के निर्माण में फिसड्डी होने के पीछे भी मुख्य समस्या गवर्नेंस की ही है।
- ये संशोधन भेदभावपूर्ण हैं और इसके मानदंड स्वेच्छाचारी हैं।

1.17. कटोच समिति की रिपोर्ट

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा की कि अगले एक वर्ष में औषधि एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जायेगा। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि सरकार, चीन से थोक दवा के आयात में कटौती करने के लिए कटोच समिति की अनुशंसाओं को लागू करेगी।

VISION IAS

थोक दवा या **सक्रिय औषधीय सामग्रियां (एपीआई)** किसी दवा में उपयोग होने वाली सक्रिय कच्ची सामग्रियां हैं जो इसे चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करती हैं।

समस्याएँ:

- भारत वर्तमान में औषधि उद्योग द्वारा **कच्चे माल के रूप में** उपयोग की जाने वाली अपनी थोक दवाओं या सक्रिय औषधीय सामग्रियों (एपीआई) की कुल मांग में से लगभग 80 प्रतिशत मांग की पूर्ति **चीनी आयात से** करती है।
- इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (उल्टी शुल्क संरचना), औषधि एवं चिकित्सा उपकरण उद्योगों के लिए रुकावटें पैदा कर रही है।
- ब्याज दर एक प्रमुख समस्या है - चीन में ऋण पर ब्याज दर मात्र 5% है जबकि भारत में यह 12% से अधिक है।

सक्रिय औषधीय सामग्रियों (ए.पी.आई.) पर कटोच समिति की अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं:

- रियायती दर अथवा निःशुल्क उपलब्धता वाली सामान्य सुविधाओं के साथ सक्रिय औषधीय सामग्रियों (ए.पी.आई.) के लिए वृहद् विनिर्माण क्षेत्रों (एल.एम.जेड.) अथवा मेगा पार्कों की स्थापना करना। इसके देखरेख हेतु एक अलग स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) की व्यवस्था करना।
- मेगा पार्कों में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है जैसे-अपशिष्ट निस्सारी उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.), परीक्षण केंद्र, सुनिश्चित विद्युत् आपूर्ति, सामान्य जनोपयोगी सेवाएं/ भंडारण, परीक्षण प्रयोगशाला, आई.पी.आर. प्रबंधन जैसी सेवाएं।
- अपेक्षित सुविधाओं/प्रणाली से युक्त राज्यों में राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्रों/पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्रों में वृहद् विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है।
- थोक दवा उद्योग एक प्रमुख प्रदूषक उद्योग है। अतः प्रदूषण के स्तर और उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उचित नियमों और विनियमों का होना आवश्यक है।
- राष्ट्र का रूपांतरण करने के लिए कुछ विशाल औषधीय सामग्रियों (ए.पी.आई.) मध्यस्थ क्लस्टरों को शुरू करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस तरह का एक कलस्टर प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ डॉलर ला सकता है।
- एकल खिड़की मंजूरी और राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन जैसे टैक्स ब्रेक, सॉफ्ट लोन इत्यादि उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

1.18. दिल्ली का जन लोकपाल विधेयक

दिल्ली जन लोकपाल विधेयक, 2015 को हाल ही में (64 मतों) से दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किया गया है।

जन लोकपाल विधेयक (जिसे सिटीजन्स ओम्बड्समैन बिल के नाम से भी जाना जाता है) एक भ्रष्टाचार-निरोधक विधेयक है। इसका प्रारूप नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है। यह विधेयक जन लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित है जो कि एक स्वतंत्र निकाय होगी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों (यहाँ तक कि नौकरशाहों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों) की जांच करने में सक्षम होगी।

इस विधेयक की विशेषताएं:

- इसमें मुख्यमंत्री से लेकर ग्रुप डी तक के अधिकारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।
- यह व्हिसल ब्लोअर्स तथा गवाहों की सुरक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- यह भ्रष्टाचार के मामलों में समयबद्ध जांच और सुनवाई की परिकल्पना करता है।
- यदि अपराध का लाभार्थी, व्यावसायिक इकाई है तो इस क़ानून के अंतर्गत दी जाने वाली सजा के अलावा, दोषी पाए जाने वाले अपराधियों को नुकसान का 5 गुना जुर्माना देना पड़ेगा।
- जन लोकपाल के अध्यक्ष और पैनल के सदस्यों का चयन एक ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - मुख्यमंत्री,
  - विधानसभा में विपक्ष के नेता,
  - उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश (सभी न्यायधीशों की एक बैठक में चयनित),
  - एक पूर्व लोकायुक्त और
  - चयन समिति के अन्य सदस्यों द्वारा चुने जाने वाले दो प्रख्यात नागरिक।

विधेयक से जुड़ी चिंताएं:

- कोई स्वतंत्र बजट नहीं।
- अपने ही स्टाफ को नियुक्त करने का अधिकार नहीं, और इसे सरकार द्वारा प्रदान किए गए स्टाफ के साथ काम करना पड़ेगा।
- यह विधेयक, जन लोकपाल को एक समर्पित अन्वेषण दल प्रदान नहीं करता है।
- विधेयक यह आशा करता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश मिलकर एक न्यायाधीश को चयन समिति का एक सदस्य चुने। यह अभूतपूर्व है। सामान्य रूप से मुख्य न्यायाधीश ऐसे किसी सदस्य को मनोनीत करता है। यह अनिश्चित है कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश इस पर सहमत होंगे अथवा नहीं।
- यदि आरंभिक चार-सदस्यीय समिति के समक्ष मत विभाजन की स्थिति मौजूद हो तो निर्णायक मत के द्वारा- कोई व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के संबंध में इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- यह विधेयक, जन लोकपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घटित होने वाले भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की जांच करने या पूछताछ करने का अधिकार देता है, जिसमें **<u>केंद्र सरकार और उसके प्राधिकारियों, न्यायधीशों, सैन्य कर्मियों</u>** और ऐसे अन्य कर्मियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल हैं।

- लेकिन संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार यदि दिल्ली विधानसभा और संसद द्वारा पारित अधिनियम के बीच कोई संघर्ष या विसंगति होती है तो राष्ट्रीय अधिनियम अभिभावी होगा, जब तक दिल्ली के क़ानून को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती। इसलिए, इस बात की बहुत अधिक सम्भावना है कि जन लोकपाल विधेयक संभवतः केंद्र सरकार के साथ कानूनी विवादों में फंस जाएगा।
- इस विधेयक के अंतर्गत झूठी शिकायत के लिए सश्रम कारावास के साथ दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
- विधेयक की धारा 5(6), जन लोकपाल के किसी सदस्य को या यहाँ तक कि जन लोकपाल के अध्यक्ष को भी एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के योग्य बनने की अनुमति देती है।

(सामान्य अध्ययन पत्र II, 2013)

प्र. एक राष्ट्रीय लोकपाल, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। चर्चा करें। (200 शब्द)।

प्र. इस वर्ष संसद में प्रस्तुत किए गए लोकपाल विधेयक की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? (प्र.12 (a), 125 शब्द, 2003)

प्र. लोकपाल विधेयक पर एक संक्षिप्त नोट लिखें (125 शब्द)। (प्र. 12(c), 2007)

1.19. भूमिगत कोयला गैसीकरण (यू.सी.जी.)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश में कोयला और लिग्नाईट वाले क्षेत्रों में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के विकास के लिए एक नीतिगत रूपरेखा को मंजूरी दी है।
- यह नीति व्यापक रूप से लाभ के बटवारे पर आधारित है। यह नीति कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के लिए मौजूदा नीति की तरह ही है जिसे प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ब्लॉकों के आवंटन के लिए अपनाया जाएगा।

भूमिगत कोयला गैसीकरण:

- भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी), सतह से दूर संचालित बेधन छिद्रों की एक श्रृंखला का उपयोग करके गहराई में स्थित कोयले को गैस में रूपांतरित करने की एक वैकल्पिक विधि है।
- कोयले की तह के भीतर गैसीकरण पैनल में हवा या ऑक्सीजन और वाष्प का संयोजन इंजेक्ट (भरा जाना) किया जाता है। उसके बाद कोयले को गर्म किया जाता है और नियंत्रित प्रतिक्रियाएं ठोस कोयले को उत्पाद गैस में रूपांतरित कर देती हैं जिसे **"सिनगैस" (syngas)** के नाम से जाना जाता है जिसे सतह पर निकाला जाता है।
- सिनगैस; हाइड्रोजन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाई ऑक्साइड और उच्चतर हाइड्रो कार्बनों का मिश्रण है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण के लाभ:

- सिनगैस को सीधे अंत-उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है जिससे रेल/सड़क अवसंरचना की आवश्यकता कम हो जाती है।
- इससे उत्सर्जन को कम होता है, क्योंकि यूसीजी में गैसीकरण भूमिगत होता है जिससे पर्यावरण प्रबंधन लागत में कमी आती है।
- यूसीजी को चलाने के लिए किसी बाहरी जल स्रोत की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है जो कि जल आधारित कोयला खनन की दृष्टि से एक प्रमुख पर्यावरणीय लाभ है।
- यूसीजी प्रक्रिया से एक विशाल भूमिगत गैस और ऊष्मा भंडारण क्षमता का सृजन होता है जिससे गैस की आपूर्ति बहुत स्थिर और सुदृढ़ हो जाती है।

भारत में भूमिगत कोयला गैसीकरण की आवश्यकता:

- भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और कोयले के उत्पादन में इसे तीसरा स्थान प्राप्त है। कोयले का सम्पूर्ण प्राप्य भंडार लगभग 15.6% (41.28 बिलियन टन) ही है जिसका विशाल परिमाण (~223.26 बिलियन टन) **अखननीय कोयला भंडार** के रूप में अप्रयुक्त रह जाता है।
- 38.93 बिलियन टन लिग्नाईट में से सिर्फ लगभग 5.49 बिलियन टन को "खननीय" (खनन योग्य) माना गया है जिससे इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा (33.44 बिलियन टन) **अखननीय लिग्नाईट भंडार** के रूप में अप्रयुक्त रह जाता है।
- इसलिए देश की सदैव बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए 256.69 बिलियन टन के इन अप्राप्य कोयला एवं लिग्नाईट भंडारों का दोहन करने के तरीकों और साधनों को ढूँढने में ही समझदारी है।

VISION IAS

2. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : भारत एवं विश्व

2.1. भारत-जापान सम्बन्ध

सुर्खियों में क्यों?

- जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो एबे 11 से 13 दिसम्बर तक भारत की यात्रा पर रहे।
- जापान हमेशा से भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार रहा है, परन्तु कूटनीतिक साझेदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पायी है। लेकिन अब आर्थिक और कूटनीतिक, दोनों ही मोर्चों पर भारत और जापान के सम्बन्धों में बदलाव देखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण परिणाम

1. परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर:

- पांच वर्ष के निरंतर प्रयासों के पश्चात् जापान और भारत के बीच एक व्यापक नागरिक परमाणु समझौता संपन्न हो गया।
- इस समझौते के पश्चात् जापान से अपने प्रमुख उपकरण आयात करने वाली अमेरिकी फर्मों द्वारा भारत को परमाणु रिएक्टर बेचने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।
- वाणिज्यिक व आर्थिक सम्बन्धों से परे यह समझौता प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1998 में किये गये परमाणु परीक्षणों के पश्चात् जापान भारत के प्रमुख मुखर आलोचकों में से एक था।
- यह भारत की प्रगतिशील परमाणु पुनरुद्धार प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।

2. रक्षा और सुरक्षा सम्बन्ध

- भारतीय और जापानी वायुसेनाओं और तट रक्षकों के बीच नए संपर्क बने हैं।
- जापान की आतंकवाद से निपटने की क्षमता में वृद्धि हेतु भारत द्वारा प्रशिक्षण।
- गोपनीय सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए समझौता।
- रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- भारत ने जापान को अमेरिका-भारत मालाबार नौसेना अभ्यासों में 'औपचारिक सहभागी' के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।
- इससे वैश्विक रूप से चीन को अप्रत्यक्ष रूप से संतुलित करने में सहायता मिलेगी। यह कदम भारत की अन्य त्रिपक्षीय वार्ता पहलों, जैसे अक्टूबर में होने वाली **अमेरिका-भारत-जापान** की विदेश मंत्री स्तर की त्रिपक्षीय वार्ता और जून में होने वाली **अमेरिका-भारत-ऑस्ट्रेलिया** त्रिपक्षीय वार्ता में पूरक का कार्य करेगा।

3. व्यापार और निवेश:

- भारत में निवेश करने वाली जापानी कम्पनियों की सहायता के लिए जापान 12 बिलियन डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगा जो भारत के *मेक इन इंडिया* उद्देश्य में सहायक होगी।
- भारतीय अवसरंचना हेतु व्यापक जापानी सहायता के एक हिस्से के रूप में मुम्बई और अहमदाबाद के बीच उच्च गति 'शिनकानसेन' रेल तंत्र की स्थापना के लिए रियायती ऋण वाली वित्तीय सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- 13 बड़ी अवसरंचना परियोजनाओं (जैसे- चेन्नई और अहमदाबाद की मेट्रो परियोजनाएं और उत्तर-पूर्व राज्यों के साथ सड़क संपर्क नेटवर्क) का वित्त-पोषण आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण से किया जायेगा।

4. दोहरे कराधान से बचने और अर्जित आय पर लगने वाले कर के भुगतान न करने या अनावश्यक देरी से निबटने की प्रचलित परिपाटी में संशोधन करने हेतु भारत और जापान ने एक नये प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये हैं जिस पर वर्ष 1989 में पहले भी हस्ताक्षर किये गये थे। इस प्रोटोकॉल में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

- कर से जुड़े मामलों पर सूचनाओं के प्रभावी आदान-प्रदान हेतु अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकों जिसमें बैंक संबंधी सूचना एवं गैर-घरेलू कर सम्बन्धी सूचना के बैंक आंकड़े भी सम्मिलित है, का प्रयोग करना।
- भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जापान से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का अन्य कानून प्रवर्तन संस्थाओं के साथ जापान के सक्षम प्राधिकारी की सहमति से आदान प्रदान किया जा सकता है। यह इसकी विपरीत स्थिति पर भी लागू होगा।
- भारत और जापान दोनों ही एक दूसरे के राजस्व के संग्रह में परस्पर सहायता प्रदान करेंगे।
- सरकार/सरकारी स्वामित्व की वित्तीय संस्थाओं द्वारा बीमाकृत ऋण दावों के सम्बन्ध में स्रोत देश में होने वाली ब्याज की आय पर कर छूट प्रदान की जाएगी।

भारत-जापान आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग:

- दोनों देशों के बीच पूरकता के महत्वपूर्ण बिंदु।
  - जापान की वृद्ध जनसंख्या (65 वर्ष से अधिक आयु वाली 23%) और भारत की युवा जनसंख्या (25 वर्ष के कम आयु वाली 50%);
  - भारत की समृद्ध प्राकृतिक और मानव संसाधन तथा जापान की उन्नत प्रौद्योगिकी;
  - सेवा क्षेत्र में भारत का कौशल और उत्पादन क्षेत्र में जापान की उत्कृष्टता;
  - जापान में निवेश योग्य पूँजी का आधिक्य और भारत के विशाल एवं प्रगतिशील बाजार और भारत की मध्यम वर्गीय जनसंख्या।

- भारत-जापान के बीच ऐतिहासिक 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' (CEPA) पर हस्ताक्षर होने से और अगस्त 2011 से इसके लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों की गति में वृद्धि होगी।
- वर्ष 1958 से ही जापान भारत को द्विपक्षीय ऋण और सहायता प्रदान करता रहा है। जापान भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता रहा है। जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ODA) भारत के आर्थिक विकास वृद्धि के प्रयासों की समर्थक रही है, विशेषकर प्राथमिकता के क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण परियोजनाएं और मूल मानवीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु।. उदहारण के लिए निम्न क्षेत्रों में जापान द्वारा सहयोग किया जा रहा है:
    - नई दिल्ली मेट्रो नेटवर्क
    - पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (DFC).
    - आठ नए औद्योगिक उपनगरों सहित देहली-मुम्बई का औद्योगिक गलियारा,
    - चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC),
    - भारत जापान को प्रमुख रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक अवयव, मिश्रित पदार्थ, गैर धातु पदार्थ, मत्स्य और मत्स्य उत्पाद, मेटलीफेरस अयस्क और स्क्रैप, कपड़े और सहायक वस्तुएं, लौह और स्टील उत्पाद, टेक्सटाइल धागा, वस्त्र और मशीनरी इत्यादि निर्यात करता है।
- भारत में जापान से FDI के प्रवाह में अनापेक्षित वृद्धि हुई है जो वर्ष 2004 के 139 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2008 में 5551 मिलियन डॉलर हो गयी है। वर्तमान समय में जापान से भारत की ओर जनवरी-दिसम्बर 2014 में FDI का प्रवाह 1.7 बिलियन डॉलर था| FDI मुख्यतः ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, रसायन और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में ही था।
- पिछले कई वर्षों में भारत में जापानी कम्पनियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

आगे का मार्ग:

- भारत-जापान सम्बन्धों में भारत की *एक्ट ईस्ट* नीति एक प्रमुख कड़ी है। *एक्ट ईस्ट* नीति केवल निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से हीमहत्वपूर्ण नहीं है अपितु चीन को प्रतिसंतुलित करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
- इससे आर्थिक या सुरक्षा विषयों पर क्षेत्रीय चर्चाओं में भारत के स्वर को भी शक्ति मिलेगी और उभरती आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधी संरचनाओं में अपने आप को समायोजित करने की बजाय उनके निर्माण के समय ही उन्हें प्रभावित करने में भारत सक्षम होगा।
- कुछ समय पहले किये गये एक अध्ययन में यह पाया गया कि 'दक्षिण-पूर्व एशिया भारत को एक सुरक्षा सहभागी के रूप में देखता है और भारत दक्षिण-पूर्व एशिया को एक व्यापारिक सहभागी के रूप में देखता है। सुरक्षा सहभागी के स्वरूप को भारत जितना अधिक स्वीकार करेगा, एशिया में उसकी भूमिका और चर्चाओं में उसका स्वर उतनी ही महत्वपूर्ण बनेगी।'

2.2. भारत-रूस सम्बन्ध

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 24 दिसम्बर, 2015 को भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।
- भारतीय प्रधानमन्त्री और रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर वार्ता, भारत और रूसी गणराज्य की सामरिक भागीदारी के अंतर्गत एक उच्चतम स्तर की संस्थागत संवाद प्रक्रिया है।
- भारतीय प्रधानमन्त्री ने गत वर्ष दिल्ली में पुतिन के साथ अगले दशक में द्विपक्षीय सम्बन्धों में विस्तार और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए जिस द्रुज्झबा-दोस्ती (मित्रता) [Druzhba-Dosti (friendship)] विजन पर हस्ताक्षर किये थे, उसे अब फास्ट ट्रैक पर लाया गया है।

इस समझौते में सम्मलित है:

- रूसी हेलीकॉप्टरहेलीकाप्टर केमोव 226 का भारत में निर्माण।
- हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
- रूसी डिज़ाइन वाले परमाणु रिएक्टरों का भारत में निर्माण।
- रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग।
- भारत में सौर ऊर्जा संयत्रों का निर्माण।
- रूस में तेल की खोज और उत्पादन।

भारत के लिए इन समझौतों का महत्व:

- रूस में हस्ताक्षर किये गये इन समझौतों से भारत के मेक इन इंडिया और सोलर मिशन कार्यक्रम को प्रभावी प्रोत्साहन मिलेगा।
- केमोव 226 भारत में हेलिकॉप्टर निर्माण के क्षेत्र में देश का पहला प्रमुख रक्षा प्लेटफार्म होगा। इससे भारत में रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत की रक्षा तैयारी अगली पीढ़ी के उपकरणों से सुसज्जित हो सकेगी। अन्ततः यह भारत की *मेक इन इंडिया* परियोजना में सहायक होगा।

पृष्ठभूमि

- रूस भारत का "सार्वकालिक मित्र" रहा है।
    - रूस ने भारत को कश्मीर विषय पर दृढ़ समर्थन दिया है।
    - हमारे परमाणु परीक्षणों के समय रूस ने हमारा समर्थन किया था।
    - कारगिल युद्ध के समय वह हमारे साथ खड़ा था।

VISION IAS

- रक्षा के क्षेत्रों में उन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और पनडुब्बी परियोजनाओं में सहायता की है।
- भारत भी रूस के साथ दृढ़ता से खड़ा रहा है।
- हमने रूस द्वारा वर्ष 1979 में अफगान हमले की निंदा नहीं की थी। रूस ने गत वर्ष जब क्रीमिया का अधिग्रहण किया तब भी हमने अन्य देशों के सुर में सुर नहीं मिलाया और हमने वर्तमान में उसके सीरिया में संलिप्तता पर कूटनीतिक रूप से समर्थन दिया है।

संबंधों से जुड़ी चिंताएं:

- महत्वपूर्ण नागरिक परमाणु समझौते के बाद से भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए सामरिक सम्बन्ध।
- रूस ने व्लादिमिर पुतिन के पुनः उभरने वाले नेतृत्व में अमेरिका और यूरोप को चुनौती दी है और इस हेतु वह भारत के कट्टर एशियाई प्रतिद्वंदी चीन से निकटता बढ़ा रहा है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ भी सम्बन्धों को और बढ़ा रहा है।
- दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरी।

हितों की समाभिरूपता:

भारत और रूस दोनों ने इस बात को समझ लिया है कि यदि वे विश्व शक्ति बनना चाहते हैं तो दोनों को ही अपनी प्रगाढ़ मित्रता के वातावरण को पुनःस्थापित करना परम आवश्यक होगा।

<u>रूस को भारत की आवश्यकता क्यों:</u>

- यूक्रेन के सत्ता संघर्ष में पश्चिमी देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से निपटने के लिए बाजार की आवश्यकता।
- अमेरिका द्वारा प्रायोजित भावी ट्रांस-एटलान्टिक व्यापार और निवेश भागीदारी के कारण भी रूस को यूरोप के बाहर बाजारों की खोज करने पर विवश होना पड़ेगा। भारत उसका एक स्वभाविक सहभागी है।
- चीन के साथ अपनी नवीकृत मित्रता के बाद भी, शीघ्र ही उसे बीजिंग से प्रतिस्पर्धा करनी होगी क्योंकि बीजिंग स्वयं को अमेरिका के साथ नया G2 मानता है।
- भारत रूस को मल्टी पोलरिटी (बहु ध्रुवीयता) प्रदान कर सकता है जिसकी उसे बहुत अधिक आवश्यकता है।

<u>भारत को रूस की आवश्यकता क्यों:</u>

- भारत अपनी ऊर्जा की प्रचुर आवश्यकताओं को लागत प्रभावी मूल्यों पर पूरा कर सकता है।
- अपने रक्षा उपकरणों को अमेरिका, इजराइल और यूरोप से खरीदने के पश्चात भी, भारत को रूस से अन्तरिक्ष सहित भविष्य की प्रोद्योगिकी के लिए सहयोग की आवश्यकता है।
- पश्चिमी देशों से भारत को हथियारों की बिक्री से सम्बन्धित मोलभाव की स्थिति में भारत की सौदेबाजी क्षमता में सुधार होगा।
- भारतीय उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल, विनिर्मित वस्तुएं, डेयरी उत्पाद, मांस और फ्रोजन समुद्री खाद्य पदार्थों के लिए रूस प्रमुख बाजार हो सकता है।
- भू-राजनैतिक रूप से हमारे क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान की योजनाओं के संबंध में रूस सन्तुलन शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है।

<u>भविष्य का परिदृश्य:</u>

- वर्ष 2025 के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 30 बिलियन डॉलर रखा गया है। वर्तमान समय में यह 10 बिलियन डॉलर के आसपास है और इसको तीन गुना स्तर तक लाना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

- जहाँ रक्षा सहयोग साधारण क्रेता-विक्रेता सम्बन्धों से बढ़कर उन्नत प्रौद्योगिकी में संयुक्त शोध, विकास और उत्पादन तक पहुंच गया है वहीं इन परियोजनाओं को शीघ्रता से निष्पादित करने की आवश्यकता है। विशेषकर पांचवी पीढ़ी के वायुयान की परियोजना और वायु परिवहन कार्यक्रम और भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण का नया समझौता/अनुबंध के सन्दर्भ में।
- रूस में भारत का निवेश अब 7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और यह मुख्यतः तेल और गैस क्षेत्र में है। सखालिन-1 में ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड की 20 प्रतिशत की भागीदारी है और इसने तेल-उत्पादन संबंधी परिसम्पतियों के स्वामित्व वाली कम्पनी इम्पीरियल एनर्जी टोम्स्क का अधिग्रहण भी कर लिया है। रूस की गाजप्रोम और भारत की GAIL के बीच LNG की आपूर्ति के लिए 20 वर्ष का अनुबंध किया गया है। रोज्नेफ्ट ने एस्सार के साथ कच्चे तेल और आपूर्ति स्टाक के लिए लम्बी अवधि का अनुबंध किया है। इसके साथ ही टाटा भी छोटे भारवाहकों और बसों की असेम्बली लाइन स्थापित करने की योजना बना रहा है।

- फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सन ग्रुप, रेनबैक्सी और ल्यूपिन रूस में अपने वर्तमान संचालन का विस्तार कर रहे हैं।
- हीरा,, उर्वरक और खाद्य क्षेत्रों में अद्भुत सम्भावनाएं हैं, जिनका भारतीय कम्पनियों द्वारा लाभ लेने की आवश्यकता है।
- रूस को भी भारत में अपना निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में 3 बिलियन डॉलर है। दूरसंचार की प्रमुख रूसी कम्पनी सिस्टेमा को भारत में अपने संयुक्त उपक्रम श्याम सिस्टेमा टेलीलिंक्स में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब 2G स्पेक्ट्रम केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इसे भारत में 22 लाइसेंसों में से 21 लाइसेंस गंवाने पड़े थे।
- मोदी जी की 'मेक-इन-इंडिया' पहल से रूसी कम्पनियों के लिए रक्षा उपकरण, नागरिक विमानन और रेलवे के क्षेत्रों में बहुत से अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
- भारत को भी रूसी प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना सीखना होगा और नौकरशाही की अड़चनों को कम करना होगा।

2.3. अफगानिस्तान ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) की सदस्यता ग्रहण की

- 15 से 19 दिसम्बर 2015 के बीच नैरोबी में संपन्न WTO के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मलेन में अफगानिस्तान को औपचारिक रूप से सदस्य बनने की अनुमति प्रदान की गयी। अफगानिस्तान ने WTO की सदस्यता के लिए वर्ष 2004 में ही आवेदन किया था।
- अफगानिस्तान WTO का 164वां सदस्य बन गया है और इस वैश्विक व्यापार निकाय में सम्मलित होने वाला 36वां अल्प विकसित देश (LDC) है।
- WTO की सहायता से अफगानिस्तान अपने यहाँ व्यापार समर्थक वातावरण बना सकता है, जिससे बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तथा देश व्यापार करने हेतु आकर्षित होंगें।

महत्व:

- पहली बार अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और एकीकृत बाजार का अनुभव लेगा। वह WTO के ढांचे के अंतर्गत निष्पक्ष, मुक्त और बिना किसी भेदभाव के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभान्वित होगा और जिससे इसके स्थायी विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- अफगान उत्पादों और सेवाओं को मान्यता प्राप्त होगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, संगठनों और सह-सदस्यों द्वारा सर्वाधिक इष्टतम राष्ट्र (एम एँफ़ एन) का दर्जा प्राप्त होगा।
- अफगानिस्तान के अपने उत्पादों और सेवाओं के सन्दर्भ में त्वरित और बिना शर्त लाभ, विशेषाधिकार या छूट आदि उसी प्रकार प्राप्त होंगे जैसे WTO के अन्य सदस्यों को प्राप्त हैं।
- उदाहरण के लिए, कुछ समय पूर्व पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आयात किये जाने वाले फलों पर सीमा शुल्क तीन गुना तक बढ़ा दिया था। इससे अफगानिस्तान के व्यापारियों को बहुत क्षति हुई थी। यदि अफगानिस्तान उस समय WTO का सदस्य होता तो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के साथ अन्य फल निर्यात करने वाले सदस्य देशों जैसा ही व्यवहार करने का दायित्व बन जाता।
- गुणवत्ता और मानकों में सुधार, ग्राहकों और उत्पादकों दोनों ही के लिए लाभकारी है।
- WTO की सदस्यता के माध्यम से अफगानिस्तान में विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा, जिससे रोजगार के अवसरों, अन्य सदस्य देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में वृद्धि, और व्यापार की लागत कम होगी।
- एक अल्प विकसित देश होने के नाते अफगानिस्तान अब WTO के समझौतों में उल्लिखित सभी नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत अन्य सदस्य देशों से विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा।
- युद्ध से क्षतिग्रस्त अफगानिस्तान को स्थिर होने में सहायता प्राप्त होगी। इससे आतंकवाद और उग्रवाद के प्रसार को कम करने में सहायता मिलेगी| इसका प्रभाव मध्य-पूर्व पर भी पड़ेगा।
- अफगानिस्तान को एक सफल राष्ट्र बनने के लिए राजनैतिक और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना अति आवश्यक है।

2.4. भारत और अफगानिस्तान

हाल ही में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत द्वारा निर्मित अफ़गानिस्तान के नये संसद भवन का उद्घाटन किया ।

- संसद भवन परियोजना, जिसकी आरम्भिक लागत 45 मिलियन डॉलर थी, भारत द्वारा वर्ष 2007 में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत की ओर से सहयोग और मित्रता के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी थी।
- भारत सलमा बांध परियोजना पर भी 300 मिलियन डॉलर का व्यय कर रहा है, जिसे अफगान-भारत मित्रता बाँध के रुप में नया नाम दिया गया है।
- सलमा बांध और संसद भवन की परियोजनाओं को युद्ध से क्षतिग्रस्त अफगानिस्तान के शांतिपूर्ण विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।
- तालिबान का सामना करने के लिए सामरिक नीति के एक भाग के रूप में, भारत ने तीन आक्रमणकारी हेलिकॉप्टर Mi-25 उपहार स्वरूप दिए हैं (जिसमें भविष्य में एक और यूनिट देने का विकल्प भी है)।

2.5. भारत पाकिस्तान सम्बन्ध

- 25 दिसम्बर 2015 को भारत के प्रधानमन्त्री मोदी ने नवाज शरीफ (पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री) को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पाकिस्तान की यात्रा की थी।
- अफगानिस्तान से लौटते हुए भारतीय प्रधानमन्त्री के कदाचित इस स्वाभाविक से दिखने वाले व्यक्तिगत हावभाव ने दोनों देशों के बीच हाल ही में आरम्भ किये गए सकारात्मक प्रयासों में एक आशा की किरण का संचार किया है।
- इस यात्रा के पश्चात् प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ ने 30 दिसम्बर 2015 को अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि, 'अब उचित समय आ गया है' कि भारत और पाकिस्तान स्वयं को युद्ध के समान स्थितियों से अलग कर दें और यह विश्वास प्रकट किया कि उनके समकक्ष नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी लाहौर यात्रा से उत्पन्न सद्भाव निरंतर बना रहेगा।

UPSC Mains 2015

Q. भारत-पाकिस्तान संबंधों को आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने बहुत प्रभावित किया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे नरम उपयों से किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भावना विकसित हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा करें।

VISION IAS

2.6. इस्लामिक सैन्य गठबंधन

- इसकी शुरुआत कुछ समय पूर्व सऊदी अरब द्वारा आंतकवाद का सामना करने के लिए की गयी थी।
- यह मुस्लिम जगत के 34 देशों की सरकारों के बीच की सैन्य संधि है। यह ISIL (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवैंट) और अन्य आंतकवादी गतिविधियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए की गयी है।
- आंतकवाद विरोधी इस नये गठबंधन में विशाल सेनाओं वाले देश जैसे पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के साथ-साथ युद्ध द्वारा क्षतिग्रस्त और संकटग्रस्त देश जैसे लीबिया और यमन भी शामिल हैं। आंतकवाद का दंश झेल रहे माली, चाड, सोमालिया और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देश भी इसके सदस्य हैं।
- यह संगठन सऊदी अरब के रियाद के संयुक्त कमान केंद्र में स्थित है।
- कई अर्थों में यह गठबंधन उन पश्चिमी आलोचकों को शांत करने के लिए भी है जो यह कहते रहे हैं कि मुस्लिम जगत वैश्विक आतंकवाद और कट्टरवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

गठबंधन की समस्याएं:

- कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण मुस्लिम देश (जिनमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया सम्मलित हैं) इस गठबंधन के भाग नहीं हैं। एक ऐसे गठबंधन में जो मुस्लिम देशों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है, उसमे शिया देशों के बहिष्कार से इस विश्वास को बल मिलता है कि सऊदी अरब ने इस संगठन को केवल ईरान के साथ अपनी सांप्रदायिक शत्रुता से प्रेरित हो कर बनाया है, आंतकवाद के विरोध के लिए नहीं।
- यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह गठबंधन किस प्रकार के कार्य करेगा।

2.7. भारत और सेशेल्स

सेशेल्स सरकार ने <u>**हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रथम नौसेना छावनी का निर्माण करने के लिए भारत को**</u> एजम्पशन द्वीप में एक भूखंड का आवंटन किया है।

- यह भारत और सेशेल्स के बीच एक संयुक्त परियोजना होगी।
- नवम्बर में जिबूती में चीन द्वारा अपने प्रथम अफ्रीकी नौसेना छावनी के अधिग्रहण के पश्चात् इस परियोजना को महत्ता मिली है।
- तैयार हो जाने के बाद यह नौसेना छावनी समुद्री डकैती की आशंका वाली पूर्वी अफ्रीकी तटरेखा व हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र पर और अधिक नियंत्रण स्थापित करने में भारत की सहायता करेगी।
- यह छावनी, एक विशाल समुद्री सुरक्षा नेटवर्क के लिए प्रमुख मचान प्रहरी स्थानों में से एक होगी। भारत इसकी स्थापना हिन्द महासागर क्षेत्र में स्थित विभिन्न भागीदार राष्ट्रों की सहायता से कर रहा है।
- नौसेना छावनी के अतिरिक्त, भारत मार्च 2016 से सेशेल्स में स्थित एक पूर्णतः संचालनशील तटीय रडार सिस्टम (सी.आर.एस.) को प्राप्त करने के लिए भी कृतसंकल्प है। इस सी.आर.एस. से भारत को ख़ुफ़िया जानकारी एकत्र करने की क्षमता में वृद्धि होगी और सेशेल्स के निकट अति महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों की निगरानी करने में सहयोग मिलेगा।
- हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा कार्य में सेशेल्स के उस नेतृत्व भूमिका से भी सहयोग मिलेगा जिसे सेशेल्स ने सोमालिया तट पर पाइरेसी हेतु संपर्क समूह (कॉन्टैक्ट ग्रुप फॉर पाइरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ़ सोमालिया या सी.जी.पी.सी.एस.) में स्वयं के लिए सुरक्षित किया है, जिसके पहले बैठक का आयोजन 31 जनवरी, 2016 को मुंबई में किया जाएगा।
- भारत ने इससे पहले सेशेल्स को उसकी निगरानी और पहरेदारी क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक नौसैनिक जहाज, आई.एन.एस. तरसा और एक डोर्नियर-228 समुद्री टोही विमान उपहार में दिया था।

2.8. भारत-इजराइल सम्बन्ध

सुर्खियों में क्यों?

3 दिसम्बर 2015 को, भारत सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन और विकास सहयोग के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है।

लाभ:

इस द्विपक्षीय सहयोग से दोनों देशों को जल के कार्यकुशल उपयोग, सूक्ष्म-सिंचाई, अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण/पुनरूपयोग, विलवणीकरण, जलभृत पुनर्भरण और मूल स्थान पर जल संरक्षण की तकनीकों को सुदृढ़ करने में लाभ मिलेगा। समझौते के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों पर दृष्टि रखने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा।

2.9. चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (एफ.ओ.सी.ए.सी.)

प्राकृतिक संसाधन, जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण अफ्रीका महाद्वीप तेजी से वैश्विक आकर्षण और प्रतिस्पर्धा का अगला केंद्र बनता जा रहा है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए चीन सहित कई देशों ने इस महाद्वीप में बहुत अधिक निवेश किया है।

सुर्खियों में क्यों?

चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (फोरम ऑन चाइना-अफ्रीका कोऑपरेशन या एफ.ओ.सी.ए.सी.) के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मलेन और 6वें मंत्री स्तरीय सम्मलेन का आयोजन 3 से 5 दिसम्बर 2015 के बीच जोहान्सबर्ग में किया गया।

VISION IAS

एफ.ओ.सी.ए.सी. 2015 के संबंध में:

- यह एक आधिकारिक मंच है जिसने चीन-अफ्रीका सम्बन्ध के राजनीतिक प्रभाव को बहुत तीव्र कर दिया है और विभिन्न क्षेत्रों में चीन और अफ्रीका के बीच व्यावहारिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण संचालक का कार्य किया है।
- इससे पूर्व अब तक इसके पांच शिखर सम्मलेन हो चुके हैं जिनमें से पिछली बैठक 19-20 जुलाई 2012 को बीजिंग, चीन में हुई थी।
- एफ.ओ.सी.ए.सी., चीन और अफ्रीकी देशों के बीच सामूहिक वार्ता हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के साथ-साथ व्यावहारिक सहयोग के लिए भी एक प्रभावी तंत्र बन गया है।
- अगले मंत्री स्तरीय एफ.ओ.सी.ए.सी. का आयोजन 2018 में चीन में किया जाएगा।
- भारत द्वारा भारत-अफ्रीका सम्बन्ध को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक भागीदारी के साथ **भारत-अफ्रीका शिखर सम्मलेन** का आयोजन किए जाने के कारण इसे चीन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

महत्व

- ऐसा केवल दूसरी बार (पहली बार 2006 में) हुआ है कि इसका आयोजन शिखर सम्मलेन स्तर पर किया गया। एफ.ओ.सी.ए.सी. वार्ता, अपनी स्थापना के समय से ही मंत्री स्तरीय रही है।
- इस शिखर सम्मलेन में लगभग 50 अफ्रीकी राज्य प्रमुखों/ सरकारों ने हिस्सा लिया।
- **जोहान्सबर्ग घोषणा और एक कार्य योजना** के निर्गमन के साथ इस दो-दिवसीय शिखर सम्मलेन का समापन हुआ।
- राष्ट्रपति शी द्वारा **60 बिलियन डॉलर** के एक प्रभावशाली वित्तीय सहयोग पैकेज की घोषणा की गई। "अफ्रीका-चाइना प्रोग्रेसिंग टूगेदर: विन-विन कोऑपरेशन" की थीम के साथ, इस कार्यक्रम में चीन-अफ्रीका संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया गया।
- इस पैकेज में विभिन्न क्षेत्रों की दस सहकारी परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं।

परिवर्तित संदर्भ:

- चीनी अर्थव्यवस्था की धीमी-गति और संबंधित समस्याओं को देखते हुए इस वित्तीय पैकेज की मात्रा ने कइयों को आश्चर्यचकित कर दिया। चीन अब निवेश एवं विनिर्माण आधारित वृद्धि से खपत आधारित वृद्धि की ओर अग्रसर होने वाला है। यह सब होते हुए भी, चीन के पास अफ्रीका के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए धन का अभाव नहीं है।
- अफ्रीकी राष्ट्रों के समक्ष एक नया परिदृश्य सामने आया है। चीन की तरफ से अफ्रीकी संसाधनों के मांग में कमी और व्यापारिक वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य गिरावट के कारण उन पर निर्भर कई अफ्रीकी देशों पर दबाव पड़ रहा है जो उन्हें निर्यात की आय में कमी और उससे संबंधित बजट सम्बन्धी समस्याओं की तरफ धकेल रहा है।

यह एक विशुद्ध आर्थिक एजेंडे से अधिक है:

- इसमें राजनीतिक और रणनीतिक हित सम्मिलित हैं। जोहान्सबर्ग घोषणा में स्पष्ट रूप से इन पहलुओं का उल्लेख किया गया है और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप एवं बल का प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी की मनाही और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के प्रयासों को अस्वीकार करने पर जोर दिया गया है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, "एक दूसरे के मूल हितों का सम्मान करने" का सन्दर्भ है।
- इस शिखर सम्मलेन का एक प्रमुख रणनीतिक परिणाम, 2006 में स्थापित "नए प्रकार की रणनीतिक सहभागिता" को एक "व्यापक रणनीतिक और सहयोग साझेदारी" के रूप में उन्नत करना है।
- आज, P-5 देशों में से अफ्रीका में सबसे अधिक संख्या में शांति सैनिक चीन के हैं।

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था

3.1. ऋणशोधन क्षमता और दिवालियापन संहिता, 2015 (INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2015)

वित्त मंत्रालय द्वारा गठित दिवालियापन कानून सुधार समिति ने हाल ही में ऋणशोधन क्षमता और दिवालियापन संहिता नामक एक मसौदा विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इस संहिता का उद्देश्य ऋणशोधन क्षमता या दिवालियापन के मामलों का जल्द समाधान करना और प्रदत ऋण की राशि की वसूली में सुधार करना है, जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी का कुशल प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

आवश्यकता क्यों?

आज भारत में दिवालियापन पर कार्यवाही कई कानूनों के अंतर्गत होती है, जैसे कंपनी अधिनियम, एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. कानून (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act), रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम आदि। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है और पूंजी लम्बे समय तक बिना उपयोग के पड़ी रहती है।

कानून की मुख्य विशेषताएं:

1. अधिक कानूनी स्पष्टता के लिए एक एकीकृत संहिता।
2. इस मसौदा विधेयक में दिवालियापन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए समिति ने 180 दिन का समय निश्चित किया है। कतिपय मामलों में अपवादस्वरूप 90 दिन का समय और बढ़ाया जा सकता है।
3. **भारतीय ऋणशोधन क्षमता और दिवालियापन बोर्ड** नामक एक नए नियामक के गठन का प्रावधान किया गया है जो ऋणशोधन क्षमता और उपयोगी सूचना प्रदान करने वाले पेशेवरों/एजेंसियों को विनियमित करेगा।
4. विधेयक में सूचना प्रदान करने वाले पेशेवरों/एजेंसियों और व्यक्तिगत दिवालिया का डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है।
5. कंपनियों और सीमित देयता फर्मों पर चलने वाले दिवालियापन के मामलों पर निर्णय करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की एक विशेष खंडपीठ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जा सकेगी।
6. व्यक्तिगत एवं असीमित देयता भागीदारी फर्मों पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT-Debt Recovery Tribunal) की अधिकारिता होगी। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ 'ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण' (DRAT-Debt Recovery Appellate Tribunal) में अपील की जा सकेगी।
7. यह संहिता किसी कॉर्पोरेट ऋणी को उसके दिवालिया होने की स्थिति में खुद ही ऋणशोधन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है।
8. लेनदारों के विभिन्न वर्गों के दावों का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण किया जायेगा।

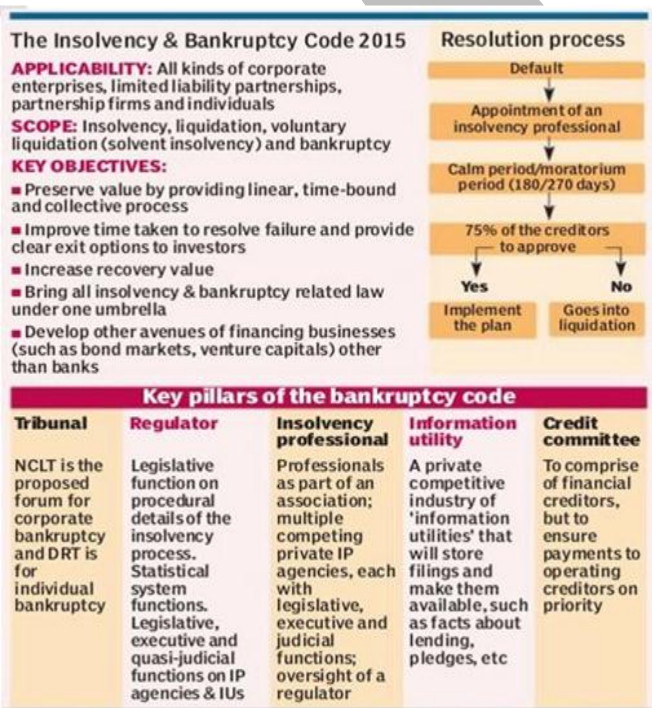

प्रस्तावित ढांचे में किन क्षेत्रों में संशोधन/सुधार की जरूरत है

ऋण समिति संरचना: वर्तमान में ऋण समिति केवल वित्तीय ऋणदाताओं से बनी होती है। हालांकि ऑपरेशन (संचालक) ऋणदाताओं को सबसे पहले भुगतान किया जाना है। इससे ऋणदाताओं के बीच मतभिन्नता हो सकती है।

नई वित्तीय व्यवस्था: अगर प्रक्रिया व्यवहार्य हो, तो ऋण लेने वालों और ऋणदाताओं के बीच एक नई वित्तीय व्यवस्था की संभावना की परिकल्पना संहिता में की गई है। हालांकि, ऋणदाताओं के साथ नई व्यवस्था का ढांचा और परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रावधानों से संबंधित पहलुओं को नई वित्त व्यवस्था के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है।

वॉटरफॉल प्राथमिकता: ऋणदाता के आत्मविश्वास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की देयताओं को ऋणदाताओं के दावों के बाद प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी स्पष्ट करना होगा की क्या इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारी भविष्य निधि देयताओं को कम प्राथमिकता मिलेगी। यह जरुरी है क्योंकि यह कर्मचारी के

VISION IAS

मुआवजे और कल्याण को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके अलावा यह भी आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या इससे सांविधिक निकायों को भारी हानि होने की संभावना है।

दो साल का इतिहास: भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए केवल दो साल के इतिहास की जांच की जाएगी। इससे पहले के इतिहास को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रोमोटर बॉयबैक: प्रोमोटरों (प्रवर्तकों) को एक निश्चित ऋण पुनर्गठन के साथ, एक निश्चित कीमत पर कंपनी को वापस खरीदने का विकल्प होगा। दिवालिएपन से संबंधित यह विकल्प कर्ज को कम करने और इक्विटी मूल्य में वृद्धि करने का एक साधन ना बन जाए इसका ध्यान रखा जाना चाहिए |

3.2. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट)

कॉरपोरेट क्षेत्र:

1. लगभग 20% सूचीबद्ध कंपनियों के ऋण का स्तर विवेकशील माने जाने वाले स्तर से ज्यादा है।

2. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिम बढ़ रहा है।

बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता:

1. मार्च और सितंबर 2015 के बीच बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 4.6% से बढ़कर 5.1% हो गई हैं।

2. सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों, निजी क्षेत्रक के बैंकों और विदेशी बैंकों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियां (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और पुनर्गठित ऋण) क्रमशः 14%, 4.6% तथा 3.4% है।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाभप्रदता में कमी के बावजूद उनके द्वारा दिए जाने वाले उच्च लाभांश पर रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है।

<u>**गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण:**</u>

- वैश्विक वित्तीय संकट
- सुस्त विकास
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड के काम करने का तरीका (इस पर पी.जे. नायक समिति द्वारा भी प्रकाश डाला गया है)

आगे की राह:

- नियामकीय ढांचे में सुधार के लिए "इन्द्रधनुष" नामक एक सात सूत्री कार्ययोजना का कार्यान्वयन।
- **वास्तविक संरचनात्मक सुधार -** जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को 51 फीसदी से कम करना ताकि वे और अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

3.3. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित अवसंरचना विकास की समीक्षा पर विजय केलकर समिति की रिपोर्ट

2015-16 के बजट में की गयी घोषणा के अनुसार (अवसंरचना) विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में सुधार के लिए वित्त मंत्री द्वारा केलकर समिति का गठन किया गया था।

प्रमुख सिफारिशें:

1. विभिन्न क्षेत्रों के अवरुद्ध परियोजनाओं को संबोधित करने के लिए **स्वतंत्र नियामकों की स्थापना।**
2. निर्णय निर्माण एवं कार्यों में वास्तविक गलतियों के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए **भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में संशोधन** करना।

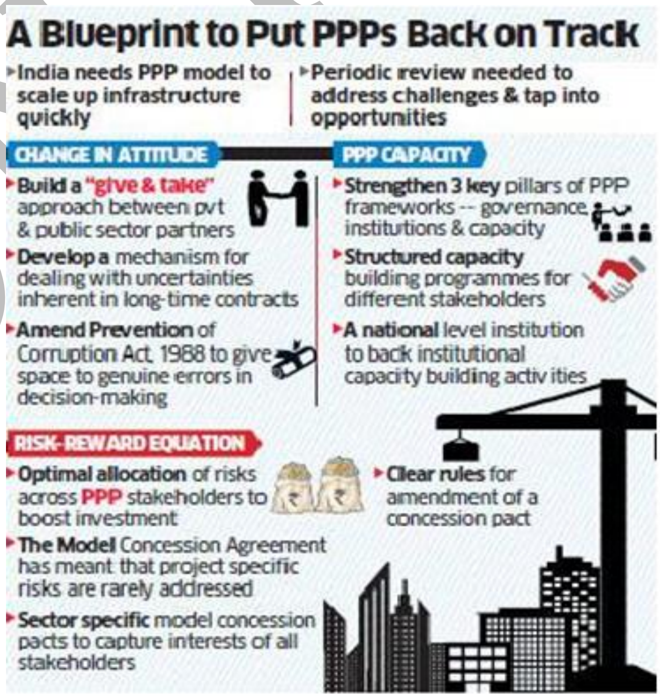

3. ऐसी परियोजनाओं के लिए आसान फंडिंग तथा सरकारों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जीरो कूपन बांड को प्रोत्साहन देना। इसके निम्नलिखित आउटकम होंगे:
   - लंबी परिपक्वता अवधि वाली पीपीपी परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सकेगी। उदाहरण के लिए- हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे का विकास।
   - अवसंरचना क्षेत्र में यूजर चार्जेज (उपयोग शुल्क) से सुलभ ऋण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
   - बैंकों के जोखिम मूल्यांकन और आकलन क्षमताओं का निर्माण।

VISION IAS

- इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद स्थिर राजस्व प्रवाह वाली व्यवहार्य परियोजनाओं का अधिक से अधिक आर्थिक रूप से लाभप्रद (monetisation) बनाने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिये।

4. 3पी इंडिया का समर्थन

समिति जोरदार तरीके से '3पीआई' का अनुमोदन करती है जो पीपीपी में उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में काम करने के अतिरिक्त, अनुसंधान, समीक्षा, क्षमता के निर्माण के लिए गतिविधियों को शुरू करने के अतिरिक्त अनुबंधकारी और विवाद निपटान तंत्रों के अधिक बारीक और परिष्कृत मॉडलों की सहायता में सक्षम बनाते हैं।

5. राजकोषीय लाभ के बजाय सेवा वितरण पर ध्यान देना

पीपीपी परियोजनाओं में निहित जोखिमों की उचित पहचान तथा विभिन्न हितधारकों के मध्य उनका वितरण करने के लिए उनके द्वारा प्राप्त होने वाली सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिये।इसके माध्यम से अनुबंध का उचित क्रियान्वयन किया जा सकेगा |

6. अवसंरचना पीपीपी परियोजना समीक्षा समिति की स्थापना (IPRC)

- उद्देश्य: ऐसी परियोजनाओं के संदर्भ में आने वाली समस्याओं से निपटना।
- संगठन: अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि से एक विशेषज्ञ और अन्य क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग और कानून से एक या अधिक विशेषज्ञ।
- अधिदेश- पीपीपी आधारित ऐसी आधारभूत संरचना से सम्बंधित परियोजनाएं जो दी हुयी समय सीमा के अंतर्गत अपने कार्य को समाप्त नहीं कर पाती हैं , उनके कार्यों का मूल्याकन करते हुए और उचित कानूनी कार्यवाहियों को सुझाते हुए यह समिति अपनी रिपोर्ट एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगी |

7. अवसंरचना पीपीपी अधिनिर्णय न्यायाधिकरण(IPAT)

- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे।
- कम से कम एक तकनीकी और वित्तीय सदस्य का होना प्रस्तावित है।

8. निम्नलिखित के लिए मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट (मॉडल रियायत समझौते) को अपनाना:

- प्रबंध जोखिम का उचित मूल्यांकन
- बोली लगाने वाले दस्तावेज में ही पुन: वार्ता का विकल्प
- उपयोगकर्ताओं, परियोजना समर्थकों, रियायत दाताओं, उधारदाताओं और बाजार सहित सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र के मॉडल रियायत समझौते की समीक्षा

9. क्षेत्र विशिष्ट सिफारिशें

- विमानपत्तन: सरकार को ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- रेलवे: पीपीपी अवसरों का दोहन करने में मदद करने के लिए एक स्वतंत्र प्रशुल्क नियामक प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिये।
- सड़क: बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) परियोजनाओं के लिए रियायत की अवधि बढ़ानी चाहिए।
- ऊर्जा: कई ऊर्जा परियोजनाएं पीपीपी के तहत नहीं हैं। इस क्षेत्र में वित्तीय समाधान की जरूरत है क्योंकि इससे बैंक ऋण पर असर पड़ रहा है।
- बंदरगाह: प्रमुख बंदरगाहों के लिए पुरानी टैरिफ अथॉरिटी के स्थान पर नई टैरिफ अथॉरिटी लाना।

10. निम्नलिखित प्राधिकारी वर्ग के सोच और नज़रिए में बदलाव:

- निजी क्षेत्रक के साथ साझेदार सार्वजनिक एजेंसियाँ,
- पीपीपी का पर्यवेक्षण करने वाले सरकारी विभाग,
- पीपीपी की निगरानी करने वाले लेखा और विधायी संस्थान

11. बहुत छोटी परियोजनाओं में पीपीपी मॉडल व्यवहार्य नहीं है

- समिति ने बहुत छोटी परियोजनाओं के लिए पीपीपी मॉडल के उपयोग के खिलाफ सलाह दी है। छोटी पीपीपी परियोजनाओं के लाभ उनकी प्रबंधन की जटिलता और परिणामस्वरूप लागत के अनुरूप नहीं होते।

12. स्विस चैलेंज (स्विस चुनौतियों) का मुद्दा

अनापेक्षित प्रस्तावों को ("स्विस चैलेंज") को हतोत्साहित किया जाना चाहिए , क्योंकि वे खरीद प्रक्रिया में जटिलता उतपन्न कर सकते हैं और उनका परिणाम पारदर्शिता में कमी एवं खरीद प्रक्रिया में संभावित बोलीकर्ताओं के साथ अनुचित एवं असमान बर्ताव के रूप में सामने आ सकता है।

भविष्य की राह

- पीपीपी मॉडल भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए एक अहम साधन है।
- अर्थव्यवस्था के तीव्र वृद्धि के लिए, जनसांख्यिकीय लाभांश के सृजन तथा उसका लाभ उठाने के लिए और विकसित देशों के पेंशन और संस्थागत फण्ड के उपयोग के लिए पीपीपी मॉडल के उपयोग में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है।

VISION IAS

- सभी क्षेत्रौं में मॉडल रियायत समझौतों की पुन: वार्ता के निरीक्षण के लिए पुन: वार्ता आयोग की आवश्यकता।

- हमें देखना होगा कि कैसे 3P इंडिया को केंद्रीय और राज्य स्तर पर पीपीपी परियोजनाओं के लिए एक संगठित संस्था के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

3.4. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर अरविंद सुब्रमण्यन समिति की रिपोर्ट

• अंतर-राज्यीय आवा-जाही पर लगने वाले 1% कर को हटाना

- जीएसटी की मानक दर (स्टैण्डर्ड रेट) 17-18 फीसदी के दायरे में हो।
- जीएसटी की राजस्व तटस्थ दर (रेवेन्यु न्यूट्रल रेट-RNR) 15-15.5 प्रतिशत हो।
- जीएसटी दर की <u>तीन स्तरीय</u> संरचना:

  1. आवश्यक वस्तुओं पर 12 फीसदी की दर से कर लगाया जाएगा,
  2. लक्जरी कारों, वातित (aerated) पेय पदार्थों, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद जैसी डिमेरिट वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा तथा
  3. शेष सभी वस्तुओं पर 17-18 फीसदी की मानक दर से कर लगाया जाएगा।

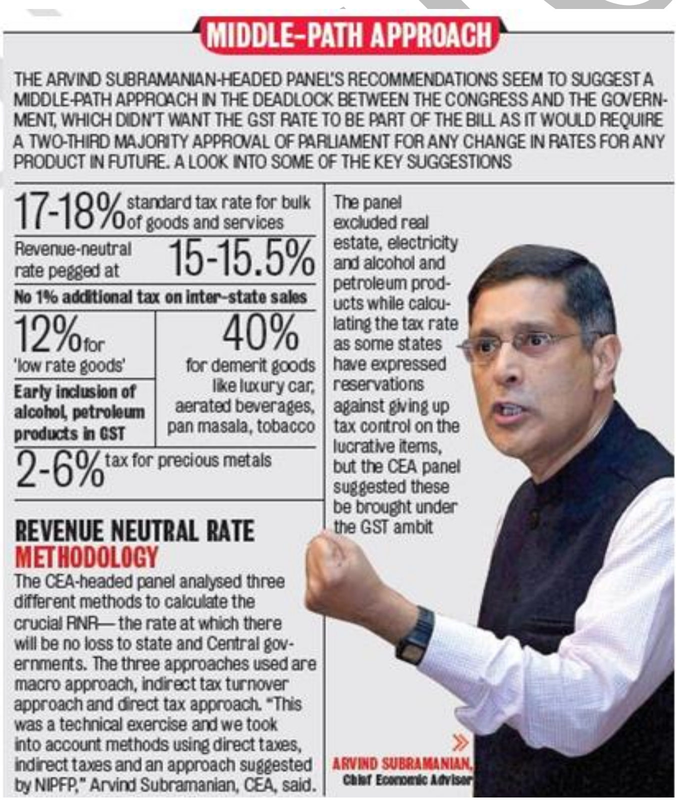

MIDDLE-PATH APPROACH

THE ARVIND SUBRAMANIAN-HEADED PANEL'S RECOMMENDATIONS SEEM TO SUGGEST A MIDDLE-PATH APPROACH IN THE DEADLOCK BETWEEN THE CONGRESS AND THE GOVERNMENT, WHICH DIDN'T WANT THE GST RATE TO BE PART OF THE BILL AS IT WOULD REQUIRE A TWO-THIRD MAJORITY APPROVAL OF PARLIAMENT FOR ANY CHANGE IN RATES FOR ANY PRODUCT IN FUTURE. A LOOK INTO SOME OF THE KEY SUGGESTIONS

17-18% standard tax rate for bulk of goods and services

Revenue-neutral rate pegged at 15-15.5%

No 1% additional tax on inter-state sales

12% for 'low rate goods'

Early inclusion of alcohol, petroleum products in GST

40% for demerit goods like luxury car, aerated beverages, pan masala, tobacco

2-6% tax for precious metals

The panel excluded real estate, electricity and alcohol and petroleum products while calculating the tax rate as some states have expressed reservations against giving up tax control on the lucrative items, but the CEA panel suggested these be brought under the GST ambit

REVENUE NEUTRAL RATE METHODOLOGY

The CEA-headed panel analysed three different methods to calculate the crucial RNR— the rate at which there will be no loss to state and Central governments. The three approaches used are macro approach, indirect tax turnover approach and direct tax approach. "This was a technical exercise and we took into account methods using direct taxes, indirect taxes and an approach suggested by NIPFP," Arvind Subramanian, CEA, said.

ARVIND SUBRAMANIAN, Chief Economic Adviser

<u>अपवाद:</u>

कर की दरों की गणना करते समय अचल संपत्ति, बिजली, शराब और पेट्रोलियम उत्पादों को सम्मिलित नहीं किया गया|

आगे की राह:

- व्यापक संभव आधार के साथ एक जीएसटी बनाने का उद्देश्य होना चाहिए।

- जीएसटी की सफलता के लिए हमें देश में सामान खरीदते वक़्त बिल लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा। इसके बिना परिवर्तन का पूर्ण लाभ नहीं मिल पायेगा।

- जीएसटी को उस कर दर को लक्ष्य में रखना चाहिए जो कि राजस्व की रक्षा करे, प्रशासन को सरल बनाये, अनुपालन को प्रोत्साहित करे, महँगाई न बढ़ाये और भारत को उन देशों की श्रेणी में बनाये रखे जहाँ अप्रत्यक्ष करों की दर उचित स्तर पर हैं।

सिफारिशों के महत्वपूर्ण पारिभाषिक पदों की व्याख्या

मानक दर – वह दर जिस पर अधिकांश वस्तुओं पर कर लगाया जाएगा। यह दर <u>राजस्व तटस्थ दर</u> से अधिक होगी क्योंकि कुछ सार्वजनिक वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जो वंचित वर्गों के लिए लक्षित हैं, उन पर कम दर पर कर लगाया जायेगा। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर इसी दर से कर लगाया जायेगा।

राजस्व तटस्थ दर – अगर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर इस दर पर कर लगाया जाता है तो राज्यों और केंद्र को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा।

मानक दर राजस्व तटस्थ दर की तुलना में अधिक क्यों है

कुछ सार्वजनिक वस्तुयें जो वंचित वर्गों के लिए लक्षित हैं, उन पर तुलनात्मक रूप से कम दर पर कर लगाने की आवश्यकता है। पान मसाला और तंबाकू उत्पाद जैसी वस्तुओं पर मानक दर से अधिक दर पर कर लगाया जायेगा क्योंकि ऐसी वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

3.5 इरडा व्यापार ऋण बीमा के लिए मानदंडों को उदारीकृत करेगा

- भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने व्यापार ऋण बीमा के लिए मानदंडों को उदारीकृत करने का फैसला किया है।

- भारत में ऋण बीमा बाजार को विनियमित करने वाले मौजूदा दिशा-निर्देशों पर पुनः विचार करने की जरुरत है ताकि ऋण बीमा बाजार को प्रोत्साहन दिया जा सके।

VISION IAS

- इरडा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहा है, जिससे व्यापार ऋण की माँग बढ़ने से ऋण बीमा क्षेत्र में कई गुना इजाफा होने की संभावना है।
- इरडा ने आढ़त (factoring) अधिनियम 2011 के तहत आढ़त व्यापार के संचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के समक्ष पंजीकृत संस्थाओं को व्यापार ऋण बीमा पॉलिसी जारी करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है।
- इस बीमा कवर को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के बाद होने वाली प्राप्तियों के परिप्रेक्ष्य में लघु अवधि के वित्तपोषण तक सीमित किया जाएगा।

व्यापार ऋण बीमा क्या है?

व्यापार ऋण बीमा एक बीमा पॉलिसी है जो निजी बीमा कंपनियों और सरकारी निर्यात ऋण एजेंसियों द्वारा उन व्यावसायिक फर्मों को प्रदान की जाती है जो प्रलंबित भुगतान चूक, ऋणशोधन या दिवालियापन जैसे ऋण जोखिम से खातों के वित्तपोषण की रक्षा करना चाहते हैं।

नई नीति का मसौदा पूर्व की नीति से अलग कैसे है?

- व्यापार ऋण नीति बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए बनायी जा सकती है।
- मौजूदा नीति में व्यापार ऋण बीमा के लिए बीमा कंपनी का शुद्ध प्रतिधारण (net retention) निवल संपत्ति का 2 प्रतिशत है; इरडा ने इसे बढाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
- प्रस्तावित परिवर्तनों में व्यापार ऋण नीति में व्यापार प्राप्तियों के 85 फीसदी या उससे कम की क्षतिपूर्ति शामिल है।
- मौजूदा कानून के अंतर्गत किसी पॉलिसी धारक को प्रत्येक खरीदार की व्यापार प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक की क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती या पिछले वर्ष विक्रेता द्वारा खर्च लागत की 90 प्रतिशत से अधिक की क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती (दोनों में से जो भी कम हो)।
- इसमें यह भी प्रस्तावित है कि किसी भी व्यापार ऋण बीमा पॉलिसी में प्रतिवर्ती आढ़त (रिवर्स फैक्टरिंग) और बिल डिस्काउंटिंग को कवर करने अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ये दिशा-निर्देश भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को छोड़कर सभी पंजीकृत सामान्य बीमा कंपनियों पर लागू होंगे।

आगे की राह

- ऋण की कमी से जूझ रहे बीमा बाजार को विनियमित करने वाले मौजूदा दिशा-निर्देशों में परिवर्तन के लिए ऋण मानदंडों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गयी है।
- यह ऋण की कमी से जूझ रहे बीमा बाजार को प्रोत्साहन दे सकता है।

3.6. विश्व बैंक की रिपोर्ट-'अत्यधिक गरीबी का खात्मा, समृद्धि को साझा करना: प्रगति और नीतियां'

- विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा को संशोधित करके 1.25 डॉलर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.90 डॉलर (लगभग रू. 130) प्रतिदिन कर दिया है।
- यह दुनिया की 15 सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रीय गरीबी रेखा के औसत के आधार पर निर्धारित की गयी है।
- 2011 के नए क्रय शक्ति समता के आंकड़ों का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा को स्थानीय मुद्रा से अमरीकी डॉलर में परिवर्तित किया गया।
- नए आंकड़ों के आधार पर 2012 के लिए नवीनतम शीर्ष अनुमान के अनुसार करीब 90 करोड़ लोग (वैश्विक जनसंख्या का 12.8 फीसदी) अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं।
- सितंबर में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के साथ, दुनिया से गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व बैंक समूह ने 2030 तक दुनिया में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या को विश्व की कुल जनसंख्या के 3 प्रतिशत से भी कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारतीय दृष्टिकोण

- संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (modified mixed reference period-MMRP) के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी केवल 12.4 प्रतिशत हो सकती है।
- यह कहा जा रहा है कि भारत अपने यहां गरीबों की संख्या का अधिमूल्यांकन करता रहा है |
- विश्व बैंक ने आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक नई विधि का इस्तेमाल किया है, जिसे संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि कहा जाता है।
- यद्यपि 2012 में भारत में गरीबों की संख्या सबसे अधिक थी, फिर भी गरीबों की अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों की तुलना में भारत की गरीबी दर सबसे कम थी।
- भारत में गरीबी रेखा के आस-पास रहने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए गरीबी आकलन काफी भिन्न हो जाता है जो कि सर्वेक्षण के आकलन अवधि (रिकॉल पीरियड) पर निर्भर करता है |

गरीबी पर विश्व बैंक और रंगराजन समिति की रिपोर्ट की तुलना

	भारतीय आकलन	विश्व बैंक की रिपोर्ट
गरीबी की दर	यह रंगराजन समिति द्वारा 29.5% और तेंदुलकर समिति की	विश्व बैंक का अनुमान है कि यह सिर्फ 12.4% हीं है

	रिपोर्ट में 21.9% आंकी गई थी।	
गरीबी रेखा	क्रय शक्ति समता के संदर्भ में रंगराजन समिति द्वारा यह 2.44 डॉलर प्रति दिन प्रति व्यक्ति है	विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा में संशोधन करके इसे 1.90 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया है|
पद्धति	भारत में डाटा एकत्रित करने के दो मुख्य तरीके हैं: समान संदर्भ अवधि और मिश्रित संदर्भ अवधि	विश्व बैंक ने संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि पद्धति का इस्तेमाल किया है। ऐसा अनुमान है कि यह पद्धति उपभोग व्यय का एक अधिक सटीक आकलन प्रदान करती है|
अंतर के कारण	जिस तरीके से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, उसके कारण	विश्व बैंक के कम गरीबी अनुपात का कारण गरीबी रेखा को निम्न स्तर पर निर्धारित करना है
गरीबी की गहनता	भारत में इसे अलग तरीके से आकलित किया जाता है – गरीबी रेखा के लिए विभिन्न कसौटियों के अनुसार गरीबी अनुपात का निर्धारण किया जाता है।	विश्व बैंक के इस रिपोर्ट में गरीबी के आकलन हेतु व्यक्ति-समकक्ष हेडकाउंट्स (सिरों की गिनती) पर फोकस किया जाता है।
गरीबी के आयाम	हम गरीबी के अनुमानों के लिए एक-आयामी दृष्टिकोण को इस्तेमाल करते आये हैं	विश्व बैंक रिपोर्ट लोगों द्वारा अनुभव किये जाने वाले कई आयामों को समझने के महत्व पर जोर देती है

संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि क्या है?

- इस विधि में कुछ खाद्य पदार्थों के लिए 30 दिन के बजाय केवल 7 दिन के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं।
- कुछ कम आवृत्ति वाली वस्तुओं के लिए 30 दिन के बजाय एक 1 वर्ष के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं।
- कम आवृत्ति वाली वस्तुओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र, आदि पर होने वाला खर्च सम्मिलित है।

आगे की राह

- भारत में गरीबी के संबंध में 12.4% के विश्व बैंक के इस आकलन का यह मतलब नहीं है कि अधिकांश भारतीय अचानक समृद्ध हो गए हैं। वस्तुतः यह उन आंकड़ों के संग्रहण पर आधारित है जिसके आधार पर गरीबी दर का निर्धारण किया जाता है।
- वस्तुतः भारत में गरीबों की ज्यादातर संख्या गरीबी रेखा के आस-पास रहती है। इससे अलग-अलग आकलनों में गरीबो की वास्तविक संख्या में भिन्नता आती है।इसका कारण यह है कि विभिन्न आकलन विधियाँ अलग -अलग मानकों का प्रयोग करती हैं।
- विकास की गति और तरीके का गरीबी अनुपात कम करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन नीति निर्माताओं को दोहरी रणनीति अपनानी चाहिए - पहला, अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने देना और दूसरा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को अप्रत्याशित तौर पर कम करना।
- आगे चलकर संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि आधारित अनुमान (जो कि भारत के लिए वर्तमान में 12.4% है) द्वारा भारत और वैश्विक गरीबी के लिए एक आधार रेखा निर्धारित करने की उम्मीद है।

3.7. भारतीय रिजर्व बैंक का एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ETCD बाजार में हस्तक्षेप

- भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये की कीमत में अधिक गिरावट को नियंत्रित करने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स बाज़ार (विनिमय व्यापारित मुद्रा व्युत्पन्न बाज़ार) में हस्तक्षेप करने का विचार किया है।
- ऐसा निकट भविष्य में अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के फैसले और चीनी युआन के अवमूल्यन के डर से भारतीय रुपये में भारी गिरावट से बचने के लिए किया गया है।
- इस हस्तक्षेप से रुपये में किसी भी पूर्वानुमान के कारण आने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने में रिजर्व बैंक को मदद मिलेगी।
- एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी वायदा अनुबंध अंतर्निहित मुद्रा को भविष्य में एक निर्धारित दर पर और एक निर्धारित तिथि पर खरीदने या बेचने के लिए किया गया एक समझौता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक आम तौर पर विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा स्पॉट (हाजिर) बाजार और मुद्रा वायदा बाजार में हस्तक्षेप करता है।

VISION IAS

3.8. वित्तीय समावेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित दीपक मोहंती समिति ने वित्तीय समावेशन के लिए एक मध्यम अवधि की कार्य योजना तैयार की है।
- समिति ने पाया कि समावेशन के कुछ संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी काफी लोग अनौपचारिक माध्यमों जैसे साहूकारों आदि पर निर्भर रहते हैं।

दीपक मोहंती समिति की मुख्य सिफारिशें:

- बैंकों को महिलाओं के खाता खोलने को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे और सरकार बालिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में एक जमा योजना - सुकन्या शिक्षा - पर विचार कर सकती है।
- प्रत्येक व्यक्ति के क्रेडिट (ऋण) खाते से एक बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जैसे आधार जोड़ी जानी चाहिए और ऋण प्रणाली की स्थिरता बढ़ाने और पहुँच में सुधार करने के लिए क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ जानकारी साझा की जानी चाहिए। इससे एक से अधिक ऋण खातों की पहचान करने और ऋण लेने वालों को अधिक ऋणी बनने से रोकने में सहायता मिल सकती है।
- देश के सुदूरवर्ती इलाकों तक सेवा के वितरण में सुधार करने और वित्तीय पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा अधिकतम संभव गवर्नमेंट टू पर्सन (G2P) पेमेंट के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा के उपयोग के द्वारा एक कम लागत वाले समाधान का विकास किया जाना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र के सभी गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करके आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।
- समिति ने सिफारिश की है कि फसल ऋण पर अल्पकालिक ब्याज दर में छूट या सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए और इसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक फसल बीमा योजना से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- समिति ने एप्लीकेशन (अनुप्रयोग) आधारित मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्वाइंट-ऑफ-सेल (बिक्री केंद्र) (PoS) के रूप में करने की सिफारिश की है ताकि जन धन योजना के तहत काफी अधिक संख्या में खोले गए नए खातों और भरी संख्या में जारी किये गए कार्डों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा निर्मित किया जा सके।
- समिति ने बिजनेस कॉरेसपॉडेंट के प्रमाणीकरण के लिए प्रशिक्षण की एक वर्गीकृत प्रणाली की सिफारिश की है। अच्छी उपलब्धियों और उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त बिजनेस कॉरेसपॉडेंट पर ऋण उत्पादों जैसे अधिक जटिल वित्तीय कार्यों के लिए भरोसा किया जा सकता है।
- मांग जमा जैसे सरल उत्पादों के साथ बैंकों को विशिष्ट ब्याज मुक्त काउंटर खोलने की अनुमति देना।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मौके पर ऋण गारंटी प्रदान करना, और जवाबी गारंटी तथा पुनः बीमा की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विविध गारंटी एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।
- ऋण लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने और इस जानकारी को क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा करने की एक प्रणाली निर्मित करना।

3.9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में खाद्य मंत्रालय ने कहा कि डिजिटलीकरण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करने में मदद मिली है और करीब 60 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण क्यों?

- सब्सिडी को जरुरतमंदों तक पहुँचाने और खाद्यान्नों का रिसाव मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और स्वचालित राशन की दुकानों का इस्तेमाल कर रही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्र सरकार इस प्रणाली में शुरू से अंत तक कंप्यूटरीकरण करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और खाद्यान्न का रिसाव कम होगा।
- भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन हेतु गठित शांता कुमार सिन्हा समिति ने जनवरी में सौंपे अपने रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि सरकार को खाद्य सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकदी अंतरण शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मौजूदा वितरण प्रणाली में लगभग 47% तक का रिसाव होता है।
- अनुमान है कि केवल नकद अंतरण से सरकारी खजाने का 30000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष बचाया जा सकता है।
- स्वचालन सुनिश्चित करता है कि राशन की दुकानों से खाद्यान्न प्वाइंट-ऑफ-सेल उपकरणों के माध्यम से प्रमाणित लाभार्थी को ही मिले और यह प्रत्येक परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा का रिकॉर्ड भी रखता है।

प्रभाव

- इन प्रयासों से पिछले दो वर्षों में करीब 60 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है, जिससे 4200 करोड़ रुपये के खाद्यान्न के रिसाव और दुरुपयोग को रोका गया है।
- अभी तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों की जानकारी का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है।
- लाभार्थियों के आधार कार्ड की विशिष्ट पहचान संख्या से जुड़े होने वाले प्वाइंट-ऑफ-सेल उपकरणों को राशन की दुकानों में स्थापित करने के लिए राज्य केंद्रीय सहायता का लाभ ले रहे हैं।

VISION IAS

- नौ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।
- अप्रैल से दिसंबर के बीच राशन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ने की प्रक्रिया 8% से बढ़कर 39% तक पूर्ण हो चुकी है।

3.10. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NATIONAL INVESTMENT AND INFRASTRUCTURE FUND-NIIF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने 40000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना की है।

एन.आई.आई.एफ. का उद्देश्य

- अवरुद्ध परियोजनाओं सहित वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में अवसंरचना के विकास के माध्यम से आर्थिक प्रभाव को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना,
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना,
- अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश प्रवाह बढ़ाना
- यह भारत में अवसंरचना संबंधी समस्यायों को दूर करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है। कई कोषों को एक साथ मिलाकर यह एक समावेशक की तरह कार्य करेगा।

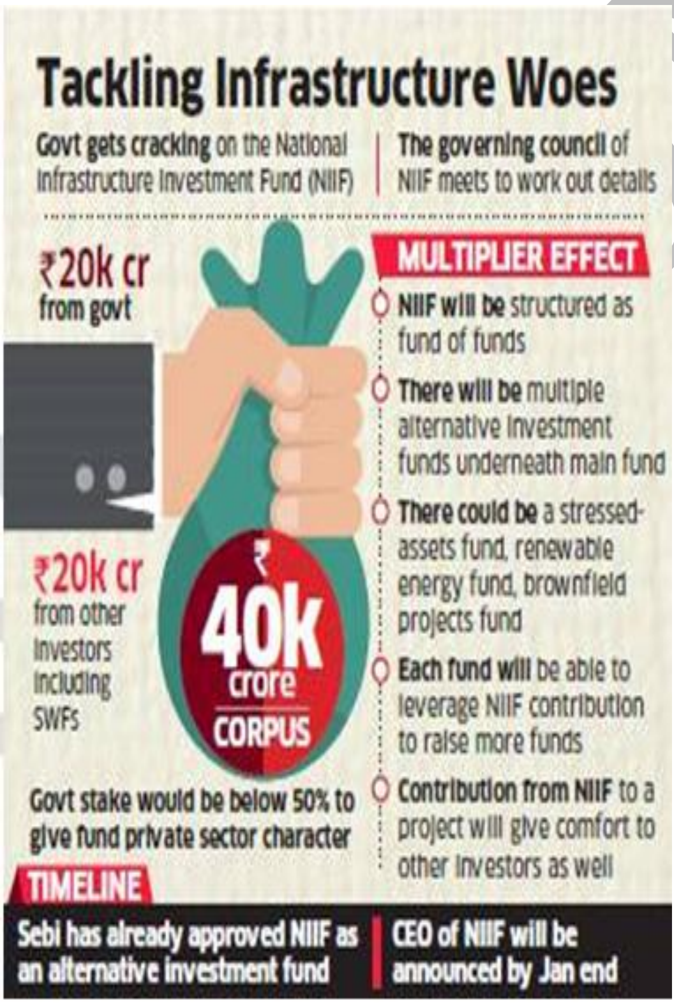

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष क्या है?

- यह देश में अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक कोष है।
- चालू वित्त वर्ष में सरकार ने इस हेतु 20000 करोड़ रूपए का योगदान दिया है और शेष 20000 करोड़ रूपए संप्रभु संपदा कोष के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा।
- यह सेबी के तहत कैटेगरी II वैकल्पिक निवेश कोष (category II alternative investment fund) के रूप में पंजीकृत है।
- अवरुद्ध परियोजनाओं सहित अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए यह एक संप्रभु कोष है।
- **एन.आई.आई.एफ.** की दोहरी भूमिका होगी - पहला, परियोजनाओं में इक्विटी पूंजी डालना और दूसरा, अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए यथोचित योगदान देना।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के कार्य

- अपतटीय ऋण संवर्धन बांड जैसे उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से वित्त एकत्रित करना और भरोसेमंद निवेशकों को कोष में भागीदार के रूप में भाग लेने के लिए आकर्षित करना।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के निवेशकों को सेवा प्रदान करना।
- निवेश के लिए कंपनियों / संस्थाओं / परियोजनाओं को ध्यान में रखना और उनका अनुमोदन करना और निवेश की समय-समय पर निगरानी करना।
- निजी इक्विटी में निवेश के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा बनाये गए कोष में निवेश।
- अवसंरचना परियोजनाओं का एक समूह बनाना और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के लिए धन के स्रोत

- रणनीतिक एंकर साझेदारों से इक्विटी भागीदारी इसके वित्तीयन का एक प्रमुख स्रोत होगा। भारत सरकार इसे एक संप्रभु कोष के रूप में स्थापित करने के लिए योगदान देगी और उसमें सह-निवेश करने के लिए विदेशी संप्रभु / अर्ध संप्रभु / बहुपक्षीय / द्विपक्षीय निवेशकों को आकर्षित करेगी।
- वार्षिक योजना के आधार पर अपने कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित प्रत्येक इकाई के लिए प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा धन मुहैया कराया जायेगा।
- रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के संप्रभु संपदा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पेंशन फंड ने भारत के

VISION IAS

40000 करोड़ रुपये के इस राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के भागीदार बनने में रुचि प्रदर्शित की है।

संरचना

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष को सेबी के विनियमों के तहत एक या अधिक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 20000 करोड़ रुपये का होगा जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा। सरकार इस कोष में प्रति वर्ष 20000 करोड़ रुपये तक का योगदान दे सकती है। वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित प्रत्येक इकाई में सरकार की हिस्सेदारी 49% होगी और इसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकेगा। अर्थात, कुल 49% का योगदान सीधे सरकार द्वारा किया जायेगा, जबकि शेष राशि का योगदान अन्यों द्वारा किया जाएगा।

गवर्नेंस

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष को कराधान और लचीलेपन की दृष्टि से एक ट्रस्ट/ कानूनी इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा।

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गवर्निंग काउंसिल में अंतरराष्ट्रीय वित्त विशेषज्ञ, प्रख्यात अर्थशास्त्री और अवसंरचना पेशेवरों के साथ-साथ सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इसमें अन्य गैर-सरकारी शेयरधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं।

- गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों नियुक्ति के संबंध में उनकी पदावधि तथा सेवा शर्तों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा।
- एन.आई.आई.एफ. के लिए एक या अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा और विशेषज्ञ स्टाफ की सीमित संख्या के साथ एक छोटा निवेश दल भी होगा।

- परियोजना के चयन के लिए एन.आई.आई.एफ. के पास पूर्ण स्वायत्तता होगी। परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं के चयन मानदंड के लिए एन.आई.आई.एफ. दिशानिर्देश तैयार करेगा और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

3.11. भारत में भूसम्पति और पशुधन धारिता पर एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 70वें दौर (जनवरी 2013 से दिसंबर 2013) के सर्वेक्षण के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूसंपति और पशुधन धारिता पर एक सर्वेक्षण किया है।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

- एनएसएसओ के ये आंकड़े 2010-11 में किए गए 9वें कृषि जनगणना द्वारा सामने रखे गए आंकड़ों की तुलना में 65 मिलियन हेक्टेयर कम है।
- भूसंपति और पशुधन धारिता पर जारी इस रिपोर्ट में 2012-13 में लगभग 95 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ऑपरेशनल होल्डिंग्स (परिचालन जोत/धारिता) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भूमि का पारिवारिक स्वामित्व- 2002-03 की तुलना में 2012-2013 में प्रति परिवार के स्वामित्व वाले औसत क्षेत्र और परिवार के स्वामित्व वाले कुल अनुमानित क्षेत्र में कमी आई है।
- कृषि वर्ष जुलाई 2012 से जून 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों के स्वामित्व वाला कुल अनुमानित क्षेत्र 92.3 मिलियन हेक्टेयर था और प्रति परिवार स्वामित्व वाला औसत क्षेत्र 0.592 हेक्टेयर था।
- ग्रामीण परिवारों में सीमांत भूमि धारकों का अनुपात सबसे ज्यादा (75.42%) था, जबकि बड़े भूमि धारकों का अनुपात सबसे कम सबसे कम (0.24%) था। कुल ग्रामीण परिवारों में 7.41% भूमिहीन वर्ग से थे।

ऑपरेशनल होल्डिंग्स वह भूमि होती है जिसे पूरी तरह या आंशिक रूप से कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किचन गार्डन या पशुपालन भी शामिल है परन्तु सहकारी खेती और संस्थागत स्वामित्व को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है।

खेती के पैटर्न में प्रवृत्ति

- वर्ष 2002-03 की तुलना में 2012-13 में ऑपरेशनल होल्डिंग्स की कुल संख्या और संयुक्त जोतों के कुल प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

- जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 (56.21%) और जनवरी 2013 से जून 2013 (57.74%) के दौरान सर्वाधिक क्षेत्र में अनाज बोया गया था। इसके बाद दो सत्रों में भूमि का उपयोग क्रमशः तिलहन (13.75% और 7.34%) और दालों (6.30% और 10.20%) को उगाने में किया गया था।
- जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के दौरान आंध्र प्रदेश (26%), असम (23%), बिहार (17%) और पश्चिम बंगाल (13%) जैसे राज्यों में भूमि बाढ़ से प्रभावित रही।

पशुपालन में प्रवृत्ति

- 2012 में जुलाई से दिसम्बर और 2013 में जनवरी से जून के बीच पशुपालन (डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन और अन्य) में सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग डेयरी (53.8% और 69.7%) में किया गया था। इस दौरान मछली पालन के लिए क्रमशः 18.7% और 11.8% भूमि क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया था।

VISION IAS

- जुलाई से दिसम्बर 2012 के दौरान सभी प्रकार के पशुपालन के लिए 0.97% भूमि और जनवरी से जून 2013 के दौरान 1.69% भूमि का इस्तेमाल किया गया।

देश में पशुधन/कुक्कुट पक्षी

- 70वें सर्वेक्षण में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में गोवंशी (bovine) पशुओं की अनुमानित संख्या में कमी आई है।
- पिछले सर्वेक्षण की तुलना में भेड़ और बकरी तथा सुअर की आबादी में मामूली वृद्धि हुई है।
- 70वें दौर में कुक्कुट पक्षियों की संख्या 59वें दौर के सर्वेक्षण से लगभग 1.4 गुना बढ़ गयी है।
- वर्ष 2012-13 के दौरान मवेशी और भैंसों की अनुमानित संख्या 204 मिलियन थी। इस अवधि के दौरान भेड़ और बकरी की अनुमानित संख्या 99 मिलियन थी।

3.12. विश्व व्यापार संगठन की नैरोबी वार्ता

- विश्व व्यापार संगठन का दसवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 15 से 19 दिसंबर 2015 के बीच नैरोबी (केन्या) में आयोजित किया गया।
- सम्मेलन का समापन **"नैरोबी पैकेज"** की स्वीकृति के साथ हुआ। "नैरोबी पैकेज" कृषि, कपास और अल्प विकसित देशों के मुद्दों से संबंधित (छह मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की श्रृंखला के बाद लिया गया निर्णय) है।

कृषि

- **विकासशील देशों के लिए स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म (SSM-विशेष सुरक्षा उपाय)** – आयात में अप्रत्याशित वृद्धि या कीमतों में गिरावट की स्थिति में यह तंत्र विकासशील देशों को कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को अस्थायी रूप से बढ़ाने की अनुमति देता है।
- **खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग–** इसका उपयोग कुछ विकासशील देशों द्वारा प्रशासित (सरकार द्वारा निर्धारित) कीमतों पर खाद्य पदार्थ खरीदने और गरीब लोगों को वितरित करने के लिए किया जाता है।

निर्यात प्रतिस्पर्धा

- सामूहिक रूप से कुछ मुद्दों जैसे कृषि निर्यात सब्सिडी का उन्मूलन, निर्यात ऋण के नये नियम, अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता आदि को "निर्यात प्रतिस्पर्धा" के रूप में जाना जाता है।
- यह गरीब देशों के किसानों के लिए विशेष रूप से सार्थक होगा जो उन अमीर देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जो सब्सिडी के माध्यम से अपने निर्यात को बढ़ावा देते हैं।

- **कपास** - बाजार पहुंच पर: नैरोबी प्रस्ताव के अनुसार 1 जनवरी 2016 से अल्प विकसित देशों (LDCs) के कपास निर्यात को विकसित देशों तथा वैसे विकासशील देशों में जो खुद को ऐसा करने में सक्षम घोषित करते है, के बाजारों में शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच दी जानी है।

अल्प विकसित देशों के मुद्दे

- अल्प विकसित देशों के लिए **प्रेफ़रेन्शियल (अधिमान्य) रूल ऑफ़ ओरिजिन**- विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में इन देशों के लिए व्यापार के अवसरों में वृद्धि और विश्व व्यापार संगठन के नियमों को लागू करने में उदारता की अनुमति संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं।

- अल्प विकसित देशों के सेवाओं और सेवा प्रदाताओं के लिए अधिमान्य व्यवहार का कार्यान्वियन और सेवा व्यापार में अल्प विकसित देशों की भागीदारी में बढोत्तरी करना।

मुद्दे / चिंताएं

- भारत और अन्य विकासशील देशों का मानना है कि विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उनकी कुछ ही चिंताओं को संबोधित किया गया है।
- दोहा विकास एजेंडे की सर्वसम्मत पुन: पुष्टि नहीं हुई है।
- खाद्य फसलों की सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग और कृषि क्षेत्र में स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भी कोई प्रगति नहीं देखी गयी।
- गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने वाले कई विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा का मुद्दा चिंता का विषय है।
- अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्राजील, चीन और भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अंतिम परिणाम पर आपस में बातचीत की है। शेष देशों को “उभरते विश्व व्यापार व्यवस्था” (इमर्जिंग वर्ल्ड ट्रेड आर्डर) के परिणाम के बारे में अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया है।
- कई व्यापार विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि 'नैरोबी पैकेज' ने विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर की वार्ता के मौलिक उद्देश्य को पूर्णतः दरकिनार कर दिया है। दोहा दौर की

वार्ता का मौलिक उद्देश्य विकासशील और गरीब देशों की व्यापार संभावनाओं में सुधार लाना है।

नैरोबी वार्ता से उभरकर सामने आने वाली प्रमुख बातें:

- सभी कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करना और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में वैश्विक व्यापार को उदार करना।
- सेवाओं क्षेत्रक में अल्प विकसित देशों के साथ अधिमान्य व्यवहार।
- कपास से संबंधित उपाय।
- विकासशील देशों के लिए एक स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म।

भारत का दृष्टिकोण

नैरोबी घोषणा भारत के लिए कई मोर्चों पर निराशाजनक रही:

स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म संबंधी अपनी मांगों को लेकर विश्वसनीय आउटकम प्राप्त करने, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग तथा दोहा विकास एजेंडा वार्ता जारी रखने के लिए पुन: पुष्टि के अपने उद्देश्यों के संदर्भ में भारत विफल रहा है। भारत की शायद ही कोई माँग पूरी हुई है।

3.13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी (पीएसएल) के मानदंडों में संशोधन

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक को दिए जाने वाले ऋण के मानदंडों में संशोधन किया है। इन नए नियमों के मुताबिक, प्राथमिक क्षेत्रक उधारी लक्ष्यों को कुल आउटस्टैंडिंग (बकाया) के मौजूदा 60 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया है। ये संशोधित लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे।

प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी के मानदंडों में अन्य महत्वपूर्ण संशोधन:

- व्यक्तिगत किसानों को प्रदान किये जाने वाले ऋण की सीमा 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 50 लाख रूपए कर दी गयी है।

- कॉरपोरेट किसानों, किसान उत्पादन संगठनों/ व्यक्तिगत किसानों की कंपनियां, किसानों की भागीदारी-युक्त कंपनियां/ कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता कुल ऋण की सीमा को दुगुना कर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- आवास ऋण के मामले में रिजर्व बैंक ने पीएसएल की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली ऋण की राशि को कम कर दिया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 25 लाख रुपयों की पूर्व सीमा को कम कर सिर्फ 20 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण को पीएसएल माना जाएगा।

- मध्यम उद्योग, सामाजिक संरचना और अक्षय ऊर्जा को पीएसएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मार्च 2015 तक देश में 20059 शाखाओं के नेटवर्क के साथ कुल 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे थे। ये 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 644 अधिसूचित जिलों को कवर कर रहे थे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में यह महसूस किया गया कि कुछ सांस्कृतिक कारणों से सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किसानों को ऋण प्राप्ति के मार्ग में कठिनाई आ रही है।
- सरकार ने वर्ष 1975 में नरसिम्हन कार्यदल का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सितंबर 1975 में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश लागू किया गया और बाद में इसकी जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 लाया गया।

मुख्य विशेषताएं:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व तीन संस्थाओं के पास था| जिनकी हिस्सेदारी निम्नवत थी:
    - केन्द्र सरकार → 50%, राज्य सरकार → 15%, प्रायोजक बैंक → 35%
- प्रत्येक बैंक को एक "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- इन प्रायोजक बैंकों के लिए आवश्यक था

    1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में हिस्सेदारी
    2. उनके कर्मियों को प्रशिक्षित करना
    3. प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करना

प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण क्या होते हैं?

प्राथमिकता क्षेत्र अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को दर्शाता है जिन्हें इस विशेष व्यवस्था के अभाव में समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता।

संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2013

भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी से तात्पर्य किसको ऋण देने से है?

(क) कृषि (ख) सूक्ष्म और लघु उद्यम

(ग) दुर्बल वर्ग (घ) उपर्युक्त सभी।

संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2004

प्रश्न- "प्राथमिकता क्षेत्र ऋण" से क्या आशय है?

VISION IAS

प्राथमिकता क्षेत्र के तहत श्रेणियों में शामिल हैं - 1. कृषि; 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; 3. निर्यात ऋण; 4. शिक्षा; 5. आवास; 6. सामाजिक अवसंरचना 7.नवीकरणीय ऊर्जा; और 8. अन्य।

3.14. विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनरुद्धार योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

'मेक इन इंडिया' अभियान को समर्थन प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आधार हैं, इसलिए निर्यात को बढ़ाने और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया था।

विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं?

विशेष आर्थिक क्षेत्र वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें देश में गैर- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इनमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधायें होती हैं और ये कर मुक्त परिक्षेत्र होते हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन।
- **वस्तुओं** और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन देना।
- रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- बुनियादी सुविधाओं का विकास।

विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों विफल रहे?

- क्षेत्र के बाहर निर्यातकों को विदेश व्यापार नीति के तहत प्रोत्साहन की पेशकश
- मुक्त व्यापार समझौतों से उत्पन्न हतोत्साहन
- न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर
- भूमि अधिग्रहण प्रमुख बाधाओं में से एक है।
- श्रम कानून
- वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच मतभेद की वजह से नीतिगत अनिश्चितता।

आगे की राह:

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अवधारणा को कर मुक्त क्षेत्र से बदलकर उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं वाले विशिष्ट क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की जरूरत है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधायें प्रदान किये जाने की जरुरत है ताकि संचालन लागत कम हो जाए और यह निर्यात प्रोत्साहक के रूप में कार्य करें। सरकार को इस संबंध में पर्याप्त सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- राजकोषीय प्रोत्साहन को इस तरह रखा जाना चाहिए कि यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन न करे।
- इन क्षेत्रों में निर्मित उत्पादों को सीमा शुल्क के भुगतान के बिना देश के भीतर बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर को ख़त्म कर देना चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2010

फरवरी 2006 में प्रभावी हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.ज़ेड.) अधिनियम, 2005 के कुछ उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

1. अवसरंचना सुविधाओं का विकास।
2. विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन।
3. केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से, इस अधिनियम के उद्देश्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2015

प्रश्न- इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के एक साधन हैं। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए, एस.ई.ज़ेड के संपूर्ण साधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कराधान, नियंत्रक कानूनों और प्रशासन के संबध में एस.ई.ज़ेड. की सफलता के मार्ग में बाधक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

3.15. केयर्न इंडिया कंपनी कर विवाद

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केयर्न एनर्जी ने भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश समझौते के तहत भारत सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की प्रक्रिया प्रारंभ की है। कंपनी ने कहा है कि 1.6 अरब डॉलर के कर विवाद पर भारत सरकार की कार्रवाई से

VISION IAS

उसे बहुत नुकसान हुआ है और वह करीब 7000 लाख डॉलर का मुआवजा भारत सरकार से मांगेगी।

- विवाद का परिणाम लंबित होने से सरकार ने हिस्सेदारी की बिक्री नामंज़ूर कर दी थी। इसी प्रकार के अन्य कारकों की वजह से केयर्न इंडिया लिमिटेड में केयर्न एनर्जी के अवशिष्ट होल्डिंग के मूल्य में गिरावट आई थी। इन कारणों से सरकार को "पर्याप्त हर्जाना" के मुक़दमे का सामना करना पड़ सकता है।

भारत के द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIT)

- भारत ने ब्रिटेन के साथ 1994 में अपने पहले द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 1994 के बाद से, भारत ने कुल 83 द्विपक्षीय निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 72 वर्तमान में लागू हैं।
- लगभग 40 द्विपक्षीय निवेश समझौते विकासशील और अल्प विकसित देशों के साथ हैं।
- लगभग 20 द्विपक्षीय निवेश समझौते पिछले पांच वर्षों में किये गये हैं।

द्विपक्षीय निवेश समझौतों के तहत कुछ अन्य प्रमुख विवाद

- वोडाफोन कर विवाद, लागू संधि: नीदरलैंड- भारत द्विपक्षीय निवेश समझौता
- बाल निवेश कोष, लागू संधि: साइप्रस-भारत द्विपक्षीय निवेश समझौता
- लूप टेलीकॉम, लागू संधि: ब्रिटेन-भारत द्विपक्षीय निवेश समझौता

भारत के द्विपक्षीय निवेश समझौतों की पृष्ठभूमि

- 1991 में अपनाई गई आर्थिक उदारीकरण की नीति में विदेशी निवेश को औद्योगिक नीति की आधारशिला के रूप में देखा गया।
- औद्योगिक नीति ने अपनी उम्मीदें विदेशी निवेश पर टिका दी थीं। यह माना गया कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन विशेषज्ञता, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीक और निर्यात को बढ़ावा देने की नई संभावनाओं को साथ लायेगा।
- द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार अथवा द्विपक्षीय निवेश समझौते के रूप में जानी जाने वाली व्यवस्था इसका मुख्य आधार हैं। सभी भारतीय द्विपक्षीय निवेश समझौतों में यह स्पष्ट है कि निवेश को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहां तक कि द्विपक्षीय निवेश समझौते के प्रारूप में भी यह कहा गया है।
- हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारत के खिलाफ 18 से अधिक दावे किये गए हैं और अगर वे ये मुक़दमे जीत जाते हैं तो देश के सरकारी खजाने पर बहुत दबाव पड़ेगा। इनमें से अधिकांश दावे कर विवादों से उत्पन्न हुए हैं।

क्या द्विपक्षीय निवेश समझौते वास्तव में विदेशी निवेश लाते हैं?

ऐसे कोई सबूत नहीं हैं कि _द्विपक्षीय निवेश समझौतों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई अध्ययन भी इन समझौतों के समर्थन के संबंध में एक मजबूत धारणा बनाने में नाकाम रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2012 में ब्राजील में 65 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ जो कि उसके चालू खाते के घाटे के बराबर है, जबकि ब्राजील ने एक भी द्विपक्षीय निवेश समझौता नहीं किया हुआ है। चीन भी इसका एक उदाहरण है। अभी तक चीन-अमेरिका द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू नहीं हुआ है फिर भी अमेरिका चीन के सबसे बड़े निवेशकों में से एक बना हुआ है।

दूसरी तरफ इतने द्विपक्षीय निवेश समझौतों के बाद भी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 32 अरब डॉलर से 27 अरब डॉलर रह गया है। इसमें शक नहीं है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कई कारक आकर्षित करते हैं। इसलिए द्विपक्षीय निवेश समझौते के मॉडल की समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई।

संशोधित मॉडल: कैबिनेट ने हाल ही में संशोधित मॉडल को मंजूरी दे दी है। संशोधित मॉडल को मौजूदा समझौतों पर फिर से बात करने और भविष्य के समझौतों और व्यापार समझौतों में निवेश प्रकरणों पर बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

संशोधित बी.आई.टी. मॉडल की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

- निवेश की "उद्यम" आधारित परिभाषा
- उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार
- राष्ट्रीय व्यवहार
- ज़ब्ती से सुरक्षा
- एक संशोधित निवेशक राज्य विवाद निपटान प्रावधान जिसमें निवेशकों के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले सभी स्थानीय तरीकों का पूर्ण उपयोग आवश्यक हो|
- न्यायाधिकरण की शक्ति को सिर्फ मौद्रिक मुआवजा देने तक सीमित करना
- मॉडल में कुछ मामले शामिल नहीं हैं, जैसे
  - सरकारी खरीद
  - कराधान, सब्सिडी
  - अनिवार्य लाइसेंस
  - नियामक प्राधिकरण को संरक्षित करने के लिए सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा

VISION IAS

3.16. बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS-आधार ह्रास और लाभ स्थानांतरण) योजना को अपनाने के लिए भारत तैयार

(पृष्ठभूमि के लिए अक्टूबर अंक देखें)

भारत ओ.ई.सी.डी. और जी-20 देशों द्वारा प्रस्तावित कर-चोरी पर अंकुश लगाने के लिए इस नई व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार है।

बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है?

यह एक तकनीकी शब्द है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर परिहार का राष्ट्रीय कराधार पर नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। इसे ट्रांसफर प्राइसिंग (अंतरण कीमत) प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

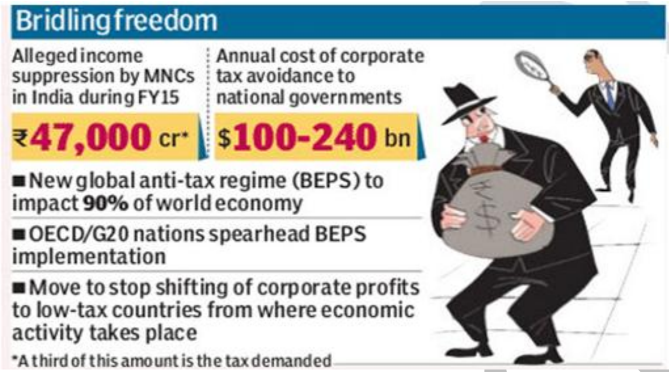

<u>नियंत्रित विदेशी निगम (Controlled Foreign Corporation-CFCs) : ये</u> नियम वैसे नियम हैं जिनका प्रयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में धारित अप्रत्यावर्तित (un-repatriated) मुनाफा पर कर लगाने के लिए किया जाता है।

अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCD):- यह एक प्रकार का डिबेंचर है जिसमें डिबेंचर के पूरे मूल्य को एक निश्चित समय में इक्विटी में परिवर्तित करना होता है। अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर को भारत में सामान्यतः ऋण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इस पर दिया जाने वाला ब्याज भारत में (एक प्रकार का) निगम्य व्यय (deductible expense)होता है, परंतु इसे कुछ देशों में लाभांश माना जाता है।

महत्वपूर्ण क्यों है?

- प्रस्तावित परिवर्तन विभिन्न कंपनियों/निगमों को हाइब्रिड वित्तीय साधनों जैसे- <u>अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर</u> (CCD-compulsorily convertible debentures) से होने वाले कर लाभ को समाप्त करेंगे।
- कई कंपनियां कर-योग्य व्यापार प्रतिष्ठान बनने से बचने के लिए व्यापार श्रृंखला को कई खण्डों में बाँट देती हैं, ये परिवर्तन उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे।
- कम कर क्षेत्राधिकार में बौद्धिक संपदा अधिकारों के मालिक को रॉयल्टी का भुगतान करके कर योग्य आय को कम करने के तरीके को भी रोका जायेगा। इसका उद्देश्य यह है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानूनी अधिकार वाली विदेशी संस्था, भारत में उससे होने वाली कमाई के अधिकार की पूर्ण हकदार नहीं होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कई भारतीय इकाइयां कर संधियों में निर्दिष्ट कर की रियायती दर पर मुनाफे का हिस्सा वापस मूल कम्पनी को रॉयल्टी भुगतान के द्वारा भेजती हैं।
- <u>नियंत्रित विदेशी निगम नियम</u> की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने <u>प्रभावी प्रबंधन के स्थल नियमों</u> [place of effective management (POEM) rules] को पेश किया है। <u>प्रभावी प्रबंधन के स्थल नियम</u> भारत-में संचालित विदेशी कंपनियों की आय को भारत में कर योग्य बनाते हैं।

आगे की राह:

वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि लाभ को आर्थिक गतिविधि वाले देश से कम कर क्षेत्राधिकार में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को रोकने वाला बहुपक्षीय समझौता दिसंबर 2017 तक तैयार हो जाएगा और जी-20 देशों के सदस्य के रूप में भारत इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

<u>आवश्यक सतर्कता:</u>

भारत के कर-विवादों को देखते हुए अधिकारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि कर-चोरी रोकने की नई व्यवस्था के उपकरणों को लागू करने में विवेकशील होने की आवश्यकता है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकारियों को **बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग** के प्रावधानों को नियमों के अनुसार लागू करने की आवश्यकता है।

3.17. प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा सीमेंट कंपनियों पर लगाये गए जुर्माने को रद्द किया

प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमे उसने 'गुटबंदी' करने के आरोप में 11 सीमेंट कंपनियों पर 6316.59 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

प्रतिस्पर्धा कानून क्या है?

<u>प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002</u> भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून को निर्धारित करता है। इसने 1969 के <u>एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम</u> को प्रतिस्थापित किया है। इस कानून के तहत, भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था।

VISION IAS

यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

कानून के उद्देश्य:

- मुक्त व्यापार और दो व्यावसायिक संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा कम करने वाले समझौतों या गतिविधियों को प्रतिबंधित करना,
- बाजार एकाधिकार की स्थिति पर प्रतिबंध लगाना,
- उद्यमी को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना,
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और प्रवर्तन नेटवर्क को बनाना,
- प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को रोकना और बाजार में एक निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तरदायी निकाय है।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के विवरण:

- प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को निर्देश दिया कि वह कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम के कथित उल्लंघन से संबंधित मुद्दों पर नए सिरे से निर्णय करे।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिसूचित तारीख से तीन महीने के भीतर एक नया आदेश पारित करना होगा।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुरूप जांच/पूछताछ करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने चाहिए और एक व्यापक प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए।
- न्यायाधिकरण ने कहा कि अगर प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए तो बहुत से मुकदमों से बचा जा सकता है।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण:

यह एक सांविधिक संगठन है। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित किसी भी आदेश या दिशा-निर्देश या इसके द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ हुए मुकदमों की सुनवाई और उस पर निर्णय देना है। अपीलीय न्यायाधिकरण मुआवजे के दावे पर भी निर्णय देगा।

3.18. भारतीय सामरिक कच्चा तेल भंडार कार्यक्रम

पृष्ठभूमि:

भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% तेल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2020 तक भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक होगा। 2006 में तत्कालीन योजना आयोग ने अपनी समेकित ऊर्जा नीति में कच्चे तेल की आपूर्ति, बाजार और तकनीकी से सम्बंधित जोखिमों को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़े खतरे के रूप में चिन्हित किया था | इसके साथ ही रणनीतिक व बफर स्टॉक प्रयोजनों के लिए तेल भंडार बनाये रखने की सिफारिश की थी। सामरिक तेल भंडार की क्षमता 90 दिनों तेल आयात की मात्रा के बराबर होगी |

Location	Capacity(MMT)	Cost (in Cr)	Progress
Visakhapatnam	1.33	1038	Completed
Mangalore	1.5	1227	In progress
Padur	2.5	1693	In Progress

कच्चे तेल के लिए तेल भंडारण सुविधाएं

ये भूमिगत गुफानुमा चट्टानी संरचनाएं हैं। चट्टान इतनी मजबूत होनी चाहिए कि गुफा स्थिर रहे। कई तरह की चट्टानें जैसे आग्नेय (ग्रेनाइट), रूपांतरित (शैल, शिस्ट) और यहां तक की तलछटी चट्टानें (बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चाक, शेल) भी इसके लिए उपयुक्त हैं।

भूमिगत गुफानुमा चट्टानी संरचनाओं का ही उपयोग क्यों ?

1. रिसाव के खतरों से सुरक्षा।
2. पारंपरिक टैंकों की तुलना में इनके निर्माण में पूंजी लागत कम आती है | इसकी परिचालन लागत भी कम होती है |
3. सतह पर निर्मित भंडारण प्रणालियों की तुलना मेंये अधिक सुरक्षित होती हैं |
4. प्राकृतिक आपदाओं और भूसंचलन के विभिन्न रूपों से सुरक्षा

स्थान:

ज्यादातर तटीय इलाकों में स्थित हैं क्योंकि उन इलाकों में आयात आसान रहता है और रिफाइनरियों की सुविधा उपलब्ध होती है।

भारत की स्थिति

भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का भंडार है, जबकि अमेरिका के पास 950 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का भंडार है।

4. सामाजिक मुद्दे

4.1. महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध

चर्चा में क्यों है?

महिलाओं का आनलाइन उत्पीड़न- महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध में वृद्धि हो रही हैं। अतः सरकार ने हाल ही में साइबर अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न कदमों को उठाया है।

महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने में चुनौतियाँ-

- महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध में भयावह दर से वृद्धि हो रही है। यह क़िसी व्यक्ति की समग्र रूप में सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा बन सकता है।
- साइबर अपराधों में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी)के आंकड़ों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आइ.टी.एक्ट) की धारा 67A 68B तथा 67C के तहत वर्ष 2014 में अश्लील, स्पष्ट रूप से अश्लील विषय वस्तु के प्रकाशन या प्रसारण के 758 मामलों को दर्ज किया गया है।
- महिलाओं से सम्बंधित मुद्दों को सूचना प्रौद्योगिकी(आई.टी.एक्ट) अधिनियम 2000 में शामिल नहीं किया गया है- इस अधिनियम में कुछ निश्चित अपराधों जैसे- हेकिंग, इंटरनेट पर अश्लील विषय वस्तु का प्रकाशन, आंकड़ों मे परिवर्तन (टेम्पेरिंग) को दण्डनीय अपराध बताया गया है परन्तु साधारण तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के खतरे को इस अधिनियम में पूर्णतः शामिल नहीं किया गया है।
- आइ टी अधिनियम-2000 विशेष (typical) साइबर अपराधों को चिन्हित नहीं करता हैं जैसे- साइबर स्टैकिंग, मोफिंग तथा ई-मेल स्पूफिंग।
- हाल के वर्षों में, महिलाओं ने अवांछित (जिसे माँगा न गया हो) ई-मेल्स प्राप्ति की अनेक रिपोर्टो को दर्ज कराया गया है । ये ई-मेल्स प्रायः अश्लील तथा घृणित भाषा में होते हैं ।
- महिलाओं के आनलाइन उत्पीड़न के मामलों का सरकार के द्वारा रिकॉर्ड ना रखना एक बड़ी विसंगति है ।
- अनादरसूचक अश्लील सामग्री का प्रसार करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटस का प्रयोग किया जाता है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है।
- बदले की भावना से अश्लील सामग्री के प्रसार का शिकार अधिकांशतः महिलाये ही होती हैं महिलाओं की बिना सहमति के नग्न अवं अभद्र चित्र प्रकाशित किये जाते हैं ।
- बलात्कार वीडियो भी महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं-पुरुषों द्वारा लड़कियों तथा महिलाओं के बलात्कार की रिकार्डिंग एवं दूसरों से साझा करने के मामलों में वृद्धि हो रही है।
- इंटरनेट दुर्व्यापार का मंच बन गया है- अवैध व्यापारियों द्वारा लोगों को बिना उनकी सहमति के उनको बेचने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है।

आगे के कदम

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रतिवदेन प्रस्तुत किया है जिसमें आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं-

- अधिक से अधिक साइबर सेल की स्थापना
- समर्पित हेल्पलाइन नम्बर की शुरुआत करना
- समुचित कानून की जानकारी प्रदान करना
- फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा विधिक प्रवर्तन एजेंसियों जैसे-साइबर अपराध को नियन्त्रित करने के लिए पुलिस एवं न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण।

हाल ही में सरकार ने साइबर अपराध के निवारण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं-

- साइबर अपराध के मामलों के प्रतिवेदन एवं जाँच के लिए राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों में साइबर अपराध सेल की स्थापना की गई है।
- सरकार ने विधि प्रवर्तक एवं न्यायपालिका के प्रशिक्षण के लिए केरल असम और मिजोरम आदि राज्यों में साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण तथा जाँच प्रयोगशालाओं को स्थापित किया है।
- साइबर अपराध से सम्बंधित जाँच कार्यक्रम-विभिन्न विधि शिक्षण संस्थायें न्यायिक अधिकारियों के लिये साइबर विधियों तथा साइबर अपराधों पर विभिन्न जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर रही हैं।
- सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- हिंसा से प्रताड़ित सभी महिलाओं को 24 घण्टे आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन त्वरित सहायता हेतु महिला हेल्पलाइन उपलब्ध कराने की योजना को अनुमोदित किया गया है।

4.2. दहेज हत्यायें

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी,) द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक दहेज हत्यायें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार का स्थान आता है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961

- इस अधिनियम के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के लिए सम्बंधित राज्य सरकारें उत्तरदायी है।
- दहेज निषेध अधिनियम-1961 कानून के प्रभावी एवं परिणामदायक प्रवर्तन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है इसके लिए अधिनियम मे ही एक दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है ।

VISION IAS

- महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय राज्यों के साथ समय-समय पर इस अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन की समीक्षा करता है।
- भारतीय दंण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 304-B दहेज हत्या से सम्बंधित मामलों से जुड़ा है। इस धारा के तहत दोषित व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

उपाय

- दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और नागालौण्ड के अतिरिक्त सभी राज्यों में की गई है। इन चारों राज्यों में दहेज प्रणाली प्रचलन में नही है।
- सरकार कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के द्वारा जागरुकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों को निरन्तर आयोजित कर रही है।

4.3. घरेलू हिंसा

चर्चा में क्यों हैं?

सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वियन मन्त्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रतिवेदन के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में घरेलू हिंसा का हिस्सा सर्वाधिक है। इस प्रतिवेदन का शीर्षक “भारत में महिला एवं पुरुष 2015’ (women and man in India 2015) था।

BLEAK PICTURE

Disposal of crimes committed against women in 2014

	Cases reported during the year	Total cases for investigation	Cases in which chargesheets submitted	Total cases disposed of by police	Disposed cases as percentage of total cases for Investigation
Rape	36,735	51,623	30,840	35,590	69
Attempt to commit rape	4,234	4,672	2,781	3,369	72
Kidnapping & abduction of women	57,311	84,685	26,044	49,150	58
Dowry Deaths	8,455	13,270	7,653	8,597	65
Assault on women with intent outrage her modesty	8,235	10,164	6,462	76,388	76

Source: Women and Men in India – 2015, 17th issue, MoSPI

तथ्य संचिका :

- महिलायें अभी भी अपने परिवारों से ही सर्वाधिक खतरे का सामना करती हैं।
- महिलाओं के विरुद्ध संगीन अपराधों के दर्ज सभी मामलों में सर्वाधिक हिस्सा (36 प्रतिशत) पति एवं सगे सम्बंधियों द्वारा की गई की क्रूरता का था।
- दूसरा सर्वाधिक भाग (24 प्रतिशत) महिलाओं की शीलता को क्षति पहुचाने के आशय से उन पर हमला करना था।
- पिछले कुछ समय में बलात्कार, अपहरण तथा महिलाओं पर होने वाले हिंसक हमलो में वृद्धि हुई है।
- 2014 में सामने आये बलात्कार के मामलों में पीड़ितों में लगभग 44 प्रतिशत 18-30 वर्ष के आयु समूह के थे जबकि प्रत्येक 100 पीड़ितों में से एक छः वर्ष से कम उम्र का था।

4.4. तमिलनाडु में अर्चकों की नियुक्ति से सम्बंधित सर्वोच्च न्यायालय का विनिर्णय

चर्चा में क्यों हैं?

हाल ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि कौन व्यक्ति एक पुजारी के रूप में एक आगम-संरक्षित हिन्दू मन्दिर के पवित्र स्थान (गर्भ गृह) में प्रवेश करेगा। न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु के मन्दिरों में आगमों के अनुसार अर्चकों की नियुक्ति समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

निर्णय क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के 23 मई 2006 के उस आदेश को निरस्त कर दिया जो किसी भी योग्य तथा प्रशिक्षित हिन्दू को राज्य में हिन्दू मन्दिरों में पुजारी के रूप में नियुक्ति की अनुमति देता था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि तमिलनाडु के मन्दिरों में अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति प्राचीन आगम (Agam-treatise) द्वारा स्थापित प्रतिबंधों के अनुसार की जानी चाहिए। इस प्रकार न्यायालय ने तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक अक्षय निधि अधिनियम में किये संशोधनों को सुधारा। ये संशोधन 1971 की डी. एम. के. सरकार द्वारा किये गये थे।
- मन्दिर के पवित्र स्थल (गर्भगृह) में प्रवेश करने का अनन्य अधिकार विशेष समूह या विशेष पंथ को प्रदान करने तथा धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करने को अस्पृश्यता के अनुप्रयोग के रूप में व्याख्याकृत नहीं किया जा सकता है।
- विशेष ऋषियों के वंशजों के पंथ विशेष की रूपरेखा आगमों में दी गयी है। इस पंथ विशेष का निर्धारण जाति के आधार पर नहीं होता है। अतः यह व्यवस्था अनुच्छेद -17 का उल्लंघन नहीं करता है।

निर्णय के आधार :

- धार्मिक विश्वासों के अनुपालन में कार्य करने तथा अनुप्रयोग की स्वतन्त्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की एक धर्म में विश्वास की स्वतन्त्रता। लेकिन यह तभी तक है जब तक संविधान के भाग-3 के अन्य उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।
- आगम(Agamas) में निर्देशित पंथ विशेष से सम्बंधित होने की योग्यता जाति पर आधारित नहीं है तथा संविधान के भाग-3 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती है। यह विश्वास की स्वतंत्रता का एक विशेष तत्व बन जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार का विरोध क्यों किया?

- किसी भी व्यक्ति को मन्दिर के पवित्र स्थान (गर्भ गृह) में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। वह व्यक्ति चाहे जिस वर्ण/जाति से सम्बंन्धित हो ।
- एक विशेष पंथ समूह से जुड़े लोग पुजारी बन सकते है तथा पंथ विशेष का निर्धारण मन्दिर विशेष की परम्पराओं द्वारा होता है। इस सन्दर्भ में आगम में चार ऋषियों के वंशजों का उल्लेख है।

आलोचना

- एक आगम मंदिर के पुरोहित से सम्बंधित कृत्य कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित रहे जाएगें। यही इस निर्णय का अन्तिम परिणाम होगा।
- ऐतिहासिक रूप से आगमों का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया है, न्यायालय इस तथ्य पर विचार करते हुए प्रतीत नहीं होता है। जबकि यथार्थ यह है कि भारतीय सामाजिक सरंचना में उच्च जाति के लोगों का प्रभुत्व स्थापित है।

4.5. लिंग समानता-महिलाओं का रात्रि (कार्यसमय) में कार्य करना

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के विधेयक द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की।
- यह महिलाओं को रात्रि के कार्यसमय में कार्य करने की अनुमति प्रदान करेगा। कारखानों के प्रबंधन को रात्रि के कार्यसमय में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा।
- इस संशोधित विधेयक से महाराष्ट्र हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के समूह में सम्मिलित हो जाएगा। इन राज्यों में भी रात्रि के कार्यसमय में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विधेयक के अन्य उपबंध :

- विधेयक 90 दिनों तक कार्य करने के बाद ही कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी प्रदान करने की अनुमति देता है। जबकि पहले इसके लिए न्यूनतम 240 दिन कार्य करना अनिवार्य था।
- प्रबंधन की अनुमति के बिना ओवरटाइम की सीमा को 75 घण्टों से बढ़ाकर 115 घण्टों तक कर दिया जायेगा।
- संशोधित विधेयक कारखानों के विरुद्ध निरीक्षको के द्वारा तुच्छ मामलों पर केस दर्ज किये जाने को भी नियन्त्रित करेगा। इस प्रकार यह विधेयक कारखाना निरीक्षकों के भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न को समाप्त करने में सहायक होगा।

4.6. भारत में कुपोषण

चर्चा में क्यों हैं?

- राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) तथा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ (जी.सी.एम.एम.एफ. या अमूल) ने 'गिफ्ट मिल्क' नामक पहल के लिए हाथ मिलाया हैं। यह पहल औद्योगिक समूहों तथा अन्य दान दाताओं शिक्षण संस्थाओं (Schools) को मुफ्त में दुग्ध उपलब्ध कराने का एक अवसर प्रदान करेगा। इस प्रयास में सरकार या नगर निगम द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को वरीयता दी जायेगी।
- आनंद स्थित दोनों संस्थाओं ने एन डी डी बी फाउनडेशन फार न्यूट्रीशन (NFN) नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की है। यह ट्रस्ट सहकारी दुग्ध केन्द्रों से दुग्ध क्रय के लिए वित्त की व्यवस्था करेगा तथा इसे दान दाताओं द्वारा चिन्हित स्कूलों में वितरित किया जायेगा।
- फाउनडेशन एक वर्ष में 200 स्कूली दिनों के लिए प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- इस प्रकार के दूध का किसी अन्य प्रकार का प्रयोग ना किया जा सकें इसके लिए इसका प्रसंस्करण कर इसे विशेष स्वादयुक्त किया जायेगा। इस दौरान दूध को विटामिन ए या अन्य पोषक तत्वों के द्वारा अधिक पौष्टिक बनाया जायेगा। यह बच्चों की बोध प्रक्रिया के साथ-साथ शारीरिक विकास में सहायक होगा।
- वर्ष 2016 प्रथम तिमाही में प्राम्भिक रूप से प्रस्तावित 'गिफ्ट मिल्क' कार्यक्रम सर्वप्रथम दिल्ली तथा हैदराबाद में प्रारम्भ किया जायेगा।
- फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन (NFN) निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों से भी सम्पर्क करेगा जो इस पहल को अपने परिचालन क्षेत्रों या चुने हुए स्थानों में संचालित करने में रुचि रखती है।
- वर्तमान में, गुजरात एवं कर्नाटक को छोड़कर न तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से और न ही मध्यान्ह भोजन योजना के माध्यम से दुग्ध की आपूर्ति की जाती है.
- इस प्रकार की अन्य पहलों में कर्नाटक की 'क्षीर भाग्य योजना' तथा गुजरात की 'दूध संजीवनी योजना' शामिल है।

4.7. स्वास्थ्य रक्षा प्रणालीः लान्सेट रिपोर्ट

चर्चा में क्यों हैं?

- लान्सेट द्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत की स्वास्थ्य रक्षा के मामलें में ब्रिक्स देशों में सबसे बुरी स्थिति है।

स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली में प्रगतिः एक परिप्रेक्ष्य

- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 में 62.5 वर्ष थी जो वर्ष 2013 में बढकर 66 वर्ष हो गयी है।

VISION IAS

- वर्ष 2013 में, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 40 थी जो वर्ष 2003 से एक तिहाई घट गयी है।
- वर्ष 2001 तथा वर्ष 2013 के बीच, मातृत्व मृत्यु दर 301 प्रति 100000 जीवित जन्मों से गिरकर 167 प्रति 100000 जीवित जन्म हो गयी।
- एच.आई.वी./ए.आई.डी.एस. (HIV/ AIDS) का प्रसार नियन्त्रित किया जा चुका है तथा मार्च 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया।
- अगस्त 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत को मातृत्व तथा नवजात शिशुओं में होने वाले टिटेनस से मुक्त घोषित कर दिया।

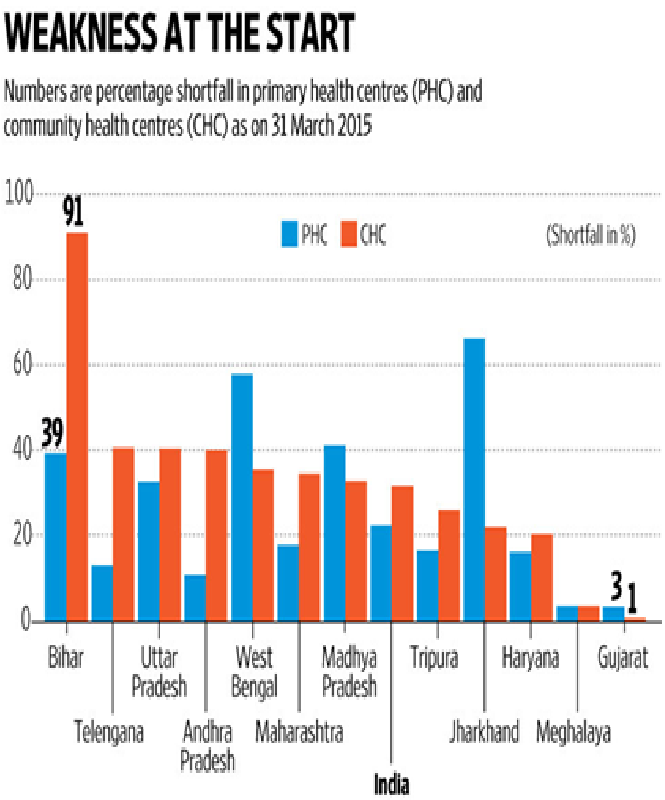

चिन्तायें :

- एक के बाद एक सरकारें स्वास्थ्य लागत से जुड़ी वित्तीय जोखिमों से अपने नागरिकों को पर्याप्त रूप से सुरक्षा प्रदान करने में असफल साबित हुई है।
- अवहनीय स्वास्थ्य व्ययों के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग दरिद्रता की स्थिति में पहुँच गया है। इस वर्ग को खस्ताहाल स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के बुरे परिणामों को सहन करना पड़ता है।
- भारत में स्वास्थ्य पर सम्पूर्ण व्यय वर्ष 2004-05 में जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से वर्ष 2013-2014 में गिरकर 4 प्रतिशत हो गया हैं
- भारत वैश्विक व्यवस्था पर बीमारियों के कारण पड़ने वाले भार में विसंगतिपूर्ण अनुपात में योगदान करता है।
- भारत की विश्व में सम्पूर्ण नवजात मृत्यु के मामलों में 27 प्रतिशत की तथा सम्पूर्ण बाल मृत्यु की 21 प्रतिशत (5 वर्ष से कम उम्र का) हिस्सेदारी है।

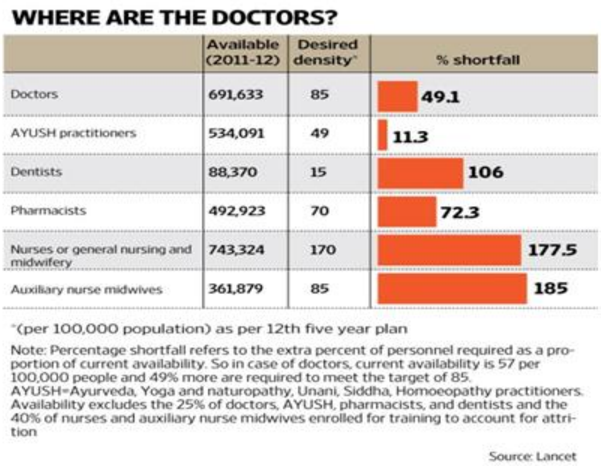

WHERE ARE THE DOCTORS?

	Available (2011-12)	Desired density*	% shortfall
Doctors	691,633	85	49.1
AYUSH practitioners	534,091	49	11.3
Dentists	88,370	15	106
Pharmacists	492,923	70	72.3
Nurses or general nursing and midwifery	743,324	170	177.5
Auxiliary nurse midwives	361,879	85	185

*(per 100,000 population) as per 12th five year plan

Note: Percentage shortfall refers to the extra percent of personnel required as a proportion of current availability. So in case of doctors, current availability is 57 per 100,000 people and 49% more are required to meet the target of 85. AYUSH=Ayurveda, Yoga and naturopathy, Unani, Siddha, Homoeopathy practitioners. Availability excludes the 25% of doctors, AYUSH, pharmacists, and dentists and the 40% of nurses and auxiliary nurse midwives enrolled for training to account for attrition

Source: Lancet

- बीमारियों की वजह से 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की कुल मृत्यु में से 68% बच्चों की मृत्यु डाइरिया, निमोनिया, जन्म पूर्व जटिलतायें, जन्म के समय श्वास अवरोध तथा नवजात शिशुओं में जीवाणु संक्रमण (सेप्सिस) के कारण हो जाती है।
- राज्यों के बीच, ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्याओं के बीच तथा सामाजिक वर्गों के बीच वृहत् स्वास्थ्य असमानतायें विद्यमान हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में भ्रष्टाचार तथा सुशासन के अभाव ने परिस्थिति को चिंताजनक बना दिया है।

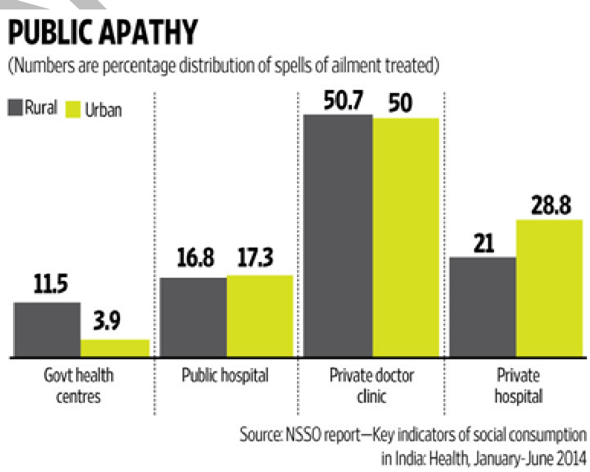

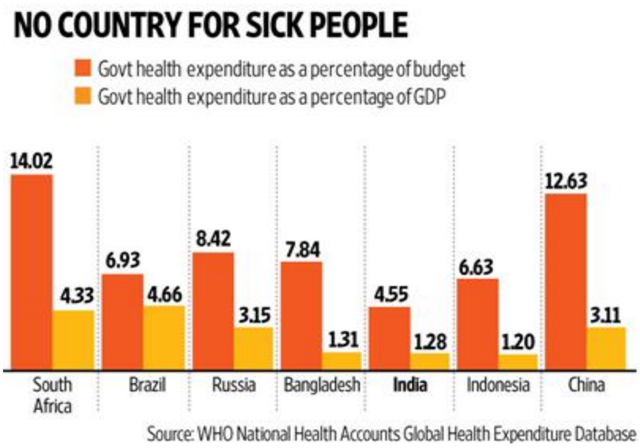

लानसेट रिपोर्ट के अनुसार- भारतीय स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली 7 मुख्य चुनौतियों का सामना कर रही है :

1. एक कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र :
   सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार असमान रूप से वितरित है। गोवा में अस्पताल में प्रत्येक 614 लोगों पर एक सरकारी बिस्तर है जबकि बिहार में प्रत्येक 8,789 लोगो पर एक सरकारी बिस्तर है।

- इन सुविधाओं के संबंध में देखरेख भी समुचित नहीं है। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2011 में कम विकसित राज्यों में 10 में से 6 अस्पतालो में गहन देखरेख (ICU) की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा 10 में से 4 अस्पताल साफ-सफाई तथा जल निकासी की समस्या से ग्रस्त थे।
- सरकारी अस्पतालों का 73 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में स्थित है जबकि भारत की 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
- 70 प्रतिशत से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आपातकालीन प्रसव देखरेख सेवायें उपलब्ध नहीं थी।
- भारत की चिकित्सकीय अनुसंधान अवसंरचना बिखरी हुई है।

2. असमान रूप से वितरित कुशल मानव संसाधन

- देश में विशेषज्ञों की बहुत कमी है।
- स्वास्थ्य के लिये मानव संसाधन के सन्दर्भ में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।
- मेडिकल लॉबी का प्रभुत्व ऐसा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने चिकित्सकीय कार्यों को साझा करने पर रोक लगा रखी है और परिणामस्वरूप नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य काडरों का भी विकास बाधित है।

3. अविनियमित विशाल निजी क्षेत्र

- अविनियमित निजी क्षेत्र में वृद्धि।
- वर्ष 2014 में 70 प्रतिशत से अधिक बहिरंग/आउटडोर रोगी देखभाल तथा 60 प्रतिशत से अधिक अन्तरंग/इनडोर रोगी देखभाल निजी क्षेत्र में थी।
- वर्ष 2002 और वर्ष 2010 के बीच, निजी क्षेत्र ने पूरे देश में कुल हास्पिटल बिस्तरों में 70 प्रतिशत का योगदान दिया।
- ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में सर्वप्रथम निजी डाक्टरों की सेवायें विभिन्न रोगों के इलाज में ली गई।
- निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा अनैतिक तथा अतार्किक तरीकों का प्रयोग किया गया।

4. स्वास्थ्य पर निम्न सार्वजनिक व्यय

- यद्यपि स्वास्थ्य पर राज्य का वास्तविक व्यय हाल के वर्षों में 7 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है, किन्तु केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य पर व्यय कम हुआ है।
- अधिकतर राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आबंटित धन को प्रयुक्त करने में असमर्थ हैं जो स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक कमी को उजागर करता है।
- जीडीपी के अनुपात में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय निम्न रहता है। यह वर्ष 2013-14 में देश की जीडीपी का 1.28 प्रतिशत था।
- वर्ष 2003-04 में, सिर्फ 4.5 प्रतिशत भारतीयों को कुछ वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिला।

5. खण्डित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली

- आकड़ों के संग्रहण में अनेक खामियाँ है। उदाहरण के लिए, यद्यपि भारत में वर्ष 1969 से जन्म एवं मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण के कानून को लागू किया है, वर्ष 2013 में सिर्फ 86 प्रतिशत जन्म लेने वाले बच्चों का तथा 70.9 प्रतिशत मृत्यु के मामलों का पंजीकरण हुआ।
- आकड़ों का आकलन अपूर्ण है तथा निजी क्षेत्र का समावेशन न होना स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य व्यवस्थापक को छोड़ देना है।

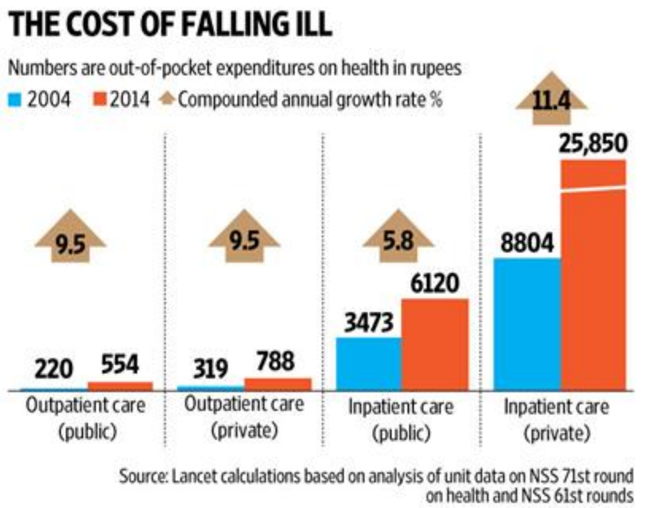

LAX IMPLEMENTATION

Law	Status
Clinical Establishements Act 2010 (provides for registration and regulation of clinical establishments and prescribes minimum standard of facilities and services)	**Enacted only in 9 states**
National Mental health Care Bill (mandates right to care)	**Cleared by cabinet, awaiting passage in Parliament**
Medical Devices Regulation Bill, 2006 (provides for quality standards of biomedical equipment manufacturing and marketing)	**Yet to be passed**

Note: These are just examples and not an exhaustive list — Source: Lancet

6. दवाओं का अतार्किक प्रयोग तथा तेजी से बढ़ती कीमतें

- भारत सरकारी सहायता प्राप्त दवाओं पर जी डी पी का 0.1 प्रतिशत से कुछ अधिक व्यय करता है। दवाओं पर अवहनीय व्यय बढ़ने के पीछे यही मुख्य कारण है।
- चिकित्सकीय उपचार की कीमतें इतनी बढ़ गयी है कि यह लोगों को गरीबी में धकेलने के मुख्य कारणों में से एक बन गया है।

- 361 जेनरिक दवाओं को वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए 'जन औषधि' अभियान जैसी योजनायें तथा विभिन्न कीमत विनियमन नीतियाँ है। लेकिन उनका क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तथा बिखरा हुआ है।

7. कमजोर शासन और जवाबदेही

- विगत 5 वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली में प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक नये कानूनों को लागू किया है लेकिन इन कानूनों में से कई का व्यापक रूप में क्रियान्वयन नहीं किया गया है।
- विनियमनों का विषय क्षेत्र अभी भी अस्पष्ट है और ऐसी आशंका है कि इन कानूनों ने गैर-वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा चलाये जा रहे लोक स्वास्थ्य परीक्षणों में बाँधा पहुँचायी है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में अपर्याप्त लोक व्यय, विश्वास का अभाव विविध स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों के मध्य संबद्धता का अभाव चिंताजनक तथ्य है। साथ ही केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच दुर्बल सहयोग जैसी प्रमुख चुनौतियां है जो भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के मार्ग की प्रमुख बाधा है।
- इन चुनौतियो के केन्द्र में राज्यों की स्पष्ट अनिच्छा है जो स्वास्थ्य को लोगों की मूलभूत आवश्यकता के रूप में प्राथमिकता नहीं देते है।

भारत की स्वास्थ्य सुनिश्चितता :

- भारत में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आधारभूत सरंचना में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इसके द्वारा स्वास्थ्य पर निम्न लोक व्यय तथा कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी चुनौतियों का निवारण किया जा सकता है।
- केवल एक आमूल तथा सुधारवादी पुनर्संरचना स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देगी और अवहनीय स्वास्थ्य व्यय से उत्पन्न गरीबी का निवारित करेगी तथा वर्ष 2022 तक सभी भारतीयों को स्वास्थ्य आश्वासन देगी।
- सभी के लिए स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगी।
- भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए एक नयी अवसंरचना की स्थापना की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य वित्त के सन्दर्भ में मौलिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लोक स्वास्थ्य पद्धति को मजबूती प्रदान करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।
- भारत को एक एकीकृत राष्ट्रीय हेल्थकेयर प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। यह प्रणाली एक मजबूत लोक प्राथमिक देखभाल पद्धति पर आधारित होनी चाहिए तथा इसके अंतर्गत निजी एवं स्थानीय क्षेत्रों की सहायक भूमिका सुनिश्चित होना चाहिए।

4.8. एच.आइ.वी. एड्स :

- हाल ही में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने एच.आइ.वी. एड्स के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य नीतिगत निर्णयों की घोषणा की तथा 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
- विश्व एड्स दिवस 2015 का मुख्य विषय-" फास्ट ट्रैक पर एड्स की समाप्ति"(on the fast track to end AIDS) थी।

एड्स-एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य तथा चुनौतियाँ :

- लाखों लोग एच.आई.वी. संक्रमण के प्रति सुभेद्य (vulnerable) स्थिति में है।
- एड्स सन्तानोत्पत्ति उम्र की महिलाओं तथा युवा किशारों के बीच मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है।
- यह रोग सामाजिक कलंक तथा रोगी के साथ भेदभाव अभी भी रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की प्राप्ति में बांधा उत्पन्न करता है।
- यौन कार्यकर्ता तथा ट्रांसजेंडर लोग इस महामारी से बुरी तरह से प्रभावित है। दण्डात्मक कानून, लांछन, मानव अधिकारों का उल्लंघन सामाजिक बहिष्कार आदि इस स्थिति को और अधिक नाजुक बना देता है।
- उप सहारा अफ्रीका में लगभग 37 प्रतिशत महिला यौन कर्मी एच.आई.वी. संक्रमण के साथ जी रहे हैं।
- लैंगिक असमानता जिसमें लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है, के कारण महिलाओं तथा लड़कियों की एच.आई.वी. के प्रति सुभेद्यता और बढ़ जाती है
- व्यापक लैंगिक तथा प्रसव संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की कमी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर होना युवा लोगों को एच आई वी संक्रमण की स्थिति में ला देता है।

Figure 2. Distribution of PLHIV in Select States, 2015

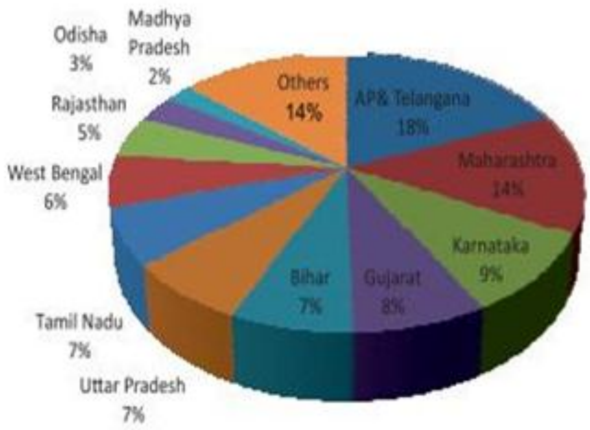

वयस्कों में एच.आई.वी. की प्रधानता

- राष्ट्रीय स्तर पर वयस्कों में एच.आई.वी. के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। यह वर्ष 2007 में 34 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2012 में .28 प्रतिशत तथा वर्ष 2015 में .26 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2015 में वयस्कों में (एच.आई.वी.) से प्रभावित मामलों में कुल पुरुषों का .30 प्रतिशत कुल महिलाओं का .22 प्रतिशत प्रभावित है।

VISION IAS

Figure 4. State Wise Estimated New HIV Infections among Adults, 2015

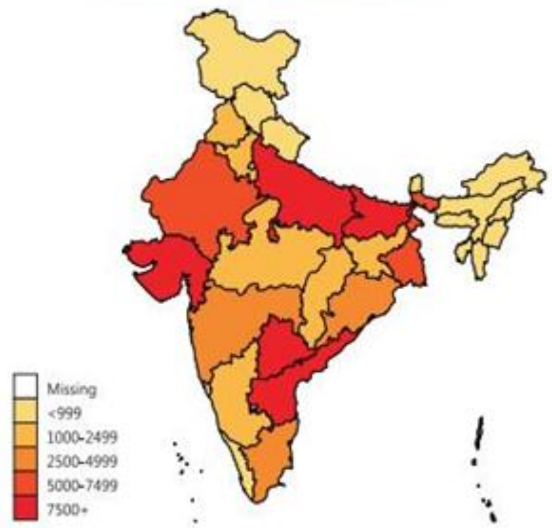

- भारत में एच आई वी ग्रस्त लोगों की संख्या 2015 में 21.17 लाख आकलित है। वही यह संख्या वर्ष 2007 में 22.26 लाख थी।
- 6.54 प्रतिशत बच्चे (15 वर्ष से कम) इससे ग्रसित है जबकि सम्पूर्ण एच आई वी संक्रमण में महिलाओं का अनुपात 40.5 प्रतिशत है।
- एड्स से जुड़ी मृत्यु की वार्षिक संख्या में 54 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

भारत-उपाय और उपलब्धियाँ :

भारत सरकार ने निर्णय किया है कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखा जाएगा।

- वर्ष 2015 में किए गए एच. आइ. वी. से संबंधित सर्वेक्षणों में प्राप्त परिणामों के अनुसार एच. आइ. वी./एड्स महामारी के नियन्त्रण में देश को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। भारत ने एच आइ वी महामारी के नियन्त्रण तथा इसके मामलों में कमी संबंधी सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।
- परामर्श एवं परीक्षण- एक करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए परामर्श तथा परीक्षण सेवाओं का प्रावधान किया गया। तथा यह कार्यक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है तथा इसका लक्ष्य माँ से बच्चे में होने वाले संक्रमण को पूरी तरह रोक देना है।
- माता-पिता से बच्चों में संक्रमण की रोकथाम के कार्यक्रम(PPCT) को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) कार्यक्रम के साथ चलाया जा रहा है।
- यू.एन. एड्स (UNAIDS) द्वारा 90:90:90 रणनीति के कार्यान्वयन को स्वीकार किया गया।
- विश्व में सबसे विस्तृत तथा ताकतवर एचआइवी निगरानी प्रणालियों में से एक भारत के पास है।
- नाको (NACO) तथा केन्द्रीय टीवी प्रभाग ने ई-प्रशिक्षण एच.आई.वी./टी.बी. माडयूल का विकास किया है। यह माडयूल जिला तथा उप-जिला स्तर पर कार्य करने वाले राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) तथा संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रमों (आर.एन.टी.सी.पी.) से संबंधित कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षित करता है।
- पी.ए.एल.एस (पाल्स- पी.पी.टी.सी.टी.ए.आर.टी. लिंकेज सॉफ़्टवेयर) प्रणाली - यह प्रणाली एच.आइ.वी. संक्रमित गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली सभी महिलाओं के विवरण का रख रखाव करती है।
- भारत ने एच आई वी -एड्स के विरुद्ध लड़ाई में अफ्रीकी देशों की सहायता करके अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है।

4.9. घातक शिथिलता युक्त पक्षाघात (ACUTE FLACCID PARALYSIS-ए.एफ.पी.)

टीके से व्युत्पन्न पोलियो विषाणु का एक मामला हाल ही में नई दिल्ली में सामने आया यह पोलियो विषाणु लकवे का कारण होता है। इस लकवे/पक्षाघात को चिकित्सा की भाषा में घातक शिथिलता युक्त पक्षाघात कहते हैं। अचानक मांसपेशियों में कमजोरी आना तथा एक या एक से अधिक बाँह या टाँग में ज्वर होना इसका प्रमुख लक्षण है।

घातक शिथिलता युक्त पक्षाघात (ए.एफ.पी.) अनेक कारणों से होता है। इनमें से एक कारण टीके से सम्बंधित है

घातक शिथिलता युक्त पक्षाघात (ए.एफ.पी.) के मामलों में वृद्धि क्यों हुई?

- मौखिक पोलियो टीके (ओपीपी) में एक सुषुप्त वैक्सीन विषाणु पाया जाता है। विषाणु के इस सुषुप्त रूप का प्रयोग शरीर में रोग-प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करने में किया जाता है। यह बच्चों की वैक्सीन आधारित पोलियो वायरस (WPV) से सुरक्षा करता है।
- लेकिन जब बच्चों को मौखिक पोलियो टीके द्वारा रोग से प्रतिरक्षित किया जाता है तब यह विषाणु आँत में प्रकट होता है तथा इस दौरान यह विषाणु मलत्याग की प्रक्रिया द्वारा बाहर आ जाता है।
- अपर्याप्त स्वच्छता वाले क्षेत्रों में यह विमुक्त वैक्सीन-विषाणु उस समुदाय में तेजी से फैल जाता है तथा निम्न प्रतिरक्षा वाले बच्चों को संक्रमित करता है।
- यह वैक्सीन विषाणु आनुवांशिक परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजरता है तथा यह समुदाय में फैल जाता है।

चिन्तायें

- भारत पोलियो मुक्त देश है फिर भी यहाँ वैक्सीन से व्युत्पन्न पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं।
- जनवरी 2014 तथा मार्च 2015 के बीच, भारत में चार विभिन्न राज्यों से वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो के चार मामले सामने आये हैं।

VISION IAS

- जब से भारत ने पोलियो का उन्मूलन किया तभी से गैर-पोलियो तीक्ष्ण शिथिलता युक्त पक्षाघात (ए.एफ.पी.) में तेजी आयी है। वर्ष 2012 में दर्ज किये गये मामलों की संख्या 59,436 थी। यह संख्या वर्ष 2013 में 53,421 तथा 2014 में 53,383 थी।
- इस वर्ष के नवम्बर माह तक, देश में 36,968 मामले दर्ज किये गये हैं।

- टीकाकरण कार्यक्रम की सीमित पँहुच से वैक्सीन व्युत्पनन पोलियो विषाणु निम्न रोग प्रतिरक्षित समुदायों में फैल रहे हैं।
- तीन वर्ष पहले भारत में वैक्सीन आधारित पोलियो वायरस (WPV) का अन्तिम मामला दर्ज किया गया था। देश में शिथिलता युक्त पक्षाघात के 50000 मामलें दर्ज किये गये हैं। चिकित्सकीय परीक्षण के अनुसार ये सभी मामले पूर्णत: पोलियो के समान है जो पोलियो मुक्त स्थिति के खोखलेपन को इंगित करता है।

4.10. सुगम्य भारत अभियान

- निःशक्त जनों के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस (3 दिसम्बर) पर भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। यह निःशक्तजनों को सभी आवश्यक सुविधाओं तक पँहुच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भ एक फ्लैगशिप अभियान हैं
- यह अभियान सार्वभौमिक सुगमता को प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग मापदण्डों को लक्षित करता है। ये तीन मापदण्ड निम्नलिखित है – निर्मित पर्यावरण, परिवहन पारिस्थितिक तन्त्र तथा सूचना एवं संचार पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना।

- निःशक्त जनों के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस 2015 की विषय वस्तु- समावेशन संबंधी: सभी योग्यतों से युक्त व्यक्तियों का सशक्तिकरण तथा पहुँच।

कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य

- इस अभियान का लक्ष्य परिवहन, सरकारी भवनों, पर्यटक स्थलों, विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशनों तथा इंटरनेट तकनीकी को निःशक्त जनों के लिये सुगम बनाना है।

- इस अभियान के तहत निश्चित समयसीमा के भीतर महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। इसमें विभिन्न हितधारकों को लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध बनाने का प्रयास किया जाएगा तथा अभियान के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए सामाजिक जनसंचार माध्यमों (सोशल मीडिया) तथा सूचना तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।

- राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी राज्य की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के 50 प्रतिशत भाग को निःशक्त जनों के लिए जुलाई 2018 तक सुगम बनाया जाएगा।
- देश के सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाइअड्डों तथा A1 , A और B श्रेणी के सभी रेलवे स्टेशनों को जुलाई 2016 तक निःशक्त जनों के लिए सुगम बना दिया जायेगा।
- मार्च 2018 तक देश में सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक परिवहन वाहनों के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को निःशक्त जनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा।

- यह भी सुनिश्चित किया गया कि मार्च 2018 तक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी दस्तावेजों के कम से कम 50 प्रतिशत को निःशक्त जनों के लिए सुगमता मानकों से युक्त कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (कन्वेंशन)

- भारत निःशक्तजनों के अधिकारों पर, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- निःशक्तजन (समान अवसरों, सुरक्षा के अधिकारों तथा सम्पूर्ण सहयोग) अधिनियम 1995 के अनुसार राज्य निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध करायेगा।
  - सार्वजनिक भवनों में रैम्प (चढ़ने-उतरने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर प्रयुक्त ढाल)
  - पहियायुक्त कुर्सी के प्रयोगकर्ताओ के लिए शौचालयों का प्रबन्ध।
  - लिफ्ट या एलीवेटर्स में ब्रेल प्रतीक तथा ध्वनि संकेत।
  - अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों तथा अन्य पुनर्वास केन्द्रों में रैम्प।

सरकारी पहलें तथा कुछ प्रस्तावित उपाय

- सरकार सम्पूर्ण देश में सुगम पुलिस स्टेशन, सुगम अस्पताल तथा सुगम पर्यटन का निर्माण करेगी।
- टेलीविजन कार्यक्रमों की सुगमता को बढ़ाने के लिए उनमें अनुशीर्षक, भाषण के लिए पाठ तथा श्रव्य विवरण जैसी विशेषताओं को सम्मिलित करना है।
- निशक्त जनों हेतु जनता आधारित सुझाओं एवं संसाधनों (Crowd sourcing platform) द्वारा सुचना प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण करना।
- एक सुगमता सूचकांक निर्माण की प्रक्रिया में है। इसके द्वारा किसी प्रणाली की निःशक्तजनों के लिए उपयुक्तता को मापा जाएगा।
- निःशक्त जनों के लिये प्रयुक्त 'विकलांग' शब्द के स्थान 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग प्रस्तावित है।
- मूक और बधिर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग संस्थान तथा नयी ब्रेल भाषा का निर्माण।
- सरकार ने 1700 करोड़ रुपये की लागत से निःशक्तजनों के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निर्णय किया है।

VISION IAS

4.11. उम्र दराज लोगों पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

चेन्नई की बाढ ने बड़े महानगरों में प्राकृतिक आपदाओं से सम्बंधित तैयारी की चिन्ताजनक वास्तविकता को सामने रखा है। ऐसी आपदाओं के दौरान समाज का सुभेद्य वर्ग बुरी तरह प्रभावित होता है।

पृष्ठभूमिक तथ्य

- विगत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विवरणिका के अनुसार भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या में 8.6 प्रतिशत लोग(103.8 मिलियन)60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तथा वे सभी सुभेद्य स्थिति वाले वर्ग से सम्बंधित है।
- **वर्ष** 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की जनसंख्या का 10 प्रतिशत(4,64,122)-60 वर्ष की उम्र से ऊपर है। एहतियात के साथ (conservative) किए गए आंकलनों के अनुसार-उम्रदराज लोगों का 5 प्रतिशत अकेले निवास करता है। (शहरी अलगाव)
- इस जनसंख्या के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपातकाल के लिए एक प्रभावी क्षमता की व्यवस्था करने की कल्पना करती है तथा 'दुर्घटनाओं तथा आपदाओं कि स्थिति में प्राथमिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्यों की एक सेना के गठन की कल्पना करती है।
- स्वास्थ्य नीति आपातकालीन देखरेख के एक नेटवर्क की कल्पना करती है। यह नेटवर्क ट्रामा प्रबंधन केन्द्रों से जुडी हुई जीवन सहायक एम्बुलेंस के प्रावधान को सुनिश्चित करता है। शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 30 लाख की जनसंख्या पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था करता है। यह व्यवस्था एक ट्रामा देखभाल नीति के लिए मार्गदर्शक होगी।

मुद्दे-

- सहायक प्रणाली के अभाव में भारत की बूढी होती आबादी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित नहीं है।
- वरिष्ठ नागरिक चेन्नई बाढ़ में मृत लोगों का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- शहरी अकेलापन ऐसी आपदाओं के दौरान लाचारी को बढ़ावा देता है।
- बहुत से उम्रदराज लोग बाढ़ के दिनों में राहत एवं पुनर्वास की पहुँच से वंचित थे।
- अदक्ष प्रशासन-सुभेद्य जनसंख्या पर वार्ड स्तरीय आंकड़े का पूर्ण अभाव है। ऐसे आंकडे किसी भी राहत एवं बचाव कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा सुभेद्य लोगों के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थानागत क्षमता की कमी को महसूस किया गया।

आगे के कदम

- संस्थानागत क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।
- राहत, बचाव और पुनर्वास उपायों को सुभेद्य वर्गों तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाना चाहिए।
- शहरी अकेलेपन की सामाजिक घटना को समुदायों द्वारा हल किया जाना चाहिए तथा एनजीओ समाज के सुभेद्य वर्गों पर मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है।
- उम्रदराज लोगों की चुनौतियों के बारे में लोगों के बीच जागरुकता फैलाये जाने की आवश्यकता है।
- सहायता के लिए सामाजिक जनसंचार माध्यमों एवं तकनीकी का प्रयोग करना।

4.12. औषधियों की आलनाइन बिक्री

- औषधि परामर्श दात्री समिति (डी.सी.सी.) का गठन औषधि एवं कास्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत किया गया। इस समिति के अंतर्गत सरकार को सलाह देने के लिए तथा इंटरनेट पर औषधि बिक्री से जुड़े मामलों की जाँच के लिए एक 7 सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया। यह उप समिति औषधि बिक्री से जुड़े जोखिमों तथा चिन्ताओं का ध्यान रखती है।

भारत में ई-फार्मेसी का विनियमन

- देश में औषधि की बिक्री एवं वितरण का विनियमन औषधि एवं कास्मेटिक्स अधिनियम 1940 तथा औषधि एवं कास्मेटिक्स नियमों-1945 के तहत होता है।

- तथाकथित नियमों के अनुसार-सूची एच, एच-1 या सूची X में नाम निर्दिष्ट दवाओं का विक्रय पंजीकृत चिन्हित चिकित्सक के सुझाव के बिना नहीं किया जा सकता है।
- 1940 का औषधि एवं कास्मेटिक अधिनियम औषधियों के आनलाइन बिक्री का कोई प्रावधान नहीं करता है।
- वर्तमान में भारत में आनलाइन औषधि विक्रय केन्द्र के तीन माडल है- संगठित, असंगठित एवं अवैध।
- संगठित क्षेत्र में, तकनीकों का प्रयोग या तो स्थानीय अनुज्ञप्ति प्राप्त औषधि विक्रेता को लक्षित प्रयोगकर्ता से जोड़ने के लिए या ऑफ़लाइन औषधि विक्रेता आर्डर को इंटरनेट पर बुक करने के लिये करता है। डाॅक्टर के सुझावों की संगठित क्षेत्र में जाँच होती है जबकि असंगठित क्षेत्र द्वारा इन जरुरतोंको पूरा नहीं किया जाता हैं।

औषधि के आनलाइन विक्रय के लाभ

- वार्षिक भारतीय औषधि बाजार लगभग 79000 करोड़ रुपये के स्तर का माना जाता है। यह लगभग 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। यदि सरकार औषधि के आनलाइन विक्रय को अनुमति देने का निर्णय लेती है तो यह इस क्षेत्र के लिए मुख्य प्रोत्साहन होगा। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी औषधि की सुगमता का निर्माण होगा।
- विकलांग या अन्यथा घर से न निकल पाने वाले लोग जो औषधि विक्रेता तक नहीं जा सकते उन लोगों तक औषधि की पहुँच सम्भव होगी।

VISION IAS

- दिन के 24 घण्टे खरीददारी की सुविधा होगी। साथ ही औषधि उत्पादों का पूर्ण चयन उपलब्ध होगा।
- उन लोगों की निजता सुरक्षित रहेगी जो सार्वजनिक स्थल पर अपनी औषधीय आवश्यकताओं का जिक्र नहीं करना चाहते हैं।

औषधि के आनलाइन विक्रय से सम्बंधित चिन्तायें

- इंटरनेट अवैध गतिविधि के लिए एक नये बाजार प्रतिस्पर्धा का भी निर्माण करता है। जैसे- बिना अनुमोदित दवाओं का विक्रय, सुझाव युक्त दवाओं की बिना वैध सुझाव के उपलब्धता, आदि गतिविधियाँ।
- इंटरनेट पर उत्पादों के आर्डर की तेजी, सहजता तथा बिना नाम का विक्रय बेईमान विक्रेताओं को आकर्षित कर सकती है।
- जिन लोगों को प्रतिबन्धित दवाओं के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति (Licence) प्राप्त नहीं है वे वेबसाइट का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइटें वैध औषधि विक्रेताओं के समान होती है।
- ऐसी चिन्तायें हैं कि औषधि का आनलाइन विक्रय छोटे खुदरा व्यापारियों के हितों को प्रभावित करेगा तथा वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करेगा।
- आजकल के बच्चे इंटरनेट का प्रयोग करने में सक्षम है। यह भी चिन्ता का विषय है। डाक्टर द्वारा सुझायी गयी दवाओं की प्राप्ति के लिए लोग नकली सुझाव पत्र को अपलोड कर सकते हैं।
- डाक्टरों ने यह कहते हुए चिन्ता व्यक्त की है कि चिकित्सक रोगी और औषधि विक्रेता के बीच विश्वास आधारित सम्बंध होता है। यह सम्बंध तब प्रभावित हो सकता है जब बिना विवरण उपलब्ध कराये यदि कोई वेबसाइट डाक्टर द्वारा सुझायी गयी दवा में सस्ता परिवर्तन प्रस्तुत करता है।
- भारत में स्वयं से चिकित्सा करना प्रचलित है और औषधि का आनलाइन विक्रय इसे प्रोत्साहित कर सकता है।

VISION IAS

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5.1 जर्मलाइन एडिटिंग/संपादन (GERMLINE EDITING)

- "जर्मलाइन" से तात्पर्य अंडाणु और शुक्राणु से है, जो मिल कर एक भ्रूण का निर्माण करते हैं।
- जर्मलाइन एडिटिंग एक जीनोम एडिटिंग तकनीक है जिसे सिद्धांततः भ्रूणों में विशिष्ट और लक्षित अनुवांशिक परिवर्तन लाने के लिए विकसित किया जा सकता है। यह परिवर्तन जन्म लेने वाले बच्चे की सभी कोशिकाओं में संपन्न होगा और उसके उत्तराधिकारियों में भी जाएगा और मानव जीन पूल का एक हिस्सा बन जाएगा।
- जीनोम एडिटिंग की अन्य सभी तकनीकें जो अभी नैदानिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, कायिक कोशिकाओं के अनुवांशिक तत्व को बदलने पर केन्द्रित हैं, जैसे: T-कोशिका (एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका)।
- ये शुक्राणु या अंडाणु को प्रभावित करने के लिए तैयार नहीं किये गए हैं।

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गुआंगझु (चीन) के सन यात सेन विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने, CRISPR/Cas9 प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली एक नई जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकी विकसित की है।

- CRISPR/Cas9, एक बैक्टीरिया व्युत्पन्न प्रणाली है जो आर.एन.ए. अणुओं का प्रयोग कर विशिष्ट मानव डी.एन.ए. क्रम की पहचान करती है। आर.एन.ए. (RNAs) गाइड के रूप में कार्य करते हैं और न्युक्लिज़ (nuclease) का समरूपी जगहों में मानव जीनोम से मिलान करते हैं। CRISPR/Cas9 सरलतम जीनोम एडिटिंग तकनीक है क्योंकि यह उन प्रोटीनों, जो किसी विशेष डी.एन.ए. अनुक्रम से जुड़े होते है, की इंजीनियरिंग के बजाय, डी.एन.ए.-आर.एन.ए. आधार युग्म (बेस पेयरिंग) पर निर्भर होते हैं।
- यह तकनीक अपेक्षाकृत कम खर्चीली, सुगम, प्रभावकारी और उपयोग करने में आसान है।

जर्मलाइन एडिटिंग के लाभ:

- अंडाणु और शुक्राणु या स्वयं भ्रूण की डी.एन.ए. एडिटिंग द्वारा रोग पैदा करने वाले जीनों का निवारण किया जा सकता है और उन रूपान्तरणों को भविष्य की पीढ़ियों में पहुचाया जा सकता है।
- यह भी संभव है कि इसके द्वारा उन जीनों की प्रस्थापना कर दी जाए जो संक्रमण के विरुद्ध आजीवन सुरक्षा देते हों।

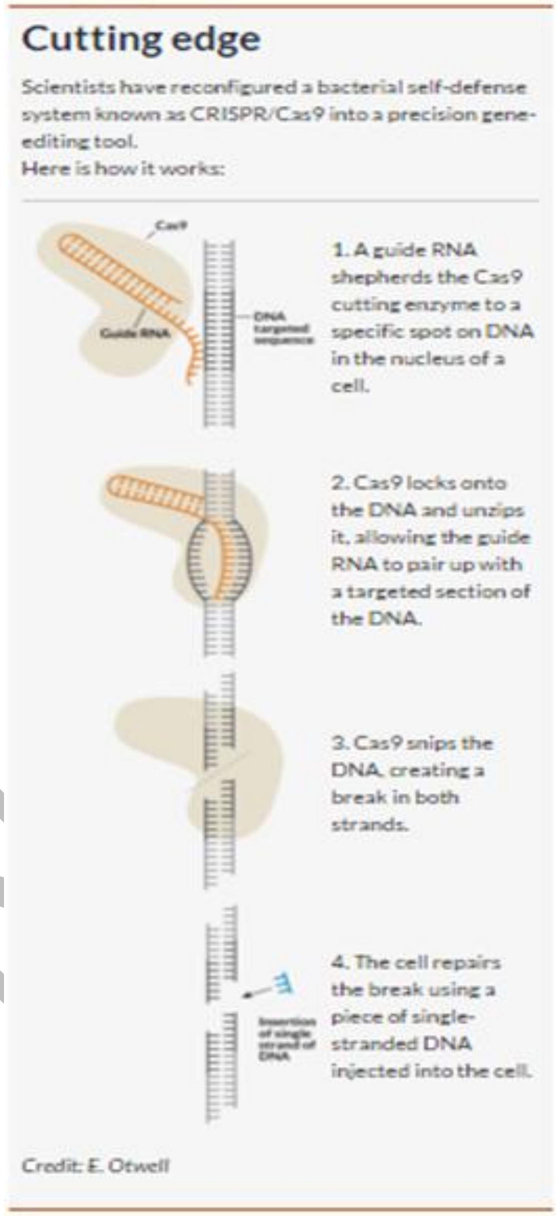

जर्मलाइन एडिटिंग के साथ समस्याएँ:

- कुछ लोगों का तर्क है कि जीनोम के संबंध में अभी हमारी समझ उतनी विकसित नहीं हुई है कि उसमें दीर्घकाल तक रहने वाले परिवर्तन किये जा सकें। किसी एक जीन का अंतरण जीनोम के दूसरे हिस्से में भी अप्रत्याशित और व्यापक परिवर्तन ला सकता है, जो बाद में भविष्य की पीढ़ियों में भी स्थानांतरित हो सकता है।
- कई लोग जीनोम अंतरण को अनैतिक मानते हैं और इस बात की वकालत करते हैं कि हमें प्रकृति को इसकी गति से चलने देना चाहिए।
- साथ ही, आनुवंशिक बदलाव जो कि प्रारंभ में बीमारियों के इलाज के रूप में शुरू होगा, बाद में बुद्धिमत्ता और आकर्षण जैसे विशिष्ट लक्षण पाने का हथियार बन जाएगा।
- एक चिंता यह भी है की जर्मलाइन में छेड़छाड़ हमारे मानव जीवन के मूल्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर देगी। अगर जीनोम

VISION

का परिवर्तन माता-पिता की पसंद के हिसाब से होगा, तो क्या बच्चे बहुमूल्य सौगात के बजाय वस्तु की तरह नहीं हो जाएँगे?

<u>विनिमयन परिदृश्य:</u>

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मलाइन एडिटिंग के लिए संघीय सहायता (राशि) के उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
- जबकि यूनाइटेड किंगडम में कोई व्यक्ति, विनियामक निकाय को मानव भ्रूण के जीनोम को सम्पादित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन दे सकता है, किन्तु यह सिर्फ अनुसन्धान कार्य के लिए ही किया जा सकता है। ऐसे भ्रूणों को 14 दिन के भीतर नष्ट करना होता है।
- हाल ही में "<u>ह्यूमन जीन एडिटिंग</u>" पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मलेन में यह घोषणा की गई कि जब तक इस हेतु आवश्यक सुरक्षा और दक्षता संबंधी मुद्दों का समाधान न कर लिया जाता तब तक जर्मलाइन एडिटिंग के नैदानिक उपयोग से सम्बंधित किसी भी कार्य को ले कर आगे बढ़ना गैरज़िम्मेदारी भरा कार्य होगा।
- भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं और निजी कंपनियों को भ्रूण संबंधी अनुसंधान तकनीकों के प्रयोग को रोकने वाला कोई भी निषेधात्मक कानून नहीं है। हालाँकि, भारतीय औषधि महानियंत्रक, औषधियों पर उपलब्ध वर्तमान कानूनों की व्याख्या का इस संदर्भ में उपयोग करने का प्रयास कर रहा है ताकि इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सूचीबद्ध दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जर्मलाइन एडिटिंग निषिद्ध है।

5.2 3-D प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा कृत्रिम लीवर ऊतक का विकास

- हाल ही में, ऊतक इंजीनियरिंग पर केंद्रित एक जैव प्रोद्योगिकी स्टार्ट-अप 'पन्डोरम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड', ने 3D प्रिंटिंग की सहायता से भारत का पहला कृत्रिम मानव लीवर बनाया है।
- 5 मिमी आकार वाले लीवर ऊतक के निर्माण के लिए पन्डोरम को 10 मिलियन लीवर कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ी, जिन्हें त्रि-आयामी संरचना में व्यवस्थित किया गया। यह त्रि-आयामी संरचना एक प्रकार का जैव पदार्थ है, जो कि ग्लूकोज़, प्रोटीन और एक खास प्रकार के कीट से निकाली गई जीवित कोशिकाओं से निर्मित है जिसका स्याही के रूप में प्रयोग किया गया है तथा जिसे प्रिंटर के लेज़र द्वारा नियंत्रित सिरे के तीन अन्तःपरिवर्तनीय वितरकों में डाला गया।
- ये ऊतक मानव लीवर ऊतक से हानिकारक पदार्थों के निकास, चयापचय और जैविक रसायनों जैसे अल्ब्युमिन और कोलेस्ट्रोल के स्राव सहित महत्त्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते हैं।
- ये 3-D बायो-प्रिंटेड छोटे लीवर जो मानव लीवर के सदृश कार्य करते हैं ,कम साइड इफ़ेक्ट, बेहतर क्षमता और कम कीमत वाली दवाओं के खोज और विकास में एक परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा देंगे।
- कोशिका आधारित इन छोटे अंगों का उपयोग कृत्रिम-जैव लीवर सपोर्ट सिस्टम के विकास के लिए किया जा सकता है, जो उन रोगियों का जीवन बचाने में सहायक होगी जिनका लीवर ख़राब हो चुका है।
- निकट भविष्य में, इन बायो-प्रिंटेड अंगों का उपयोग शल्य-प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों की भारी अनुपलब्धता की समस्या का समाधान करेगा। हालाँकि मौजूदा 3-D तकनीक ऊतक के एक छोटे भाग को ही निर्मित कर सकी है, लीवर जैसे एक पूर्ण अंग जिसमे 300 बिलियन कोशिकाएं होती है, के निर्माण में अभी कई वर्षों का समय लग सकता है।

3-D प्रिंटिंग क्या है?

- 3-D प्रिंटिंग, जिसे योगात्मक विनिर्माण(ADDITIVE MANUFACTURING) भी कहते हैं, से तात्पर्य उन कई प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग कर एक तीन-आयामी वस्तु का निर्माण किया जाता है। 3-D प्रिंटिंग में पदार्थ के क्रमिक परतों का निर्माण कंप्यूटर नियंत्रण के द्वारा होता है, जिससे अंत में एक वस्तु बनती है।
- ये वस्तुएं लगभग किसी भी आकार या ज्यामिति की हो सकती हैं, और ये एक 3-D मॉडल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा सोर्स द्वारा बनती हैं। 3-D प्रिंटर एक प्रकार का औद्योगिक रोबोट है।

5.3 विश्व की प्रथम जैव-चालित (BIOLOGICALLY POWERED) चिप

- एक बड़ी सफलता के तौर पर, कोलंबिया इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने जीवित तंत्र की मॉलिक्यूलर मशीनरी का उपयोग एक एकीकृत परिपथ(INTEGRATED CIRCUIT) को ऊर्जा चालित करने में किया है।
- शोधकर्ताओं ने कृत्रिम तौर पर विकसित एक वसा (लिपिड) बाईलेयर झिल्ली जिसमे प्राकृतिक तौर पर मौजूद आयन पंप हैं, जो ए.टी.पी. (एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट) द्वारा चालित होते हैं, का प्रयोग कर इस तंत्र का विकास किया है।
- वैज्ञानिकों ने लिपिड झिल्ली को एक पारंपरिक ठोस अवस्था वाले पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर (CMOS-COMPLIMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) एकीकृत परिपथ से जोड़ दिया।
- ए.टी.पी. की उपस्थिति में, तंत्र ने आयनों को झिल्ली में प्रवाहित कर दिया जिससे कि एक विद्युत् विभव का उत्पादन हुआ जो CMOS एकीकृत पथ द्वारा उपयोग में लाया गया।
- ये खोजें जीवित तंत्रों की कुछ प्रक्रियाओं की प्रतिकृति और कार्य करने की क्षमता संपन्न इलेक्ट्रोनिक्स के निर्माण की दिशा में एक कदम है, जैसे स्वाद लेना, सूंघना और जैव रासायनिक ऊर्जा स्त्रोतों का प्रयोग।

VISION IAS

- वैज्ञानिक अब किसी कोशिका की वांछित प्रक्रिया को अलग करने में सक्षम होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसका अंतरपृष्ठ(interface) कर पाएँगे। उदाहरण के तौर पर, बम सूंघने वाले कुत्ते की जगह वैज्ञानिक कुत्ते का सिर्फ वह भाग ले जा सकेंगे जो उपयोगी है- वह अणु जो गंध महसूस करने का कार्य कर रहे हैं- और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उसका अंतरपृष्ठ कर इस आशय के लिए उपकरण बना सकेंगे।

ए.टी.पी. क्या है?

- एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एक न्युक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट है जो कोशिकाओं में सह-एंजाइम की तरह काम करता है।
- ए.टी.पी. चयापचय के लिए कोशिकाओं के भीतर रासायनिक ऊर्जा का संवहन करती है।
- यह फोटोफोस्फोरिलेशन, कोशिका श्वसन और किण्वन के अंतिम उत्पादों में से एक है और जैव संश्लेषण अभिक्रियाओं, परिवर्तनशीलता, और कोशिका विभाजन सहित कई कोशिकीय प्रक्रियाओं में संरचनात्मक प्रोटीनों और एंजाइमों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है।

5.4 फेसबुक का "नि:शुल्क इन्टरनेट उपयोग"

नि:शुल्क बुनियादी(फ्री बेसिक) उपयोग के लाभ:

- यह डिजिटल डिवाइड को कम करेगा।
- 'फ्री बेसिक्स' उपभोक्ताओं को उनके फ़ोन पर बिना किसी डाटा प्लान के चयनित सोशल नेटवर्कों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी सूची जैसी सेवाओं वाली साइटों तक (नि:शुल्क) पहुँच की सुविधा देती है।

कमी:

- यह नेट निष्पक्षता (न्यूट्रलिटी) के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। नेट निष्पक्षता की अवधारणा यह कहती है कि- समस्त इंटरनेट ट्रैफिक के साथ एकसमान व्यवहार किया जाना चाहिए।
- यह भारत में फल-फूल रहे प्रगतिशील स्टार्टअप उद्यमियों, विद्यार्थियों, कार्यकर्ताओं और तकनीक कर्मचारियों के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा।
- फ्री बेसिक्स डेवलपर्स फेसबुक की इजाज़त के बिना तकनीक में नवोन्मेष नहीं कर सकते। अतः एक निष्पक्ष और समान रूप से उपलब्ध इंटरनेट की आवश्यकता है, जो सभी डेवलपर्स को समान समझे।
- फ्री बेसिक्स के तहत फेसबुक उपयोगकर्ताओं की तरफ से उनके लिए विषय वस्तु का चयन कर सकता है और इस प्रकार यहाँ उनके (उपयोगकर्ताओं) लिए कोई विकल्प नहीं बचता।

5.5 सर्वाइकल (ग्रीवा) कैंसर के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में मानव पैपीलोमा वायरस(HPV) टीके को शामिल करने जा रहा है।

- यह विषाणु ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर मामलों के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है।
- भारत में स्तन कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर का दूसरा सर्वप्रमुख कारण है।
- राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण डाटा ने साल 2013 में इसके 90000 मामले दर्ज किये हैं।

मानव पैपीलोमा वायरस (HPV) क्या है?

मानव पैपीलोमा वायरस 150 विषाणुओं का एक समूह है, जो घाव या पैपीलोमा के कारण के तौर पर जाने जाते हैं। इनमें से कुछ कैंसर, खासकर सर्वाइकल कैंसर के कारण बन सकते हैं। मानव पैपीलोमा वायरस के टीके को 11-12 साल की उम्र में दिया जाना चाहिए।

VISION IAS

6. पर्यावरण

6.1. कॉप 21 मसौदा: पेरिस समझौता

<u>**पेरिस समझौता, अब तक का सबसे बड़ा पर्यावरण समझौता है तथा इसे 190 से अधिक देशों द्वारा स्वीकार किया गया है :**</u>

- पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से एक विनिर्दिष्ट मात्रा तक रखना है।
- इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य विश्व के बढ़ते तापमान को 2° सेल्सियस से नीचे रोकना है। परंतु इस संबंध में मुख्य फोकस यह होगा कि बढ़ते तापमान को 1.5° सेल्सियस के नीचे हीं रोक लिया जाए ताकि जलवायु परिवर्तन के अन्य खतरों से निपटा जा सके।
- इस समझौते के संदर्भ में भारत का यह मानना था कि "ऐसी किसी पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली को समृद्ध एवं निर्धन राष्ट्रों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए"।
- भारत का यह मत इस तर्क पर आधारित है कि विकासशील देशों के पास अभी भी जलवायु परिवर्तन के खतरों को मापने के लिए आवश्यक तकनीक की कमी है। उदाहरण के लिए- भारत के पास अभी भी वाहनों के प्रयोग पर आधारित मोटर वाहन उत्सर्जनों को विशुद्ध तौर पर मापने की क्षमता नहीं है, जबकि यू.एस.ए. ऐसा प्रतिवर्ष करता है।

<u>**मसौदे की प्रमुख विशेषताएं**</u>

- **विकसित देश रोल मॉडल के तौर पर**-विकासशील देश किस सीमा तक अपने प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर पायेंगे, यह तो विकसित देशों की वित्त, तकनीकी हस्तान्तरण तथा क्षमता निर्माण से सम्बंधित प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करेगा कि वे इन प्रतिबद्धताओं पर कितना कायम रहते हैं।
- ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन की वृद्धि दर को 2060-80 तक शून्य के स्तर पर लाना प्रस्तावित है।
- **फंड जुटाना** - निम्न उत्सर्जन तथा जलवायु के प्रति संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं एवं समाजों की तरफ निवेश और वित्त के लगातार प्रवाह के मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विभिन्न रूपों का उचित मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण साधन है।
- **प्रौद्योगिकी ढाँचा** - प्रौद्योगिकी तंत्र पर कार्य करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन को उपलब्ध कराना। यह प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कार्यों को बढ़ावा देगी तथा सरल बनायेगी।
- यह समझौता क्योटो प्रोटोकाल की तुलना में अत्यधिक व्यापक है। क्योटो प्रोटोकाल सिर्फ विकसित देशों के समूह के लिए ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को नियत करने तक सीमित था।
- यह समझौता प्रत्येक राष्ट्र को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपना "इंटेंडेड नेशनली डीटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन" तैयार करने हेतु कहता है।
- यह एक ऐसे तंत्र को स्थापित करता है जिसके तहत सभी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उठाये गए क़दमों की नियमित निगरानी तथा मूल्यांकन किया जा सके। साथ हीं इसके द्वारा यह भी ज्ञात किया जाएगा कि क्या विश्व वास्तव में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विभिन्न कदम उठाने के लिए तैयार है ।

सभी राष्ट्रो के लिए विजयी भवः की स्थिति –

विकसित देश - विकसित देशों हेतु यह सुनिश्चित किया गया कि इस समझौते के बाद जलवायु से सम्बंधित कार्यवाहियेां को प्रत्येक राष्ट्र द्वारा किया जायेगा न कि सिर्फ विकसित देशों द्वारा जैसा कि क्योटो प्रोटोकाल-1997 में प्रस्तुत जलवायुवीय ढाँचा में व्यवस्था की गई थी।

विकासशील देश - 'विभेद' के सभी महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को इस समझौते में भी बरकरार रखा गया है। अर्थात विकासशील देशों का यह मानना कि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन के लिए विकसित देश प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, अतः उन देशों को ही जलवायुवीय परिवर्तनों से लड़ने के लिये बड़े कदम उठाने चाहिए। यद्यपि इस सिद्धान्त को इस समझौते में कुछ शिथिलता प्रदान की गई।

द्वीपीय राष्ट्र तथा अल्प विकसित देश - ये राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। अतः इन राष्ट्रों के लिए यह राहत की बात है कि सम्पूर्ण विश्व ने तापमान वृद्धि के संदर्भ में 2°सेल्सियस के बजाय 1.5°सेल्सियस के मार्ग को स्वीकार किया है।

<u>**कुछ विवादास्पद मुद्दे जो अनसुलझे रह गये, निम्नलिखित है :**</u>

- विकासशील देशों के लिए वित्त की व्यवस्था।
- कार्बन डाईआक्साइड सर्वेक्षण के आधार पर देशों के लिए नवीनीकृत लक्ष्य तथा विश्व के लिए शेष कार्बन बजट का साम्यपूर्ण बंटवारा।
- विकासशील राष्ट्र बनाम विकसित राष्ट्र के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करना।
- **बाध्यकारी लक्ष्य -** विभिन्न देशों ने अपने उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों का वादा किया है। लेकिन ये सिर्फ वायदे हैं। यूरोपीय संघ तथा यू.एस.ए. ने कानूनी तौर पर बाध्यकारी रोड मैप का जोरदार ढंग से विरोध किया।
- **लक्ष्य का नियमित पुनरीक्षण -** उत्सर्जन कटौती संख्यायें अभी नहीं जोड़ी जाती है। अत: उनका प्रत्येक पाँच वर्ष पर पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है। विकसित देश कोई ऐसी कसौटी स्वीकार नहीं करते हैं जो ऐतिहासिक रूप से उनके द्वारा किये गए उत्सर्जनों को सम्मिलित करता है।
- **रिपोर्टिंग एक्शन -** 2020 के बाद जब यह समझौता प्रभावी हो जायेगा तब राष्ट्रों को नियमित रूप से रिपोर्ट करना होगा कि वे अपने वायदों के सम्बंध कितना आगे बढ़े हैं। यह ट्रोजन हार्स बन सकता है जो दो राष्ट्रों के बीच बिना कुछ कहे समानता लायेगा।

VISION IAS

- **विकासशील देशों के लक्ष्य -** अधिकतर विकासशील देशों ने पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया है। ये लक्ष्य इस समझौते की प्रकृति के साथ-साथ वित्त तथा तकनीक हस्तांतरण की शर्तों पर आधारित हैं। विकसित राष्ट्र विकासशील देशों द्वारा निर्धारित उनके कुल लक्ष्य के कम-से-कम एक भाग को बिना शर्त के प्रतिष्ठापित कराना चाहते हैं।
- **प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण -** बौद्धिक संपदा संसाधनों, भावी प्रौद्योगिकी विकास तथा पेरिस समझौते के तहत इस हेतु एक संस्थापक व्यवस्था के मुद्दों के समाधान पर विकसित राष्ट्रों ने विभिन्न विकासशील देशों जिसमें भारत भी सम्मिलित है के प्रस्ताव का विरोध किया।
- **अनुकूलन -** विकसित राष्ट्रों के अनुसार उत्सर्जनों मे कटौती करना तथा इन कटौतियों का लेखा-जोखा रखना ही इस समझौते का केंद्र बिंदु हैं।

6.2 भारतीय दीर्घावधिक पारिस्थितिकी वेधशालायें (आई-एलटीइओ)

- भारत ने आठ दीर्घावधिक पारिस्थितिकी वेधशालायें (Indian Long Term Ecological Observatories (I-LTEO) स्थापित करने के कार्यक्रम की घोषणा की है। ये वेधशालायें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करेंगी।
- ये आठ अलग-अलग जीवोमों के स्वास्थ्य का मापन करेंगी।
- जलवायु परिवर्तन के कारण घटित होने वाले परिवर्तनों का दीर्घावधिक अनुसंधान।
- इसका उद्देश्य वनस्पति जगत और प्राणी जगत की वैज्ञानिक ढंग से निगरानी करना है ताकि यह जाना जा सके कि जलवायु परिवर्तन प्रकृति के साथ साथ कृषि और पशुपालन से निकटता से जुड़े क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है।
- **प्रचालन क्षेत्र -** पश्चिमी हिमालय से पश्चिमी घाट तक, पूर्वी हिमालय से अंडमान और निकोबार द्वीपों तक, केन्द्रीय भारत से सुन्दरबन तक तथा जम्मू और कश्मीर से राजस्थान और गुजरात तक।

6.3 हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि तथा इसके परिणाम

- हाल ही के अध्ययन यह स्पष्ट करते है कि विगत 50 वर्षों के दौरान हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि हुई है। इस तापमान वृद्धि के कारण तो स्पष्ट नहीं हुए है लेकिन इसके परिणाम भारत के लिए समस्यात्मक सिद्ध हुए हैं।

- महासागर में बढ़ी हुई उष्णता विषुवतरेखीय महासागर के उपर उष्ण आर्द्र पवन के उर्ध्वगामी प्रवाह को बड़े पैमाने पर बढ़ाती है।
- महासागर के ऊपर इस उर्ध्वगामी प्रवाह की क्षतिपूर्ति उपमहाद्वीप के ऊपर शुष्क हवा के अवतलन द्वारा होती है। फलतः भूमि पर मानसूनी वर्षा की कीमत पर महासागर में बहुतायत वर्षा होती है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप सूखे की चपेट में आ जाता है।
- हिंद महासागर में समुद्री फाइटोप्लैंकलन में कमी- महासागर में ये सूक्ष्म पौधे जलीय खाद्य जाल को बनाये रखते हैं, तथा सौर्यिक विकरण का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार ये वातावरणीय प्रक्रियाओं तथा जैवरासायनिक चक्रों विशेषकर कार्बन चक्र को प्रभावित करते हैं।

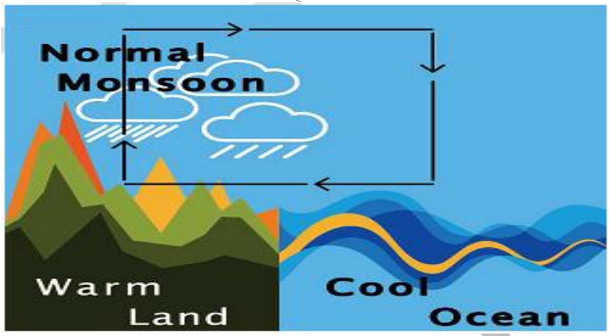

- इससे खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दे भी जुड़े हुए हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर मछलियों का वितरण फाइटोप्लैंक्टन की उपलब्धता से ही संबंधित है।

6.4. भारत में पर्यावरणीय अपराध

पर्यावरणीय अपराध क्या है?

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के अनुसार निम्नलिखित पाँच कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन को पर्यावरणीय अपराध के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है-

- वन अधिनियम-1927
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986
- वायु (प्रदूषण नियन्त्रण और संरक्षण) अधिनियम-1981
- जल (प्रदूषण नियन्त्रण और संरक्षण) अधिनियम-1974 (1988 में संशोधित)

भारत में पर्यावरणीय अपराधों की रिपोर्टिंग में कमी के कारण :

- एन.सी.आर.बी. के आंकड़े उन कानूनों के अपर्याप्त कवरेज से प्रभावित है जिनका उल्लंघन पर्यावरण के विरुद्ध एक अपराध के तौर पर माना जाता है।
- प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (पी.सी.बी.) जो वायु और जल प्रदूषण से सम्बंधित मामलों को देखता है, के पास न ही प्रवर्तन अधिकारी है और न ही शिकायतों पर ध्यान देने की कोई क्रियाविधि है तथा न ही इसके पास पुलिसिंग संबंधी कार्य है। ये सिर्फ परमिट जारी करते हैं।
- पुलिस अधिकारी विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए इससे जुड़े अपराधों को विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के तहत रिकार्ड नहीं कर पाते हैं।

7. सुरक्षा

7.1. आतंकवाद का वित्तपोषण (TERROR FINANCING)

आतंकवाद के वित्तपोषण को आतंकवाद के "जीवन रक्त" की संज्ञा दी गई है। यह आतंकवाद की निरन्तरता को बनाये रखने वाले अनेक महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है।

हाल के घटनाक्रम :

भारत विश्व की बड़ी एवं मुख्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ आतंकी वित्तपोषण पर सम्पन्न प्रथम वैश्विक सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। यह सम्मेलन पेरिस में सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन आई.एस. आतंकी समूह के गुप्त एवं गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के निवारण की एक क्रियाविधि विकसित करने से सम्बंधित था। इस सम्मेलन का उद्देश्य मनी लॉन्डरिंग (काले धन को वैध बनाना) एवं आतंकी वित्तपोषण की समस्या को हल करना था। यह सम्मेलन फाइनेसिंयल-एक्शन टास्क फोर्स (एफ.ए.टी.एफ.) के तत्वाधान में आयोजित किया गया था।

उद्देश्य:

- इस बात पर चर्चा करना कि विभिन्न देशों द्वारा उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्यवाही की जा रही है तथा आई.एस.आई.एस. के वित्तपोषण का मुकाबला करने की आवश्यकता पर बल देना।
- आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले वैश्विक प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के अवसरों को विस्तारित करना।

एफ.ए.टी.एफ. : पृष्ठभूमि

यह एक अंत:सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसकी स्थापना मनी लॉन्डरिंग तथा आतंकी गतिविधियों से सीधे तौर से सम्बंधित अन्य वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए वैश्विक प्रोटोकॉल (नयाचारों) एवं मानकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से हुई थी। भारत अन्य तैंतीस देशों सहित इस प्रसिद्ध वैश्विक निकाय का पूर्ण सदस्य है।

- इसी वर्ष के आरंभ में एफ.ए.टी..एफ. द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में यह चिन्हित किया गया कि किस प्रकार आई.एस.आई.एस. द्वारा आतंकियों को संगठित करने तथा उनके घातक हथियारों एवं गोला बारुद को स्थानान्तरित करने में जटिल वित्तीय तरीकों का प्रयोग किया जाता है।

- रिपोर्ट में इसकी प्राथमिक जाँचों में पाया गया कि यह आतंकी समूह अपने राज्य क्षेत्र के व्यवसाय से अनैतिक गतिविधियों के प्रयोग द्वारा वित्त संग्रहण कर रहा है, जैसे-बैंक लूट, जबरन वसूली, तेल कुओं तथा क्षेत्रों पर नियन्त्रण, फिरौती के लिए अपहरण, गैर लाभकारी संगठनों के माध्यम से दान तथा आधुनिक संचार नेटवर्कों के माध्यम से वित्त की व्यवस्था आदि।

7.2. आई.एस.आई.एस. और अल-कायदा की वित्तीय मदद को समाप्त करने का यू.एन.एस. सी. का प्रस्ताव

यू.एन. सुरक्षा परिषद ने हाल ही में अलकायदा और आई.एस.आई.एस. की सभी स्त्रोतों से होने वाली वित्तीय मदद को समाप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके साथ ही सदस्य राष्ट्रों द्वारा वित्त मंत्रियों की उपस्थिति में आतंकी समूहों के विरुद्ध अनुशास्तियों को बढ़ाने की प्रतिज्ञा की गई।

- 15 सदस्यीय इस निकाय के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन (पहली बार आयोजित) में स्वीकृत प्रस्ताव में वित्तीय प्रणाली के बचाव मार्गों (लूपहोल्स) को बंद करना, परोपकारी कार्यों के दुरुपयोग को रोकना, साथ-साथ आई.एस.आई.एस. और अलकायदा की प्रतिबंधात्मक सूची का अद्यतन सम्मिलित है।
- सुरक्षा परिषद ने जोर दिया कि पहले से अस्तित्वमान प्रस्ताव राष्ट्रों को सुनिश्चित करते हैं कि उनके राज्य क्षेत्रों के लोगों द्वारा वित्तीय सम्पत्तियों को आतंकियों को हस्तान्तरित न किये जाए। ऐसे प्रस्तावों को व्यक्तिगत, समूहों, उपक्रमों या आई.एस.आई.एस. और अल कायदा की प्रतिबंधात्मक सूची से सम्बंधित इकाइयों के फिरौती पर भी लागू किया जाए। साथ ही इसकी परवाह न की जाए कि फिरौती कौन देता है या कैसे देता है।
- इस प्रस्ताव के अंतर्गत सूचना साझा करने हेतु और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा संदेहास्पद लेन-देन की पहचान करने के लिए निजी क्षेत्रक के साथ नजदीकी समन्वय की बात कही गई है।
- सुरक्षा परिषद ने सदस्य राष्ट्रों को और अधिक सर्तकता बरतने को कहा है। इसके अंतर्गत सदस्य देशो के सम्बंधित अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ और कच्चे मालों , जिनका प्रयोग विस्फोटक उपकरणों तथा गैर पारम्परिक हथियारों के विनिर्माण में किया जा सकता है के विपथन (अर्थात उनका प्रयोग किसी भिन्न कार्य में ना होने पाए) की जाँच के लिए सतर्कता को बढ़ावा देने को कहा गया। तात्पर्य यह कि इन पदार्थो को जिन कार्यो के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गयी उन्हें उसी में प्रयोग किया जाय यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए |

आई.एस.आई .एस. की वित्तीय मदद को रोकना क्यों चुनौतीपूर्ण हैं?

- अन्य आतंकी समूहों के विपरीत यह समूह अपनी वित्तीय मदद का छोटा सा भाग ही वैश्विक दानकर्ताओं द्वारा प्राप्त करता है। यह समूह अपने नियन्त्रित भू क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों तथा प्राकृतिक संसाधनों से धन की व्यवस्था करता है।

- आई.एस.आई.एस. ने भू क्षेत्रों पर कब्जा करके तथा बैंक के तिजोरियों को लूटकर सतत राजस्व स्त्रोतों का विकास किया है। इसके अलावा आई.एस.आई.एस. ने तेल की ब्लैक मार्केटिंग से लगभग 500 मिलियन यू.एस. डॉलर की राशि एकत्रित की है। पुनः यह लोगों से जबरन वसूली के द्वारा भी लाखों डॉलर प्राप्त कर चुका है।

VISION IAS

7.3. आतंकी वित्तपोषण तथा मनी लॉन्डरिंग की समस्या से निपटने की भारत की रणनीति :

क्यों महत्वपूर्ण है :

विभिन्न जाँच एजेंसियों के सामने कुछ ऐसे तथ्य सामने आये हैं जिनसे स्पष्ट है कि भारत के रास्ते से आई.एस.आई.एस. को वित्तीय मदद पहुँचायी जा रही है, यद्यपि इनका सृजन भारत में नहीं हुआ है-

- पूरे विश्व में आतंकी समूहों (आई.एस.आई.एस. सहित) की बढ़ती हुई गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने हाल ही में एफ.ए.टी.एफ. को यह सूचित किया है कि इसने आतंकी वित्तीयन तथा गैर क़ानूनी धन के मनी लॉन्डरिंग के आरोप में तीन दर्जन से अधिक संस्थानों के तीन लाख यूरो (2.12 करोड़ रूपये से अधिक) की परिसंपत्तियों को जब्त किया है।

- आतंकवाद के वित्तपोषण तथा मनी लॉन्डरिंग से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए गैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) (यू.ए.पी.ए.) अधिनियम-1967 तथा प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पी.एम.एल.ए.)-2002 प्रभावी साधन (कानून) हैं।
- गैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम-1967 को 2013 में संशोधित कर और मजबूत किया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातों को सम्मिलित किया गया-
  1. आतंकवाद के प्रयोग के लिए अभिप्रेरित किसी भी सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए आतंकवाद की गतिविधियों के विषय क्षेत्र को विस्तारित किया गया।

  2. भाग-17 के विषय क्षेत्र को विस्तारित किया गया- इसमें आतंकी क्रियाकलापों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया। साथ ही कानूनी या गैर कानूनी ढंग से आतंकी संगठनों, आतंकी समूहों या एक आतंकवादी द्वारा वित्त की व्यवस्था करने के कार्य को भी दण्डित करने का प्रावधान हैं। इसकी परिधि में कम्पनियों एवं ट्रस्टो या सोसाइटीज के अपराधों को भी शामिल किया गया है।
- 2013 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट-2002 को भी कुछ अन्य प्रावधानों को सम्मिलित करके और मजबूत किया गया। इसमें निम्न प्रावधान शामिल है-
  1. अनुसूचित अपराधों के लिए मौद्रिक सीमा को हटाना।
  2. मनी लॉन्डरिंग की जाँच के संदर्भ में जब्ती और अस्थायी कुर्की शक्तियों को मजबूती प्रदान करना।
  3. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के कार्य क्षेत्र/विषय क्षेत्र के अंतर्गत नयी वित्तीय संस्थाओं और नामनिर्दिष्ट गैर-वित्तीय व्यवसाय तथा वृत्तियों को शामिल करना।
  4. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने के लिए वित्तीय आसूचना इकाई (एफ.आई.यू.) की शक्तियों को बढ़ाना तथा रिपोर्टिंग संस्थानों के नामित निदेशकों तथा कर्मचारियों को शामिल करते हुए पी.एम.एल.ए. के तहत प्रतिबंधों के विस्तृत दायरे का समावेश।
  5. आतंकी वित्तीयन के समस्यायों के समाधान के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के तौर पर **गृह** मन्त्रालय के अधीन 2011 **में** एक विशेष "कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म" (CFT) सेल का गठन किया गया ताकि केन्द्रीय आसूचना/प्रवर्तन एजेंसियों एवं राज्यों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके।
  6. आतंकी वित्तीयन के जांच हेतु राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अंतर्गत आतंकी वित्तीयन तथा जाली मुद्रा सेल (टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल) का गठन किया गया है।

वित्तीय आसूचना एकक- भारत [एफ.आई.यू.-आई.एन.डी.]

- एफ.आई.यू.-आई.एन.डी. एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। यह संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन से सम्बंधित सूचनाओं का प्रापण, प्रसंस्करण, विश्लेषण तथा विस्तारण करने के लिए उत्तरदायी है।
- मनी लॉन्डरिंग तथा इससे संबंधित अपराधों के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का अनुसरण करते हुए एफ.आई.यू.-आई.एन.डी. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आसूचना, जाँच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों में समन्वयन तथा उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है।
- यह एक स्वतन्त्र निकाय है। यह वित्त मन्त्री की अध्यक्षता वाले आर्थिक आसूचना परिषद (Economic Intelligence Council–EIC) को सीधे रिपोर्ट करती है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

VISION IAS